# VISIONIAS

www.visionias.in

MAINS 365

# Classroom Study Material

# अर्थव्यवस्था - II

**November 2015 – August 2016**

***Note: September and October material will be updated in November 1st week.***

**Copyright © by Vision IAS**

*All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.*

# विषय सूची


*रोजगार और कौशल विकास* _____ *6*

*1. भारत में थ्री जॉब डेफिसिट* _____ *6*

*2. मानव पूंजी- कौशल विकास* _____ *7*

2.1. वर्तमान स्थिति : वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक _____ 7

2.2. मानव पूंजी सूचकांक _____ 7

2.3. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना _____ 8

2.4. MSDE द्वारा भारत में 'अंतरराष्ट्रीय कौशल मानक' का शुभारंभ _____ 9

2.5. 'स्किल बैंक' द्वारा वैश्विक बाजारों के लिए श्रमिकों को प्रशिक्षण _____ 10

2.6. राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना _____ 10

2.7. संविदा श्रमिकों के लिए मासिक मजदूरी का पुनरीक्षण _____ 11

*समावेशी वृद्धि एवं विकास* _____ *12*

*1. गरीबी व असमानता* _____ *12*

1.1 असमानता पर ऑक्सफाम की रिपोर्ट _____ 12

1.2. विश्व बैंक की रिपोर्ट- ' गरीबी की समाप्ति, समृद्धि को साझा करना' _____ 12

1.3. भारतीय दृष्टिकोण _____ 13

1.3.1. गरीबी मापनः नीति आयोग कार्यबल _____ 14

*2. समावेशी वृद्धि: विकास मापन* _____ *14*

2.1. सामाजिक प्रगति सूचकांक (SPI) _____ 14

2.2. वैश्विक दासता सूचकांक: _____ 16

*3. समावेशी विकास: सामाजिक कार्यक्रम* _____ *16*

*3.1. अटल पेंशन योजना (APY)* _____ *16*

3.2. केंद्र और राज्य दोनों द्वारा DBT को विस्तारित किये जाने का विषय-क्षेत्र _____ 17

3.3. समावेशी वृद्धि: निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व _____ 18

*सरकारी बजट प्रक्रिया* _____ *19*

*1. राजकोषीय नीति* _____ *19*

1.1. केंद्र पर राज्यों का 80,000 करोड़ रुपये बकाया: CAG रिपोर्ट _____ 19

1.2. सातवाँ वेतन आयोग _____ 19

1.3. FRBM अधिनियम में बदलाव की आवश्यकता _____ 21

1.4. मध्यावधि ऋण प्रबंधन रणनीति (MTDS) _____ 22

*2. कराधान* _____ *22*


VISION IAS

2.1. GST विधेयक राज्यसभा में पारित ____ 22

2.2. प्रत्यक्ष कर: भारत का सीमित कराधार ____ 24

2.3. राजस्व ज्ञान संगम ____ 25

2.4. गूगल टैक्स: डिजिटल अर्थव्यवस्था पर इक्वलाईजेशन (समीकरण) लेवी ____ 25

2.5. कर नीति परिषद और कर नीति अनुसंधान इकाई ____ 26

2.6. गैर-कर राजस्व ई-पोर्टल ____ 27

2.7. स्वतंत्र राजकोषीय परिषद ____ 27

2.8.संसाधनों की लामबंदी: संग्रह ____ 28

2.8.1. स्वर्ण मौद्रीकरण योजना ____ 28

2.8.2. लघु बचत योजना एवं भविष्य निधि योजना ____ 29

2.8.3. कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) पर कर और उसकी वापसी ____ 29

2.8.4. अनिवासी भारतीयों के धन विप्रेषण में गिरावट ____ 30

2.8.5. अनिवासी भारतीयों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना ____ 30

2.9. संसाधनों की लामबंदी: विनिवेश ____ 31

2.9.1. विनिवेश के लिए नीति आयोग का प्रस्ताव ____ 31

2.9.2. 51 कंपनियों में हिस्सेदारी की बिक्री ____ 32

2.10. संसाधनों की लामबंदी: काले धन की वापसी ____ 33

2.10.1. आय घोषणा योजना ____ 33

2.10.2. काले धन के प्रवाह पर अंकुश लगाने हेतु सेबी द्वारा मानदंडों को सख्त करना ____ 33

2.10.3. पनामा दस्तावेज़ लीक ____ 33

2.10.4. पनामा: बहुपक्षीय कर सूचना साझा कन्वेंशन ____ 34

2.10.5. मॉरीशस के साथ दोहरे कराधान से बचाव समझौते में संशोधन ____ 34

2.10.6. वैश्विक वित्तीय गोपनीयता सूचकांक (FSI) ____ 35

*कृषि* ____ *36*

*1. भारतीय कृषि* ____ *36*

1.1. बजट में सिंचाई पर जोर ____ 36

1.2. फसल प्रतिरूप: भूसंपत्ति और पशुधन धारिता पर NSSO की रिपोर्ट ____ 37

1.3. भारतीय कृषि में सुधार ____ 37

1.4. किसानों को जिंस वायदा बाजार की आवश्यकता ____ 38

1.5. APMC और राष्ट्रीय कृषि बाजार ____ 38

1.6. प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना ____ 39

1.7. कृषि कल्याण उपकर ____ 42

1.8. मराठवाड़ा में सूखा और चीनी मिलों का मुद्दा ____ 42

VISION IAS

1.9. ताड़ का तेल उद्योग निवेशकों को आकर्षित नहीं कर रहा है: रिपोर्ट 43

1.10. जेनेटिकली मोडिफाइड (GM) तकनीक लाइसेंसिंग से संबंधित नयी अधिसूचना रद्द 44

1.11. बीटी कपास के रॉयल्टी शुल्क में 74% की कटौती 44

*2. फार्म सब्सिडी, MSP, PDS, पशुपालन से संबंधित मुद्दे 45*

2.1. सार्वजनिक वितरण प्रणाली सुधार: डिजिटलीकरण 45

2.2. न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर नीति आयोग की रिपोर्ट 45

2.3. दलहन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 47

2.4. उर्वरक सब्सिडी में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण 47

2.5. विश्व व्यापार संगठन की नैरोबी वार्ता 48

*3. खाद्य प्रसंस्करण 49*

3.1. मेगा फ़ूड पार्क (MFP) 49

*4. भारत में भूमि सुधार 50*

4.1. वर्तमान स्थिति: NSSO सर्वेक्षण 50

4.2. मॉडल लैंड लीजिंग लॉ (भूमि पट्टा प्रारूप कानून) 51

4.3. राजस्थान नगरीय भूमि (हक प्रमाणन) विधेयक, 2016 52

*औद्योगिक नीति एवं संबद्ध मुद्दे 53*

*1. औद्योगिक उत्पादन सूचकांक 53*

*2. राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण नीति 53*

*3. राष्ट्रीय पूंजीगत वस्तु नीति 54*

*4. विशेष आर्थिक क्षेत्र पुनरुद्धार योजना 55*

*5. वस्त्र-निर्माण क्षेत्र के लिए प्रोत्साहन की पेशकश 55*

*6. इलेक्ट्रॉनिक विकास कोष 56*

*7. राष्ट्रीय विनिर्माण नीति के तहत प्रौद्योगिकी अधिग्रहण और विकास फंड 57*

*8. राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष 57*

*9. विनिर्माण क्षेत्र के साथ समस्या - मेक इन इंडिया 59*

*10. ई-कॉमर्स 59*

10.1. वर्तमान स्थिति: भारत में ई-कॉमर्स 59

10.2. नए दिशा-निर्देश 60

*11. फार्मा उद्योग 61*

11.1. भारतीय फार्मा उद्योग से जुड़े मुद्दे 61

VISION IAS

11.2.बल्क ड्रग्स नीति मसौदा ____ 62

11.3. 76 जीवन रक्षक औषधियों पर सीमा शुल्क छूट की समाप्ति ____ 63

*12. व्यापार* ____ *63*

12.1. वर्तमान स्थिति: भारतीय निर्यात रूझान ____ 63

12.1.1. तेल की गिरती कीमतें और भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव ____ 64

12.2. वस्तुओं में व्यापार सुविधा समझौता ____ 64

12.3. व्यापार सुविधा और व्यापार प्रवर्तन अधिनियम 2015 ____ 65

*विदेशी निवेश* ____ *66*

*1. वर्तमान स्थिति: विश्व निवेश रिपोर्ट 2016* ____ *66*

*2. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वित्तपोषण* ____ *66*

*3. FDI में सुधार* ____ *67*

3.1. FDI मानकों में छूट ____ 67

3.2. स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा FDI मानकों में छूट ____ 68

3.3 भारत में एप्पल कम्पनी की रिटेल बिक्री ____ 68

*4. वैश्विक प्रगति और उसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव* ____ *69*

4.1. मुद्रा युद्ध: चीनी युआन का वर्ष 2015 में अवमूल्यन ____ 69

4.2. चीन को बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा ____ 70

बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा ____ 70

VISION IAS

# रोजगार और कौशल विकास

(EMPLOYMENT AND SKILL DEVELOPMENT)

# 1. भारत में थ्री जॉब डेफिसिट

(The Three Jobs Deficit in India)

**पृष्ठभूमि**

- भारत में 2005 और 2012 के बीच गरीबी में तेजी से गिरावट मुख्य रूप से उच्च श्रम आय से प्रेरित थी। इस अवधि के दौरान, अकुशल श्रमिकों की मजदूरी में तेजी से वृद्धि हुई तथा गैर-कृषि रोजगार के अवसर की दिशा में भी उल्लेखनीय बदलाव आया।
- लेकिन रोजगार के सृजन की मात्रा और गुणवत्ता ने गरीबी में कमी की सततता और मध्यम वर्ग के विस्तार की संभावनाओं के बारे में चिंताओं को बढ़ा दिया है।
- अधिकांश लोग जिन्हें गरीबी से निकालकर गरीबी रेखा से थोड़ा ऊपर ले जाया गया, लेकिन जिन्होंने मध्यम वर्ग में प्रवेश प्राप्त नहीं किया था, वे पुनः गरीबी में जाने की सुभेद्य स्थिति में हैं।
- 2005 के बाद से नौकरियों की संख्या में कमी, और साथ ही उनकी गुणवत्ता, इस सुभेद्यता को दर्शाती है।

**I. रोजगार में कुल कमी**

रोजगार पर श्रम ब्यूरो सर्वेक्षण 2015 के अनुसार :

- वर्ष 2005 और 2012 के बीच प्रत्येक वर्ष कार्यबल में 13 मिलियन संभावित लोगों का प्रवेश हुआ परंतु उनमें से केवल 3 मिलियन को ही रोजगार प्राप्त हुआ।
- आठ श्रम-प्रधान उद्योगों में वर्ष 2015 के पहले नौ महीनों में नए रोजगारों का सृजन वस्तुतः पिछले छह साल के निचले स्तर पर आ गया - सिर्फ 1.55 लाख नए रोजगारों का सृजन हुआ।
- इसके विपरीत, जनवरी से सितंबर 2014 के बीच 3.04 लाख नए रोजगार और 2013 की इसी अवधि में 3.36 लाख नए रोजगारों का सृजन हुआ था।
- जनवरी से सितंबर 2015 के बीच 21000 संविदा रोजगार कम हुए जबकि 2014 की इसी अवधि में 1.2 लाख की वृद्धि हुई थी।

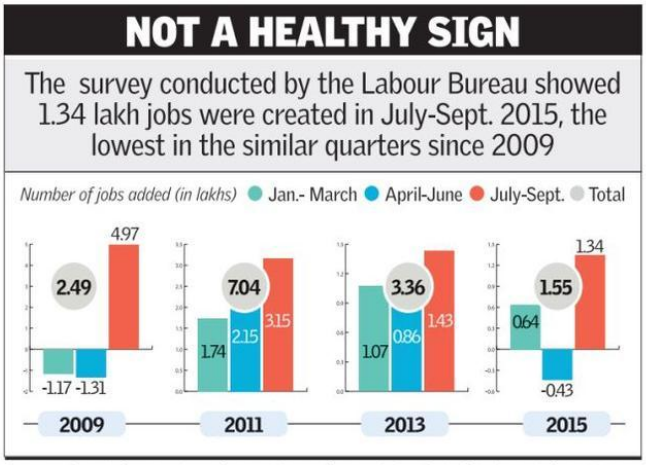


Source: Quarterly report on changes in employment in selected sectors, Labour Bureau

- सर्वेक्षण में पाया गया है कि:
  - ✓ रत्न एवं आभूषण क्षेत्र में 2015 के दौरान 19000 रोजगार कम हुए।
  - ✓ हथकरघा/पावरलूम में 11000 रोजगार कम हुए।
  - ✓ चमड़े और ऑटोमोबाइल क्षेत्र में से प्रत्येक में 8000 रोजगार कम हुए।
  - ✓ परिवहन क्षेत्र में 4000 रोजगार की कमी दर्ज की गयी।

**II. अच्छी नौकरियों में कमी**

- इस अवधि में, अर्थव्यवस्था के अनौपचारिक क्षेत्रों में काफी गतिशीलता थी, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में।
- 2005 और 2012 के बीच लगभग 34 मिलियन कृषि रोजगार की कमी के साथ कृषि क्षेत्र में रोजगार में काफी गिरावट आई है।
- इस दौरान निर्माण क्षेत्र में रोजगार में उछाल था, जिसने गैर-कृषि रोजगार में प्रसार के लगभग आधे के बराबर योगदान दिया था। हालांकि, निर्माण कार्य अस्थिर प्रवृति का होता है।
- इन नौकरियों ने लोगों को गरीबी से ऊपर उठने में तो मदद की लेकिन उन्हें मध्यम वर्ग में शामिल नहीं कर सकीं। मध्यम वर्ग में शामिल होने के लिए नियमित रूप से वेतनभोगी रोजगार का होना आवश्यक है।
- छोटे शहरों और बड़े गांवों में नियमित रोजगार का सृजन करना होगा, जहां भारत के गरीब और कमजोर लोग सबसे अधिक हैं। केवल यह ही एक बड़े मध्यम वर्ग का निर्माण कर सकता है।

**III. महिलाओं के लिए उपयुक्त नौकरियों में कमी**

- ऐतिहासिक दृष्टि से, शहरी क्षेत्रों में महिला श्रम शक्ति की भागीदारी दर कम रही है, जो लगभग 20% के आस-पास है।
- 2005 के बाद से बड़ी मात्रा में महिलाओं की ग्रामीण श्रम शक्ति में कमी हुई है।
- महिलाएँ अक्सर ऐसा रोजगार करना चाहती हैं जो
  - ✓ उनके निवास-स्थान के निकट स्थित हों तथा उन्हें अन्य कई कार्य करने की स्वतंत्रता हो। कृषि इसका एक उदाहरण है।
  - ✓ या वे ऐसी नौकरियां करना चाहती हैं जो नियमित वेतन के साथ सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करें, जैसेकि विनिर्माण।

# 2. मानव पूंजी- कौशल विकास

**(Human Capital - Skill Development)**

## 2.1. वर्तमान स्थिति : वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक

**(Present Situation: Global Talent Competitiveness Index)**

- कुशल श्रमशक्ति की भारी कमी और कठिन व्यापारिक परिस्थितियों के कारण भारत रैंकिंग में 11 स्थानों के नुकसान के साथ वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक की सूची में अब फिसलकर 89वें स्थान पर पंहुच गया है। इस सूची में शीर्ष स्थान पर स्विट्जरलैंड है।
- जहां भारत और चीन प्रतिभा के शुद्ध निर्यातक बने हुए हैं, वहीं कई उभरते देश, जिन्होंने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निवेश तो किया है परंतु व्यावसायिक शिक्षा की उपेक्षा की है, इस मामले में पिछड़े हुए हैं।
- गतिशीलता, प्रतिभा विकास की प्रमुख कुंजी है। यदि अंतरराष्ट्रीय गतिशीलता तथा 'प्रतिभा संचलन' (brain circulation)' को प्रोत्साहित नहीं किया जाये तो रचनात्मक प्रतिभा को विकसित नहीं किया जा सकता।
- 200 मिलियन लोग बेरोजगार हैं और लगभग हर 2 नौकरियों में से 1 नौकरी स्वचालित यंत्रों के कारण खतरे में हैं।

## 2.2. मानव पूंजी सूचकांक

**(Human Capital Index)**

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

- हाल ही में, विश्व आर्थिक मंच (WEF) ने मानव पूंजी रिपोर्ट जारी की है।
- मानव पूंजी सूचकांक, शिक्षा, लिंग और कार्य पर WEF की प्रणालीगत पहल के एक भाग के रूप में प्रदत्त ज्ञान उपकरणों (knowledge tools) में से एक है।

**मानव पूंजी सूचकांक क्या है?**

- मानव पूंजी सूचकांक 130 देशों की इस आधार पर रैंकिंग करता है कि वे कितनी भलीभांति विकास कर रहे हैं और अपनी मानव पूंजी क्षमता का कितना बेहतर उपयोग कर रहे हैं।
- मानव पूंजी सूचकांक का प्रयोजन शिक्षा, रोजगार और कार्यबल गत्यात्मकताओं की जटिलता का अभिग्रहण करने हेतु उपकरण के रूप में कार्य करना है, जिससे विभिन्न हितधारकों को बेहतर जानकारी प्राप्त हो सके और तदनुसार वे उचित निर्णय लेने में सक्षम हों।
- यह सूचकांक देश की पूर्ण जनसांख्यिकीय रूपरेखा प्रस्तुत करने के लिए पांच भिन्न-भिन्न आयु समूहों में शिक्षा और रोजगार के परिणामों का मूल्यांकन 0 (सबसे खराब) से 100 (सर्वोत्तम) के पैमाने पर करता है।

**मानव पूंजी सूचकांक और भारत**

- 130 देशों में से भारत को 105वें स्थान पर रखा गया है।
- रिपोर्ट के अनुसार, भारत अपनी मानव पूंजी सम्पदा के केवल 57 प्रतिशत भाग का ही इष्टतम उपयोग कर पाया है। जिससे इसे सूचकांक के सबसे निचले चतुर्थक में उच्च स्थान मिला है।
- भारत की युवा साक्षरता दर अभी भी केवल 90 प्रतिशत (विश्व में 103वाँ स्थान) है।

VISION IAS

- श्रम शक्ति की भागीदारी की दृष्टि से भी भारत काफी निचले स्थान (121वें स्थान) पर है। भारत का विश्व के सर्वाधिक रोजगार लैंगिक अंतराल वाले देशों में से एक होना भी आंशिक रूप से इस परिस्थिति के लिए जिम्मेदार है।
- सकारात्मक पक्ष पर विचार करें तो शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता (39वां स्थान), कर्मचारीवर्ग का प्रशिक्षण (46वां स्थान) एवं कुशल कर्मचारी प्राप्त करने में सरलता (45वां स्थान) के संकेतकों की दृष्टि से भारत ने बेहतर स्थान प्राप्त किया है। इससे पता चलता है कि "देश की प्रगति हेतु प्राथमिक मार्ग देश में उपलब्ध शिक्षा और रोजगार के विभिन्न अवसरों की उपलब्धता का विस्तार करने से निर्मित होता है"।

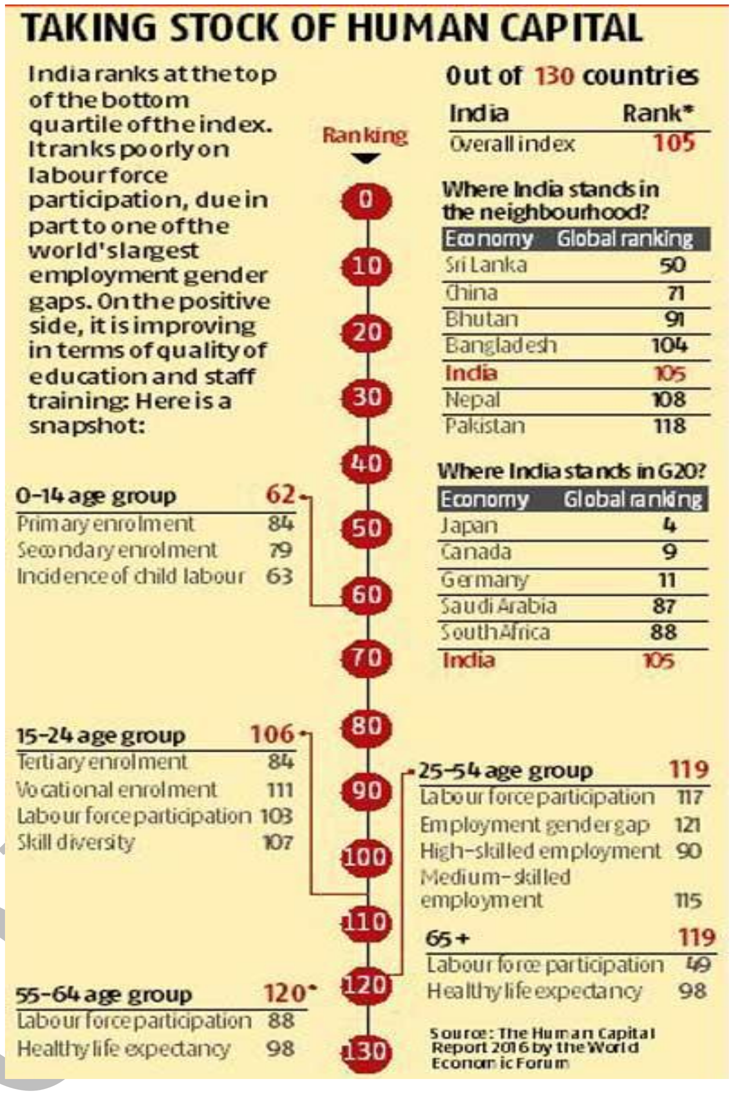


**आगे की राह**

- दीर्घावधिक मानव पूंजी निवेश एवं योजना निर्माण न केवल देश के स्तर पर महत्वपूर्ण है, बल्कि इसके द्वारा लाभ-हानि रहित प्रतिस्पर्धा (zero-sum competition) से परे जाने एवं विश्व के कार्यबल को 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना करने हेतु तैयार करने के लिए, सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राजनीतिक नेतृत्व की मांग में भी निरंतर बढ़ोत्तरी होती जा रही है।
- चौथी औद्योगिक क्रान्ति को सफल बनाने के लिए राष्ट्र की युवा एवं कार्यशील जनसंख्या को शिक्षा और कुशलता से युक्त करने के लिए उद्योग क्षेत्रकों एवं सीमाओं के परे सहयोग की आवश्यकता होगी।

## 2.3. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना

**(Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana)**

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगले चार वर्षों (2016-2020) में एक करोड़ लोगों को कौशल प्रशिक्षण देने के लिए 12000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) को मंजूरी प्रदान की।

**यह क्या है?**

- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY), कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) की फ्लैगशिप योजना है।
- इस कौशल प्रमाणन योजना का उद्देश्य भारतीय युवाओं की एक बड़ी संख्या को उद्योग प्रासंगिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें एक बेहतर आजीविका हासिल करने में सक्षम बनाने हेतु मदद करना है।
- पूर्व में सीखने का अनुभव या कौशल रखने वाले व्यक्तियों का भी आकलन किया जाएगा और उन्हें 'पहले सीखने को मान्यता' (Recognition of Prior Learning) (RPL)' के तहत प्रमाणित किया जाएगा।

**योजना के बारे में**

- **नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क (NSQF)** और उद्योगों द्वारा तय मानदंडों के अनुरूप कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- इस योजना के तहत, तृतीय पक्ष आकलन निकायों (third party assessment bodies) द्वारा प्रशिक्षुओं के आकलन और प्रमाणन के बाद उन्हें **नकद पारितोषिक** दिया जायेगा।

- नकद पारितोषिक औसतन 8000 रूपए प्रति प्रशिक्षु होगा।
- **योग्य लाभार्थी:** इस योजना के उद्देश्यों के अनुरूप, यह योजना भारतीय राष्ट्रीयता वाले किसी भी उम्मीदवार के लिए लागू है, जो :

✓ एक योग्य प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा किसी उपयुक्त क्षेत्र में कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त करे।
✓ अनुमोदित मूल्यांकन एजेंसियों द्वारा इस योजना के शुभारंभ की तिथि से एक वर्ष की अवधि के दौरान प्रमाणित हो।
✓ इस योजना के संचालन अवधि के दौरान प्रथम बार यह नकद पारितोषिक प्राप्त कर रहा हो।

**कार्यान्वयन**

- योजना NSDC प्रशिक्षण भागीदारों के माध्यम से लागू की जाएगी। वर्तमान में NSDC के 187 प्रशिक्षण सहयोगी हैं जिनके 2300 से अधिक केंद्र हैं।
- इसके अलावा, केंद्र / राज्य सरकार से संबद्ध प्रशिक्षण प्रदाताओं को भी इस योजना के तहत प्रशिक्षण के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।
- PMKVY के तहत उन्नत पाठ्यक्रम, बेहतर अध्यापन और बेहतर प्रशिक्षित शिक्षकों पर फोकस किया जायेगा।
- प्रशिक्षण में सॉफ्ट स्किल्स, व्यक्तित्व विकास, साफ-सफाई के लिए व्यवहार में परिवर्तन तथा कार्य स्थल पर नैतिकता को सम्मिलित किया जाएगा।
- सभी प्रशिक्षण केन्द्रों के रिकार्ड का विवरण, प्रशिक्षण केन्द्रों और पाठ्यक्रम की निश्चित गुणवत्ता को सत्यापित और दर्ज करने के लिए कौशल विकास प्रबंधन प्रणाली (SDMS) शुरू की जाएगी।
- जहाँ संभव होगा, बॉयोमीट्रिक प्रणाली और प्रशिक्षण की प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग की व्यवस्था की जाएगी।
- कार्यान्वयन से संबंधित शिकायतों का समाधान करने के लिए एक सशक्त शिकायत निवारण प्रणाली योजना लायी जाएगी।
- राज्य सरकारों, नगर निकायों, पंचायती राज संस्थाओं और समुदाय आधारित संगठनों की भागीदारी के साथ स्थानीय स्तर पर आयोजित कौशल मेलों के माध्यम से गतिशीलता लायी जाएगी।

**मूल्यांकन**

- कौशल प्रशिक्षण की मुख्य विशेषता यह होगी कि यह 2013-17 की अवधि के लिए NSDC द्वारा किए गए कौशल अंतराल के अध्ययन के आधार पर, मूल्यांकन मांग के आधार पर प्रदान किया जाएगा।
- केन्द्र और राज्य सरकारों, उद्योग और व्यावसायिक घरानों से विचार विमर्श कर भविष्य की मांग का आकलन किया जाएगा।
- इस उद्देश्य के लिए एक मांग समूहक मंच (**Demand Aggregator Platform**) बहुत ही जल्द शुरू किया जाएगा।
- कौशल विकास के लक्ष्य निर्धारित करते समय हाल में ही लागू किये गय प्रमुख कार्यक्रमों जैसे कि 'मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन और स्वच्छ भारत अभियान की मांगों को भी ध्यान में रखा जाएगा।
- नई योजना के तहत कौशल प्रशिक्षण में मुख्य रूप से श्रम बाजार में प्रथम बार प्रवेश करने वालों पर जोर होगा और विशेषकर कक्षा 10 और कक्षा 12 के दौरान स्कूल छोड़ गये छात्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

**आगे की राह**

- इस योजना की सफलता जमीनी स्तर पर इसके कार्यान्वयन पर निर्भर करेगी। इसे जमीनी स्तर पर प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न विभागों और मंत्रालयों के बीच सहयोग और समन्वय की जरूरत है।
- प्रमाणित होना बस पहला कदम है, असली समाधान, रोजगार सृजन और कुशल नागरिकों के रोजगार में निहित है। यदि इसे व्यवहार में नहीं लाया गया तो हम जिस जनसांख्यिकीय लाभांश के लक्ष्य को हासिल करने की इच्छा रखते हैं, वह जनसांख्यिकीय आपदा में बदल जाएगा।

## 2.4. MSDE द्वारा भारत में 'अंतरराष्ट्रीय कौशल मानक' का शुभारंभ

### (MSDE has Launched 'Transnational Skill Standards' in India)

- कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) ने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) एवं ब्रिटेन-भारत शिक्षा और अनुसंधान पहल (UKIERI) के साथ भारत में "अंतरराष्ट्रीय कौशल मानक" आरंभ करने की घोषणा की।

**उद्देश्य**

- सरकार की दो प्रमुख पहलों अर्थात "मेक इन इंडिया" और "स्किल इंडिया" को सहयोग प्रदान करना।
- वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त कौशल मानकों के अनुरूप होना।
- 82 चिह्नित रोजगार भूमिकाओं के लिए इन मानकों के मानदण्ड यूनाइटेड किंगडम के अनुसार निर्धारित किए गए हैं।
- भारतीय कौशल मानकों के मानदण्ड निर्धारित करने के लिए यूनाइटेड किंगडम के मानकों को चुना गया है क्योंकि खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) के सभी देशों द्वारा यूनाइटेड किंगडम के कौशल प्रमाणन को मान्यता दी जाती है।
- ये अंतर्राष्ट्रीय मानक, यूनाइटेड किंगडम के मानकों की तुलना में भारतीय मानकों की कमियों को उजागर करेंगे। इन कमियों या अंतरालों को पूरा करने के लिए, प्रवासन करने के इच्छुक व्यक्तियों को **'ब्रिज प्रशिक्षण'** (bridge training) प्रदान किया जाएगा।
- यूनाइटेड किंगडम के फर्दर एजुकेशन कॉलेज (FE), ब्रिज कोर्स के प्रशिक्षण के लिए भारतीय प्रशिक्षण प्रदाताओं के साथ भागीदारी करेंगे। फर्दर एजुकेशन कॉलेजों (FE) द्वारा भारत में चिह्नित क्षेत्रकों में उत्कृष्ट कौशल एकेडमी (Skill Academies of Excellences) की स्थापना की जानी हैं।

## 2.5. 'स्किल बैंक' द्वारा वैश्विक बाजारों के लिए श्रमिकों को प्रशिक्षण

### (Skill Banks to Train Workers for Global Markets)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

उत्तरप्रदेश और बिहार में, सरकार 50 वैश्विक स्किल बैंक (प्रशिक्षण केंद्र) की स्थापना कर रही है। इनमें अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार 110 प्रकार की नौकरियों के लिए समर्थ अप्रवासी श्रमिकों को प्रशिक्षित किया जाएगा।

**उद्देश्य**

- ये प्रशिक्षण केन्द्र, **औषधि और स्वास्थ्य देखभाल, आतिथ्य (हास्पिटैलिटी), IT, निर्माण, ऑटोमोबाइल और खुदरा व्यापार जैसे क्षेत्रों में कौशल प्रदान करेंगे,** जहां रोजगार के अवसर मौजूद हैं या बढ़ने की संभावना है।
- उत्प्रवास से पहले, इन स्किल बैंकों में **प्रशिक्षित युवाओं को संबंधित स्थानीय संस्कृति, कार्यनीति और देश की भाषा से परिचित** कराया जाएगा।
- **भारत को विश्व की "मानव संसाधन राजधानी" बनाना।**

**मूल्यांकन**

- कौशल प्रशिक्षण की मुख्य विशेषता यह होगी कि यह 2013-17 की अवधि के लिए NSDC द्वारा किए गए कौशल अंतराल के अध्ययन के आधार पर मूल्यांकित मांग के आधार पर (on the basis of demand) प्रदान किया जाएगा।
- मांग के मूल्यांकन के लिए केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों/राज्य सरकारों, उद्योग और व्यापार से विचार-विमर्श किया जाएगा।
- इस उद्देश्य के लिए एक मांग समूहक मंच (demand aggregator forum) बहुत ही जल्द शुरू किया जाएगा।
- कौशल विकास के लक्ष्यों को मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, राष्ट्रीय सौर मिशन और स्वच्छ भारत अभियान जैसे हाल के समय में शुरू किये गए अन्य प्रमुख कार्यक्रमों की मांग के अनुरूप संरेखित किया जाएगा।
- PMKVY के तहत कौशल प्रशिक्षण में मुख्य रूप से श्रम बाजार में प्रथम बार प्रवेश करने वालों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा तथा कक्षा 10 और कक्षा 12 में पढ़ाई छोड़ने वाले प्राथमिक लक्ष्य होंगे।
- कौशल बैंक के लिए: उत्तर प्रदेश और बिहार को उसकी उच्च जनसंख्या और विदेशों में रोजगार के लिए अधिकतम प्रवास के रिकॉर्ड की वजह से पहले चयनित किया गया है।

## 2.6. राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना

### (The National Apprenticeship Promotion Scheme)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना (NAPS) को मंजूरी दे दी है। 2019-20 तक 50 लाख प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित करने के लक्ष्य के साथ इस योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

VISION IAS

**महत्व**

- भारत में 3 लाख से भी कम प्रशिक्षु हैं। भारत में करीब 48 करोड़ श्रमिक हैं और प्रति वर्ष एक करोड़ से अधिक श्रमिक इस श्रम बल में सम्मिलित होते हैं, इस हिसाब से प्रशिक्षुओं की संख्या काफी कम है।
- **युवाओं के लिए**: यह उनके रोजगार की स्थिति के साथ-साथ उनके बाजार मूल्य को भी काफी हद तक बढ़ा देगा और साथ ही उनके स्वरोजगार अपनाने की क्षमता में सुधार करेगा।
- **उद्योगों के लिए:** प्रशिक्षुओं के कार्यबल में शामिल होने से उद्योगों को इनके उच्च कौशल, उच्च उत्पादकता और बेहतर व्यावसायिकता से लाभ होगा।
- **सरकार**: सभी कौशल योजनाओं में प्रशिक्षु प्रणाली की प्रभावकारिता सबसे अधिक है।

**पृष्ठभूमि**

- राष्ट्रीय कौशल विकास और उद्यमिता नीति (2015) में निहित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए NAPS को तैयार किया गया है। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय कौशल विकास और उद्यमिता नीति (2015) के एक प्रमुख घटक के रूप में प्रशिक्षुता पर ध्यान केन्द्रित किया गया है।
- NAPS श्रम सुधारों का एक हिस्सा है: सरकार 2014 में ही कारखाना अधिनियम, प्रशिक्षु अधिनियम और श्रम कानूनों में संशोधन कर चुकी है।
- प्रशिक्षु (संशोधन) अधिनियम: इसके द्वारा व्यापार के लिहाज से इकाई-वार (unit-wise) प्रशिक्षुओं के नियमन की पुरानी प्रणाली को ख़त्म कर दिया गया है। अब प्रशिक्षुओं का न्यूनतम लक्ष्य 2.5% और अधिकतम लक्ष्य 10% है। इसके अलावा कारावास और अन्य देनदारियों जैसे दंड संबंधी प्रावधानों को भी हटा दिया गया है।
- प्रधानमंत्री ने हाल ही में प्रशिक्षु पोर्टल शुरू किया है जो कंपनियों, प्रशिक्षुओं और सरकार के लिए एक मंच के रूप में काम करेगा।
- करीब 70% सीटों वाले प्रमुख प्रशिक्षुता पाठ्यक्रमों को और अधिक उद्योग प्रासंगिक और योग्यता आधारित बनाने के लिए उनमें संशोधन किया गया है।

**योजना की मुख्य विशेषताएं**

- एक प्रशिक्षु को देय कुल राशि (stipend payable) के 25 प्रतिशत तथा उनके बुनियादी प्रशिक्षण हेतु वहन किए जाने वाले कुल खर्च के 50 प्रतिशत की राशि भारत सरकार द्वारा सीधे नियोक्ताओं को प्रदान की जाएगी।
- कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) के अंतर्गत प्रशिक्षण महानिदेशक (DGT) द्वारा इस योजना को लागू किया जाएगा।
- MSME क्षेत्र के लिए: यह योजना आंतरिक प्रशिक्षण के लिए बुनियादी ढांचे की अनुपलब्धता की स्थिति में थर्ड पार्टी एजेंसियों को बुनियादी प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करेगी।

## 2.7. संविदा श्रमिकों के लिए मासिक मजदूरी का पुनरीक्षण

### (Revision of Monthly Wages for Contract Workers)

- श्रम मंत्रालय ने संविदा श्रम (नियमन और उन्मूलन) केन्द्रीय नियमावली, 1971 में संशोधन करने का प्रस्ताव किया है और संविदा श्रमिकों के लिए न्यूनतम मासिक मजदूरी को वर्तमान 6000 रु. प्रति माह से बढ़ाकर 10,000 रु. तक करने का प्रस्ताव दिया है।
- यह किसी भी प्रकार का कार्य करने वाले अनुबंध या संविदा श्रमिकों हेतु वैध होगा।
- संभावित सकारात्मक प्रभाव

✓ यह संविदा श्रम (नियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 के तहत कवर किये जाने वाले 60 लाख संविदा श्रमिकों को लाभान्वित करेगा।

✓ NSSO के अनुसार संविदा श्रमिक नियमित श्रमिकों की तुलना में निर्धन हैं।

# समावेशी वृद्धि एवं विकास

(INCLUSIVE GROWTH AND DEVELOPMENT)

# 1. गरीबी व असमानता

## 1.1 असमानता पर ऑक्सफाम की रिपोर्ट

(OXFAM Report on Inequality)

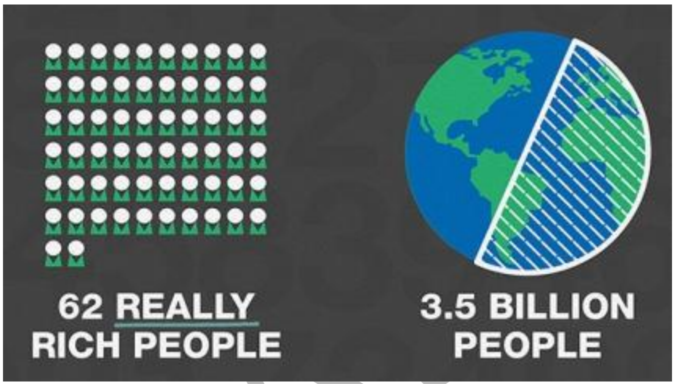


गरीबी उन्मूलन के लिए कार्य करने वाली धर्मार्थ संस्था 'ऑक्सफाम इंटरनेशनल' ने "An Economy for the 1%" शीर्षक से अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की है।

**रिपोर्ट के मुख्य बिन्दु:**

- सन 2000 से विश्व की आधी सर्वाधिक गरीब जनसंख्या को वैश्विक सम्पति की कुल वृद्धि का सिर्फ 1% प्राप्त हुआ है, जबकि इस वृद्धि का 50% शीर्ष 1% जनसंख्या को प्राप्त हुआ है।
- 62 व्यक्तियों की कुल संपत्ति 3.6 अरब व्यक्तियों की कुल सम्पति के बराबर है।
- विश्व बैंक के एक पूर्वानुमान के अनुसार यदि गरीबों के उत्थान के लिए चलाये जाने वाले कार्यक्रमों के परिणाम शीघ्र दिखाई नहीं दिए, तो 2030 तक लगभग 50 करोड़ लोग बेहद गरीबी में ही जीने को विवश होंगे।
- असमानता, पूरे विश्व में आर्थिक संवृद्धि और सामाजिक एकजुटता के लिए भी चुनौती उत्पन्न करती है।

**असमानता को कम करने के लिए रिपोर्ट में दिए गए सुझाव:**

- समृद्ध लोगों के प्रभाव को कम करना तथा जिन लोगों को वर्तमान में सत्ता संरचना से बाहर रखा गया है, उन्हें सशक्त करना।
- श्रमिकों हेतु रिपोर्ट में जीवन निर्वाह मजदूरी की दिशा में न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि करने, वेतन अनुपात में पारदर्शिता को बढ़ावा देने तथा यूनियन एवं हड़ताल करने के लिए मजदूरों के अधिकारों की रक्षा करने के संबंध में सुझाव दिए गए हैं।
- टैक्स हैवन्स, जो अमीरों को अमीर बने रहने की वैध अनुमति देता है, की संकल्पना को अन्यायपूर्ण घोषित करते हुए समाप्त करना।
- विभिन्न देशों की सरकारों को दुनिया भर में कर (TAX) की एक पारदर्शितापूर्ण प्रणाली विकसित करने की दिशा में काम करना चाहिए।

## 1.2. विश्व बैंक की रिपोर्ट- 'गरीबी की समाप्ति, समृद्धि को साझा करना'

(World Bank Report 'Ending Extreme Poverty, Sharing Prosperity)

- विश्व बैंक ने वैश्विक गरीबी रेखा में संशोधन किया है। इसे पूर्व के नियत प्रतिदिन $ 1.25 के स्थान पर, वर्ष 2011 के क्रय शक्ति समता (PPP) के आंकड़ों के आधार पर 2015 में $ 1.90 प्रतिदिन कर दिया गया है।
- 2012 और 2013 के बीच प्रतिदिन $1.90 से कम में गुजारा करने वाले लोगों की संख्या 100 मिलियन से बढ़कर 767 मिलियन हो गयी।
- पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र में गरीबी की दर 3.5% तक गिर गई है- इस क्षेत्र में चीन भी सम्मिलित है। इसी प्रकार भारत समेत दक्षिण एशिया में 15% गरीबी है, तथा उप-सहारा अफ्रीका क्षेत्र में गरीबी की दर 41% तक है।
- विभिन्न चिंताओं द्वारा प्रेरित भूमंडलीकरण के खिलाफ बढ़ती हुई इस प्रतिक्रिया के बीच कि अमीरों ने मुक्त व्यापार के लाभ पर नियंत्रण कर लिया है, विश्व बैंक ने कहा कि वैश्विक असमानता 1990 के बाद से लगातार कम हुई है।

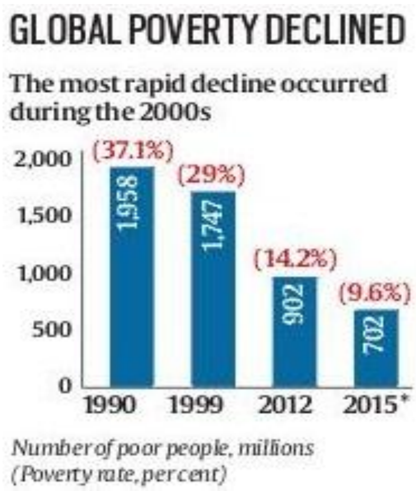


VISION IAS

- इस अंतराल का कम होना विश्व के सबसे बड़े विकासशील देशों, विशेष रूप से चीन और भारत में तेजी से विकास पर निर्भर करता है।
- गरीबी समाप्त करने के लिए हमें सबसे गरीब तबके के विकास हेतु काम करना चाहिए और ऐसा करने के लिए सबसे सही तरीकों में से एक उच्च असमानता को कम करना है, विशेष रूप से उन देशों में जहां अधिक संख्या में गरीब लोग रहते हैं।

**विश्व बैंक के अनुसार असमानता से निपटने के लिए छह बिंदुओं पर केंद्रित दृष्टिकोण की आवश्यकता है-**

- बचपन की आरंभिक अवस्था में बेहतर पोषण पर केन्द्रित कार्य
- सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज
- अच्छे स्कूलों तक सार्वभौमिक पहुँच
- गरीब परिवारों को नकद हस्तांतरण
- बेहतर सड़कें और विद्युतीकरण
- अमीर से गरीब के लिए संसाधनों के हस्तांतरण के लिए प्रगतिशील कराधान।

## 1.3. भारतीय दृष्टिकोण

### (Indian Perspective)

- विश्व बैंक द्वारा प्रयुक्त, संशोधित मिश्रित संदर्भ अवधि (modified mixed reference period-MMRP) के अनुसार 2011-12 में भारत में गरीबी केवल 12.4 प्रतिशत हो सकती है।
- यह कहा जा रहा है कि भारत अपने यहां गरीबों की संख्या का अधिमूल्यांकन (वास्तविक संख्या से अधिक समझना) करता रहा है।
- विश्व बैंक ने आंकड़ों के संग्रहण के लिए एक नई विधि का इस्तेमाल किया है, जिसे संशोधित मिश्रित संदर्भ अवधि (MMRP) कहा जाता है।
- यद्यपि वर्ष 2012 में भारत में गरीबों की संख्या सबसे अधिक थी, फिर भी गरीबों की अत्यधिक जनसंख्या वाले देशों की तुलना में भारत की गरीबी दर सबसे कम थी।
- सरकार के अनुमान (रंगराजन) के अनुसार भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले 224 मिलियन लोग कुल जनसंख्या का 30 फीसदी थे।
- भारत में गरीबी रेखा के आस-पास रहने वाले लोगों की संख्या काफी अधिक है, इसलिए गरीबी अनुमान जो कि सर्वेक्षण की आकलन अवधि (रिकॉल पीरियड) पर निर्भर करता है, काफी भिन्न हो जाता है।

**गरीबी पर विश्व बैंक और रंगराजन समिति की रिपोर्ट की तुलना**

| | **भारतीय आकलन/अनुमान** | **विश्व बैंक की रिपोर्ट** |
|---|---|---|
| **गरीबी की दर** | यह रंगराजन समिति द्वारा **29.5%** और तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट में **21.9%** आंकी गई थी। | विश्व बैंक का अनुमान है कि यह सिर्फ **12.4%** ही है |
| **गरीबी रेखा** | क्रय शक्ति समता के संदर्भ में रंगराजन समिति द्वारा यह 2.44 डॉलर प्रति दिन प्रति व्यक्ति है | विश्व बैंक ने MMRP विधि का प्रयोग किया है। विश्व बैंक ने वैश्विक गरीबी रेखा में संशोधन करके इसे 1.90 डॉलर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कर दिया है। |
| **प्रयुक्त पद्धति** | भारत में डाटा एकत्रित करने के दो मुख्य तरीके हैं: समान संदर्भ अवधि (Uniform Reference Period ) और मिश्रित संदर्भ अवधि (Mixed Reference Period ) | विश्व बैंक ने संशोधित मिश्रित संदर्भ अवधि पद्धति का इस्तेमाल किया है। ऐसा अनुमान है कि यह पद्धति उपभोग व्यय का एक अधिक सटीक आकलन प्रदान करती है। |
| **गरीबी की गहनता** | भारत में इसे अलग तरीके से आकलित किया जाता है – गरीबी रेखा के लिए विभिन्न कसौटियों के अनुसार गरीबी अनुपात का निर्धारण किया जाता है। | विश्व बैंक के इस रिपोर्ट में गरीबी के आकलन हेतु पर्सन-एक्वीवेलेंट हेडकाउंट्स (व्यक्तियों की गिनती) पर फोकस किया जाता है। |
| **गरीबी के आयाम** | हम गरीबी के अनुमानों के लिए **एक-आयामी दृष्टिकोण को इस्तेमाल** करते आये हैं | विश्व बैंक रिपोर्ट लोगों द्वारा **अनुभव किये जाने वाले कई आयामों को समझने के महत्व पर जोर** देती है |

VISION IAS

**संशोधित मिश्रित संदर्भ अवधि (MMPR) क्या है?**

- इस विधि में कुछ खाद्य पदार्थों के लिए 30 दिन के बजाय केवल 7 दिन के आंकड़े एकत्र किये जाते हैं।
- कुछ कम आवृत्ति वाली वस्तुओं के लिए 30 दिन के बजाय एक 1 वर्ष के आंकड़े एकत्र किये जाते हैं।
- कम आवृत्ति वाली वस्तुओं में स्वास्थ्य, शिक्षा, वस्त्र, आदि पर होने वाला खर्च सम्मिलित है।

**आगे की राह**

- भारत के सन्दर्भ में विश्व बैंक की नई गरीबी दर 12.4% के आकलन का यह मतलब नहीं है कि अधिकांश भारतीय अचानक समृद्ध हो गए हैं। वस्तुतः यह उन आंकड़ों के संग्रहण पर आधारित है जिसके आधार पर गरीबी दर का निर्धारण किया जाता है।
- वस्तुतः भारत में गरीबों की ज्यादातर संख्या गरीबी रेखा के आस-पास रहती है | इससे अलग-अलग आकलनों में गरीबो की वास्तविक संख्या में भिन्नता आती है। इसका कारण यह है कि विभिन्न आकलन विधियाँ अलग-अलग मानकों का प्रयोग करती हैं।
- विकास की गति और तरीके का गरीबी अनुपात को कम करने पर महत्वपूर्ण प्रभाव होता है, लेकिन नीति-निर्माताओं को दोहरी रणनीति अपनानी चाहिए - पहला, अर्थव्यवस्था का तीव्र विकास और दूसरा, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के माध्यम से गरीबी को अप्रत्याशित रूप से कम करना।
- आगे चलकर MMPR आधारित अनुमान (जो कि भारत के लिए वर्तमान में 12.4% है) द्वारा भारत और वैश्विक गरीबी के लिए एक आधार रेखा निर्धारित करने की उम्मीद है।

### 1.3.1. गरीबी मापनः नीति आयोग कार्यबल

**(Measuring Poverty: NITI Aayog Task Force)**

- अरविंद पनगढ़िया की अध्यक्षता में नीति आयोग द्वारा नियुक्त एक टास्क फोर्स ने निम्न गरीबी रेखा (low poverty line) की बात कही है।
- टास्क फोर्स ने अन्य हितधारकों से विचार करके गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए चार विकल्प प्रस्तावित किये हैं।

**ये चार विकल्प हैं:**

✓ तेंदुलकर समिति की गरीबी रेखा को जारी रखना।
✓ रंगराजन समिति या अन्य उच्च ग्रामीण या शहरी गरीबी रेखा को अपनाना।
✓ निचली 30 % आबादी के उत्थान पर अधिक समय तक ध्यान केन्द्रित करना।
✓ गरीबी के विशिष्ट घटकों जैसे पोषण, आवास, पेयजल, साफ-सफाई, बिजली और कनेक्टिविटी के साथ गरीबो के उत्थान पर ध्यान देना।

- नीति आयोग तेंदुलकर समिति की गरीबी रेखा के पक्ष में है, जिसने गरीबी अनुपात 21.9% निर्धारित किया था; जबकि रंगराजन समिति ने 29.5% पर तुलनात्मक रूप से उच्च गरीबी अनुपात निर्धारित किया था।
- तेंदुलकर समिति की गरीबी रेखा के मानदंड को अपनाने पर बहुत से गरीब गरीबी रेखा से बाहर हो जायेंगे, इसलिए ऐसी आलोचना से बचने के लिए नीति आयोग ने कहा है कि गरीबी रेखा का प्रयोग गरीबों की पहचान कर उन्हें मदद देने के लिए नहीं बल्कि गरीबी से मुकाबले में उनकी प्रगति पर निगाह रखने के लिए किया जाएगा।
- गरीबों को उनके अधिकार देने के लिए सक्सेना और हाशिम समिति द्वारा सुझाये गए सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना के आंकड़ों का इस्तेमाल किया जाएगा।

# 2. समावेशी वृद्धि: विकास मापन

**(Inclusive Growth: Development Measurement)**

## 2.1. सामाजिक प्रगति सूचकांक (SPI)

**(Social Progress Index [SPI])**

**सामाजिक प्रगति सूचकांक क्या है?**

यह सामाजिक और पर्यावरण संकेतकों का एक समग्र सूचकांक है जो सामाजिक प्रगति के 3 आयामों पर आधारित है:

- मानव की बुनियादी आवश्यकतायें,

VISION IAS

- खुशहाली के आधारस्तम्भ (Foundations of Wellbeing) और
- अवसर

यह किसी देश द्वारा किए गए प्रयास के बजाय सफलता के परिणामों का उपयोग कर सामाजिक प्रगति को मापता है।

**अन्य सूचकांकों की सीमायें**

1. **सकल घरेलू उत्पाद (GDP):** सकल घरेलू उत्पाद एक राष्ट्र की आर्थिक प्रगति को मापता है, पर इसमें गैर-बाजार गतिविधियाँ जैसे घर की बागवानी, माँ द्वारा बच्चे का ख्याल रखना आदि शामिल नहीं है। इसमें पर्यावरण, खुशी, समानता, न्याय तक पहुँच जैसे कारक भी शामिल नहीं हैं।
2. **गिनी गुणांक:** यह नागरिकों के बीच आय असमानताओं को मापता है, लेकिन स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य सामाजिक लाभ जैसे अन्य पहलुओं की उपेक्षा करता है।
3. **सकल खुशी सूचकांक:** यह मूल रूप से भूटान द्वारा विकसित किया गया है। यह खुशी के स्तर को मापता है लेकिन लिंग समानता, शिक्षा की गुणवत्ता और बुनियादी ढांचा जैसे तत्वों पर ध्यान नहीं देता। इसके अलावा खुशी के अर्थ में व्यक्तिपरकता के कारण इसे अंतरराष्ट्रीय तुलना के लिए भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।
4. **मानव विकास सूचकांक:** इसमे जीवन प्रत्याशा, स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष, स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष और जीवन स्तर शामिल है, लेकिन यह धन के असमान वितरण, पर्यावरण और ढांचागत विकास में कमी को नहीं मापता।

**SPI के उपयोग के लाभ**

1. यह खर्च किये हुए पैसे या प्रयासों के बजाय **परिणाम पर आधारित** है।
2. यह अन्य संकेतकों की तुलना में अधिक **व्यापक** है।
3. यह **सभी देशों के लिए प्रासंगिक** है क्योंकि यह सामाजिक प्रगति का एक समग्र मापदंड प्रस्तुत करता है। इसलिए यह अंतरराष्ट्रीय तुलना के लिए उपयुक्त हो सकता है।
4. यह समुचित नीति बनाने में मदद कर सकता है, क्योंकि यह जमीनी स्तर पर सुधार को मापता है।
5. यह सतत विकास लक्ष्यों के साथ ताल-मेल बनाता है और उन्हें हासिल करने में मदद करता है
6. यह 3 मौलिक स्तंभों पर आधारित है: अस्तित्व के लिए बुनियादी जरूरतें; जीवनशैली में सुधार करने हेतु बिल्डिंग ब्लॉक्स तक पहुँच, और लक्ष्यों और आकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए अवसर का उपयोग करना।

**देशों की रैंकिंग**

1. शीर्ष 3 देश हैं: नॉर्वे (88.36), स्वीडन (88.06) और स्विट्ज़रलैंड (87.97)।
2. 53.06 के स्कोर के साथ भारत 133 देशों की सूची में 101 वें स्थान पर है।

**निष्कर्ष**

यह सूचकांक एक देश की सामाजिक प्रगति को मापने का अब तक का सबसे व्यापक तरीका है और यह आर्थिक संकेतकों से भी स्वतंत्र है। इसलिए यह सामाजिक प्रगति और आर्थिक विकास के बीच संबंधों को मापने का अवसर भी देता है। इस प्रकार इसे सकल घरेलू उत्पाद के एक पूरक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।

VISION IAS

**मध्य प्रदेश में खुशहाली मंत्रालय**

**(Ministry of Happiness in Madhya Pradesh)**

- मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राज्य की प्रगति और संवृद्धि को मापने के लिए एक 'खुशहाली मंत्रालय' की घोषणा की है।
- राज्य को अपने नागरिकों की खुशहाली और सहिष्णुता के लिए जिम्मेदार बनाया जाएगा।
- 'सदैव खुश कैसे रहा जाए' इस संबंध में लोगों को परामर्श प्रदान करने के लिए मनोवैज्ञानिकों को आमंत्रित करने का भी प्रस्ताव उन्होंने दिया है।
- अन्य उदाहरण: भूटान में समृद्धि का मापन नागरिकों की खुशहाली का आंकलन करके किया जाता है। इसे लोकप्रिय रूप से सकल राष्ट्रीय खुशहाली के रूप में जाना जाता है।

## 2.2. वैश्विक दासता सूचकांक:

**(Global Slavery Index 2016)**

हाल ही में, ऑस्ट्रेलिया आधारित वॉक फ्री फाउंडेशन (Walk Free Foundation) ने वैश्विक दासता सूचकांक 2016 प्रकाशित किया है।

**आधुनिक दासता (Modern Slavery) क्या है?**

हालांकि इसकी परिभाषाएँ भिन्न-भिन्न हैं, इस रिपोर्ट के अनुसार आधुनिक दासता ऐसी स्थिति को दर्शाता है जहाँ एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीन लिया जाता हो। द्रष्टव्य है कि अपने शरीर की गतिविधियों पर अपना नियंत्रण, किसी निश्चित कार्य करने की या कार्य करना बंद करने की स्वन्त्रता आदि कुछ ऐसी स्वतंत्रताएं हैं जिनको छीन लेने का अर्थ उस व्यक्ति का शोषण है।

**रिपोर्ट के मुख्य बिंदु**

- इसका अनुमान है की विश्व में 45.8 मिलियन लोग किसी न किसी रूप में आधुनिक दासता से ग्रसित हैं।
- 35.8 मिलियन लोगों के दासता से ग्रस्त होने का अनुमान व्यक्त करने वाली वर्ष 2014 की रिपोर्ट की तुलना में इस रिपोर्ट में दासता से ग्रस्त लोगों की संख्या 30 प्रतिशत ज्यादा है।
- उत्तर कोरिया, उज्बेकिस्तान, कम्बोडिया, भारत और क़तर ऐसे देश हैं जहाँ पर आधुनिक दासता की व्यापकता उनकी जनसंख्या के अनुपात में सबसे ज्यादा है।
- आधुनिक दासता से ग्रसित सबसे ज्यादा लोगों की संख्या वाले देश भारत (18.35 मिलियन), चीन (3.39 मिलियन), पाकिस्तान (2.13 मिलियन), बांग्लादेश (1.53 मिलियन) और उज्बेकिस्तान (1.23 मिलियन) हैं।
- **कारक:** आधुनिक दासता के प्रति सुभेद्यता; अधिकारों के संरक्षण, शारीरिक रक्षा और सुरक्षा, भोजन, पानी और स्वास्थ्य जैसी जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं तक पहुँच होने या न होने, तथा प्रवसन, विस्थापन और संघर्ष के प्रतिरूपों जैसे विभिन्न कारकों की जटिल अंतर्क्रिया से प्रभावित होती है |

**सरकार की कार्रवाई और प्रतिक्रिया**

- रिपोर्ट में कहा गया है कि जब भारत में किसी भी अन्य देश की तुलना में अधिक लोगों को गुलाम बनाया गया था, इसने समस्या से निपटने के उपायों को लाने में महत्वपूर्ण प्रगति की थी।
- इसने तस्करी, गुलामी, बेगार, बाल वेश्यावृत्ति और जबरन शादी को अपराध घोषित किया है।
- पुनः अपराध करने वाले अपराधियों के लिए अधिक कठोर सजा के प्रावधान के साथ भारत सरकार वर्तमान में मानव तस्करी के खिलाफ कानून को सशक्त कर रही है।
- यह पीड़ितों को संरक्षण और रिकवरी में सहयोग प्रदान करेगा।

# 3. समावेशी विकास: सामाजिक कार्यक्रम

**(INCLUSIVE GROWTH: SOCIAL PROGRAMMES)**

## 3.1. अटल पेंशन योजना (APY)

**(ATALPension Yojna [APY])**

**हाल में हुए बदलाव**

- सरकार ने मूल ग्राहक/अंशदाता के 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, शेष निहित अवधि के लिए अंशदाता के APY खाते में अंशदान जारी रखने के लिए अंशदाता के पति या पत्नी को योगदानकर्ता बनाने का विकल्प देने का निर्णय लिया है।
- अंशदाता का पति या पत्नी अपनी मृत्यु तक मूल अंशदाता के जितना ही पेंशन राशि प्राप्त करने का/की हकदार होगा/होगी।

**पृष्ठभूमि**

- योजना, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के बीच लंबी उम्र के जोखिम के समाधान के लिए और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को स्वेच्छा से अपनी सेवानिवृत्ति के लिए बचत को प्रोत्साहित करने हेतु लायी गयी है।
- NSSO के 2011-12 के, 66 वें दौर के सर्वेक्षण के अनुसार, असंगठित क्षेत्र में 47.29 करोड़ श्रमिक हैं, जो कुल श्रम शक्ति का 88% हैं और इनके लिए किसी भी औपचारिक पेंशन योजना का प्रावधान नहीं है|
- अटल पेंशन योजना में, असंगठित क्षेत्र के, उन सभी नागरिकों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा जो पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा प्रशासित नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में शामिल हैं और जो किसी भी वैधानिक सामाजिक सुरक्षा योजना के सदस्य नहीं हैं।
- शामिल होने और अंशदान अवधि की उम्र: APY में शामिल होने के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष है और अधिकतम उम्र 40 वर्ष है। इसलिए अटल पेंशन योजना के तहत ग्राहक द्वारा योगदान की न्यूनतम अवधि 20 साल या उससे अधिक होगी।

**अटल पेंशन योजना से लाभ:** यदि कोई, इस योजना में शामिल होता है और 18 साल से 40 साल की उम्र के बीच योगदान देता है तो उसे 1000 से 5000 रुपये के बीच,निश्चित पेंशन मिलेगी। योगदान के स्तर अलग-अलग हो सकते हैं और अगर ग्राहक जल्दी शामिल होता है, तो उससे अधिक पेंशन मिलेगी और अगर वह देर से शामिल होता है तो उसे कम पेंशन मिलेगी।

**अटल पेंशन योजना हेतु अनुदान:** सरकार निम्नलिखित सुविधाएँ प्रदान करेगी-

- ग्राहकों के लिए, निश्चित पेंशन की गारंटी।
- पात्र लाभार्थियो को, उनके योगदान का, 50% या 1000 रूपए सालाना, जो भी कम हो, सह-योगदान के रूप में सरकार देगी।
- सरकार अटल पेंशन योजना में शामिल होने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए योगदान संग्रह एजेंसियों को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ प्रचार और विकास गतिविधियों में हुए व्यय की प्रतिपूर्ति करेगी।

## 3.2. केंद्र और राज्य दोनों द्वारा DBT को विस्तारित किये जाने का विषय-क्षेत्र

### (Scope of DBT to be Enlarged by Both Centre and States)

- DBT (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण) के माध्यम से केरोसिन सब्सिडी के सीधे अंतरण को कार्यान्वित करने की केंद्र सरकार की योजना है।
- केरोसीन सब्सिडी में DBT को क्रियान्वित करने के लिए राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को प्रोत्साहन देने के लिए यह फैसला किया गया कि राज्यों को पहले दो वर्षों के दौरान सब्सिडी बचत का 75 फीसदी नकदी प्रोत्साहन दिया जाएगा, तीसरे वर्ष 50 फीसदी नकदी प्रोत्साहन दिया जाएगा तथा चौथे वर्ष 25 फीसदी नकदी प्रोत्साहन दिया जाएगा।
- इस योजना के तहत उपभोक्ता को बाजार मूल्य पर केरोसिन खरीदना आवश्यक होगा। उसके बाद सब्सिडी की राशि उनके बैंक खाते में हस्तांतरित कर दी जाएगी।

**DBT के माध्यम से केरोसिन सब्सिडी के लाभ**

- वर्तमान लीकेज की रोकथाम
- बेहतर लक्ष्यीकरण
- भ्रष्टाचार में कमी और वितरण में पारदर्शिता को बढ़ावा
- यद्यपि DBT के माध्यम से आर्थिक सहायता दी जाएगी, फिर भी बाजार मूल्य पर भुगतान उपभोक्ताओं में केरोसिन की नैतिक खपत की भावना को बढ़ावा देगा।

**DBT के माध्यम से केरोसिन सब्सिडी में आ रही बाधाएं**

- प्रत्येक पात्र परिवार के लिए सब्सिडी की मात्रा का निर्धारण एक जटिल कार्य होगा।
- लक्ष्यीकरण - लाभार्थी (समावेशन और निष्कासन त्रुटियाँ) की पहचान।
- अत्यधिक सब्सिडी युक्त केरोसिन, ऊर्जा के स्वच्छ विकल्पों यथा सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिये जाने के लिए बहुत कम गुंजाइश छोड़ता है।
- भविष्य में सब्सिडी का आकार घटाना एक राजनीतिक लोक लुभावना एजेंडा बन जाएगा।

**केरोसिन सब्सिडी वितरण का वर्तमान तंत्र**

- वर्तमान में केंद्र सरकार, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को (उपभोग के लिए) रियायती दर पर केरोसिन की निश्चित मात्रा का आवंटन करती है|
- इसके बाद राज्य सरकारें, राज्य प्रशासित उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से केरोसिन का वितरण करती हैं |

## 3.3. समावेशी वृद्धि: निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व

(Inclusive Growth: CSR)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

- कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 को प्रभाव में आए हुए एक साल से अधिक का समय बीत चुका है। उल्लेखनीय है कि इसे भारत में निगमित सामाजिक दायित्व (CSR) के दृष्टिकोण में बदलाव लाने के लिए के लिए लाया गया था।

**भारत में CSR के प्रावधान**

- 2013 के कंपनी अधिनियम के तहत **कंपनियों को उनके पिछले 3 वर्षों के औसत निवल लाभ का कम से कम 2% CSR गतिविधियों पर खर्च करना** पड़ता है।
- इस अधिनियम के अंतर्गत कंपनियों से यह आशा की गयी है कि वे जिस प्रकार अपने <u>व्यवसाय के संचालन हेतु अपनी व्यवसायिक सूझबूझ तथा मूल दक्षताओं</u> का उपयोग करते हैं, ठीक उसी तरह से वे सामाजिक मुद्दों को भी संबोधित करें।
- कंपनी अधिनियम 2013, दो या अधिक कंपनियों को एक पृथक क़ानूनी इकाई का प्रयोग करते हुए एक साथ कार्य करने की अनुमति प्रदान करता है।

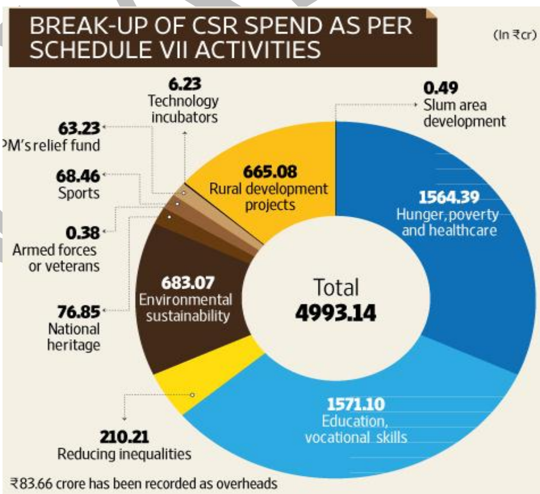


**मुख्य बिन्दु**

- कंपनियों के CSR बजट में चरघातांकीय वृद्धि हुई है।
- पिछले वर्ष CSR के माध्यम से **शिक्षा को बढ़ावा देने और गरीबी उन्मूलन संबंधी गतिविधियों के लिए अधिकतम धन** प्राप्त हुआ।
- केवल उपभोक्ता वस्तुओं वाली कंपनियाँ ही वार्षिक लाभ के 2% की अनिवार्य खर्च की सीमा से अधिक खर्च कर पायी हैं।
- अधिकतर कंपनियों ने जिन्होंने सामाजिक जुड़ाव कार्यकर्मों को लागू किया, ने निगमित सामाजिक दायित्व को उसी रूप में नहीं लिया जिस रूप में वे अपने मुख्य व्यापारिक कार्यों को लेते हैं।

**कंपनियों के समक्ष चुनौतियाँ:**

- इस कानून के तहत किस प्रकार के कार्यकलापों को संपन्न करने की अनुमति है, इसके विनियमन में **अस्पष्टता विद्यमान** है,
- क्षेत्रक और उद्योग के सर्वोत्तम कार्यप्रणाली (best practices) के बारे में जानकारी की कमी,
- इसके तहत किये जाने वाले कार्यों को कार्यान्वित करने वाली ऐसी संस्थाओं की कमी है, जिनमें कंपनियों के साथ काम करने की क्षमता है।
- नए CSR नियमों के कार्यान्वयन के पहले वर्ष में सामने आने वाली एक स्पष्ट चुनौती है- प्रभाव आकलन।

**आगे की राह**

- सरकार को CSR कानून का उपयोग कंपनियों को अर्थपूर्ण ढंग से विकास के क्षेत्र में संलग्न करने के लिए करना चाहिए।
- एक ऐसी कार्य योजना का निर्माण किया जाना चाहिए जो दीर्घावधि और प्रभावी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी की सुविधा को सुगम बनाए।
- कार्यक्रमों और पहलों की सफलता को समझने के लिए प्रभाव आकलन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- यदि हितधारक एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझ नहीं पाते है या एक दूसरे की मूल दक्षताओं का लाभ उठाने में असमर्थ रहते हैं या ज्ञान साझा करने और सहयोग के लिए सही कार्य योजना बनाने के लिए क्षमता निर्माण को प्रेरित करने में असफल होते हैं तो CSR क़ानून अपने उद्देश्यों में असफल साबित होगा।

VISION IAS

# सरकारी बजट प्रक्रिया

(GOVERNMENT BUDGETING)

# 1. राजकोषीय नीति

## 1.1. केंद्र पर राज्यों का 80,000 करोड़ रुपये बकाया: CAG रिपोर्ट

(Centre Owes Rs. 80,000 Crore to States: CAG Report)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

- CAG की रिपोर्ट के निष्कर्षों का अधिकांश राज्यों के वित्त पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना है।
- रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र पर राज्यों का 80,000 करोड़ रुपये से अधिक का बकाया है।

**पृष्ठभूमि**

- संविधान के **अनुच्छेद 279** के अनुसार, CAG निवल प्राप्ति (net proceeds) (संग्रह की लागत को कम करके किसी कर या ड्यूटी की प्राप्ति ) को प्रमाणित करने के लिए आवश्यक प्राधिकरण होगा तथा इस प्राधिकरण का प्रमाण पत्र अंतिम होगा। "
- वित्त मंत्रालय ने 80वें संविधान संशोधन के कारण 1996-97 से पूर्व दिनांकित करों की शुद्ध आय हेतु CAG प्रमाण पत्र के लिए अनुरोध किया था।
- केंद्र और राज्यों के बीच केंद्रीय करों और शुल्कों(duties) से प्राप्त आय को साझा करने के लिए एक वैकल्पिक तरीका निर्धारित करने हेतु 10वें वित्त आयोग की सिफारिशों के परिणामस्वरूप 80वें संविधान संशोधन के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ।

**रिपोर्ट की टिप्पणियां**

- CAG की रिपोर्ट के अनुसार, 'निवल प्राप्ति ' के प्रमाणीकरण के दौरान यह पता चला है कि **1996-97 से 2014-15** की अवधि के दौरान राज्यों को **81,647.70 करोड़ रुपये** कम दिए गए।
- इस रहस्योद्घाटन से अधिकांश राज्यों के वित्त प्रभावित होंगे तथा उनमें से कई को कुछ हजार करोड़ रुपयों का लाभ हो सकता है।

**आगे की राह**

- केंद्र को CAG की इस रिपोर्ट का त्वरित संज्ञान लेना चाहिए और लंबित बकाया राशि के भुगतान की दिशा में तुरंत कार्य करना चाहिए।
- राज्य इस अतिरिक्त धन का, अपनी विकास आवश्यकताओं के अनुसार उपयोग कर सकते हैं।
- भविष्य में इस तरह की गलतियों से बचने पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। हस्तांतरण की प्रक्रिया पारदर्शी और कुशल होनी चाहिए।

## 1.2. सातवाँ वेतन आयोग

(The Seventh Pay Commission)

- सातवें वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्री को सौंप दी है। आयोग की अध्यक्षता न्यायमूर्ति अशोक कुमार माथुर ने की।
- स्वीकृत होने के बाद आयोग की सिफारिशों से 47 लाख कार्यरत सरकारी कर्मचारी तथा 52 लाख पेंशनभोगियों सहित सुरक्षाकर्मी भी लाभान्वित होंगे।

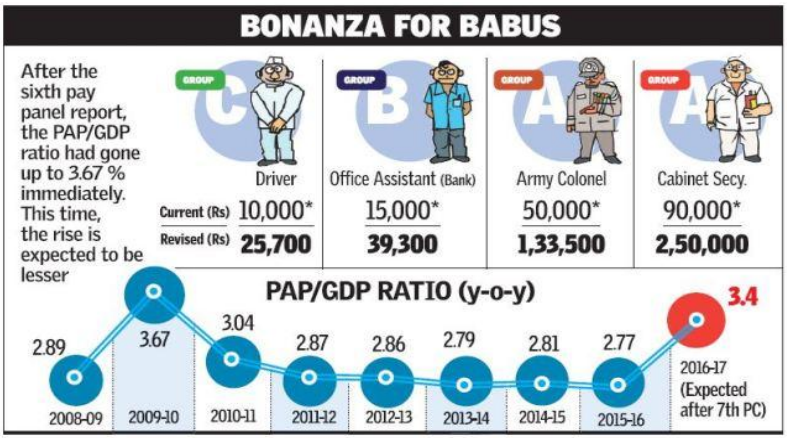


**वेतन आयोग क्या है?**

- वेतन आयोग का गठन भारत सरकार द्वारा नियमित अंतराल पर किया जाता है। यह भारत सरकार के सिविल एवं सैन्य विभागों के वेतन-प्रारूप में बदलाव के मद्देनजर अपनी सिफारिशें देता है।
- पहले वेतन आयोग का गठन 1956 में किया गया था, तब से, प्रत्येक दशक में आयोग का गठन किया जाता है।

VISION IAS

**7वें वेतन आयोग के मुख्यबिंदु**

- वेतन एवं भत्तों में 23.55 प्रतिशत बढ़ोत्तरी की सिफारिश।
- सिफारिशों का क्रियान्वयन 1 जनवरी 2016 से प्रभावी होगा।
- **18000 रुपये प्रतिमाह न्यूनतम व 2.25 लाख रुपये अधिकतम वेतन निर्धारित।**
- **वार्षिक वेतन-वृद्धि दर 3 प्रतिशत पर कायम।**
- **पेंशन में 24 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी।**
- सेना में OROP की तर्ज़ पर अन्य सरकारी कर्मियों के लिए भी वन रैंक वन पेंशन की सिफारिश।
- **आनुतोषिक (gratuity) की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रूपये;** जब भी DA (महंगाई भत्ता) में 50% की बढ़ोत्तरी होगी आनुतोषिक की सीमा 25 प्रतिशत बढ़ायी जायेगी।
- कैबिनेट सचिव का वेतन वर्तमान रु 90,000 प्रतिमाह से बढ़ाकर रु. 2.25 लाख प्रतिमाह।
- सैन्य सेवा वेतन(MSP), जो सैन्य सेवाओं के विभिन्न पहलुओं की एवज में मिलता है, सिर्फ रक्षा सेना कर्मियों को मिलेगा।
- सशस्त्र बल में शार्ट सर्विस कमीशन वाले अधिकारी 7-10 वर्ष के सेवाकाल के दौरान कभी भी स्वेच्छा से बाहर निकल सकते हैं।
- विभिन्न प्रकार के 52 भत्तों को ख़त्म करने की आयोग की सिफारिश; अन्य 36 भत्ते मौजूदा भत्तों में या नए प्रस्तावित भत्तों में शामिल किए जायेंगे।

**वित्तीय निहितार्थ**

- वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की वित्तीय लागत 1.02 लाख करोड़ रूपये होगी। इसमें 73,650 करोड़ केन्द्रीय बजट से व 28,450 करोड़ रुपये रेलवे बजट से वहन किए जाएंगेगे।
- आयोग की सिफारिशों पर वेतन और मजदूरी पर खर्च का अनुपात बढाने पर GDP पर समग्र प्रभाव 0.65% से बढ़कर 0.7% तक होगा।
- इसके अलावा, वन रैंक वन पेंशन की अदायगी भी इसमें जुड़ेगी।

**अवसर**

- कर राजस्व अधिक होगा।
- वेतन देने में हुए व्यय का पांचवा हिस्सा आयकर से ही वापस आने की उम्मीद है।
- उपभोक्ताओं द्वारा उपभोग की वस्तुओं, आवास, वित्त उत्पादों, रोजाना की जरूरतों और यात्राओं पर ज्यादा खर्च करने से अप्रत्यक्ष-कर वसूली भी बढ़ेगी।
- कॉर्पोरेट लाभ में वृद्धि से कॉर्पोरेट टैक्स वसूली में वृद्धि।
- इससे अर्थव्यवस्था को भी प्रोत्साहन मिलेगा मुख्यतः विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र में।

**अन्य परिणाम**

- परन्तु उपरोक्त अवसरों के बावजूद भविष्य में स्थानीय और राज्यों के स्तर पर होने वाले वेतनवृद्धि संशोधनों के चलते अर्थव्यवस्था पर धन का दबाव बढेगा जिससे मुद्रास्फीति का खतरा मौजूद रहेगा। हालांकि, 7वें वेतन आयोग को छठवें वेतन आयोग की तरह मुद्रास्फीति बढ़ाने वाले प्रेरक के रूप में नहीं देखा जा रहा है।
- यह भविष्य में नीतिगत कटौती की दरें मंद रखने हेतु RBI को विवश कर सकता है।
- क्रेडिट-रेटिंग एजेंसी फिच के अनुसार, इसके कारण सरकार के राजकोषीय सुदृढीकरण रोडमैप पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, फलत: राजकोषीय घाटे को GDP के 3% तक रखने का लक्ष्य प्रभावित होगा, जिसके कारण देश की क्रेडिट-रेटिंग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है।

**आगे की राह**

फिर भी, निम्न मुद्रास्फीति, वस्तुओं के मूल्य में कमी, उद्योग में अधिक क्षमता इत्यादि; सातवें वेतन आयोग की सिफारिशो को लागू करने के लिए एक अनुकूल आर्थिक वातावरण का निर्माण करते हैं।

VISION IAS

## 1.3. FRBM अधिनियम में बदलाव की आवश्यकता

(Need for Paradigm Shift in FRBM act)

**वाद-विवाद क्यों?**

- केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में टिप्पणी की है कि राजकोषीय विस्तार या संकुचन को क्रमशः अर्थव्यवस्था के क्रेडिट संकुचन या विस्तार के साथ संरेखित किया जाना चाहिए।
- इससे यह पता चलता है कि राजकोषीय घाटे (राजकोषीय विस्तार) और बैंक क्रेडिट (मौद्रिक विस्तार) के बीच प्रतिलोम सह-संबंध होना चाहिए।
- यह सभी चक्रों में अर्थव्यवस्था के लिए पर्याप्त मुद्रा आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु है।

**अर्थव्यवस्था की मंदी के दौरान राजकोषीय घाटे का लक्ष्य शिथिल क्यों किया जाना चाहिए?**

- बैंक एवं वित्तीय संस्थान व्यापारियों और अन्य को पूँजी उपलब्ध कराते हैं और यह क्रेडिट मनी ही अर्थव्यवस्था को गति देती है।
- यदि व्यापारी विश्वास में कमी या बढ़ते NPAs जैसे कारणों सहित कुछ अन्य कारणों से अर्थव्यवस्था के लिए बैंक क्रेडिट पर्याप्त रूप से न बढ़े तो पर्याप्त धन के अभाव की वजह से आर्थिक विकास बुरी तरह से प्रभावित होगा।
- ऐसे समय में अर्थव्यवस्था में पैसा डालने के लिए बजट के माध्यम से हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। और इस संदर्भ में, बैंकों के पास पैसा उधार लेकर या यहां तक कि अगर जरूरत है तो अधिक पैसे के मुद्रण द्वारा इस उदेश्य को पूरा किया जाता है।
- क्राउडिंग इन प्रभाव - आर्थिक मंदी के दौरान सरकारी खर्च अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा और बाद में निजी उद्योगों से भी निवेश आकर्षित होगा।

**राजकोषीय घाटे के लक्ष्य का पालन क्यों किया जाना चाहिए?**

- अक्सर FRBM लक्ष्य में संशोधन या उन्हें प्राप्त न करना निवेशक के मन में चिंता बढ़ा सकता है और इससे निवेश में कमी आएगी।
- बेहतर राजकोषीय स्वास्थ्य से भारत की क्रेडिट रेटिंग में सुधार होगा।
- राजकोषीय घाटे के कम होने से विकास के लिए सस्ते ऋण प्राप्त करने में मदद मिलेगी क्योंकि उच्च राजकोषीय घाटे से मुद्रास्फीति बढ़ती है और इसलिए ऋण लेने की दर भी उच्च होती है।
- यह भारत को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए एक आकर्षक गंतव्य बनाकर इसे उभरते बाजार सहयोगियों के करीब लाएगा।

**आगे की राह**

- राजकोषीय घाटा लक्ष्य को एक निश्चित संख्या के रूप में GDP के 3% की बजाय एक रेंज के रूप में स्वीकार करना। यह वैश्विक आर्थिक और वित्तीय बाजार में अनिश्चितता, चीन में मंदी, और घरेलू स्तर पर उत्साहहीन निजी निवेश की मांग जैसी गतिशील और अस्थिर स्थितियों से निपटने के लिए आवश्यक पॉलिसी स्पेस प्रदान करेगा।
- सरकार का व्यय दीर्घकालिक सार्वजनिक परिसंपत्तियों के सृजन पर होना चाहिए।

**FRBM अधिनियम क्या है?**

- राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 मध्यम अवधि में सरकार के घाटे और ऋण को टिकाऊ स्तर तक कम करने के लिए एक विधायी ढांचा प्रदान करने के लिए पारित किया गया था।
- इसका उद्देश्य वित्तीय प्रबंधन में अंतरपीढ़ीगत साम्य (equity) और दीर्घकालिक वृहत्-आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करना था।

**अधिनियम के मुख्य बिन्दु**

- GDP के 3% तक राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को प्राप्त करना और राजस्व घाटे को शून्य करना।
- भारतीय रिजर्व बैंक से सरकार द्वारा उधार लिए जाने पर प्रतिबंध लगाता है - इस प्रकार यह मौद्रिक नीति को राजकोषीय नीति से स्वतंत्र बनाता है।
- सरकारी घाटे के मुद्रीकरण पर रोक लगाता है अर्थात सरकार अपने घाटे को पूरा करने के लिए नोट नहीं छाप सकती है। 2006 से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा केंद्र सरकार के प्राथमिक निर्गमों (primary issues) की खरीद पर प्रतिबंध।
- अधिनियम निम्नलिखित 4 दस्तावेजों को संसद के समक्ष रखे जाने का अधिदेश देता है:

1. मध्यम अवधि के राजकोषीय नीति वक्तव्य:

- बाजार मूल्य पर GDP के सन्दर्भ में 5 राजकोषीय संकेतकों के लिए 3 साल के रोलिंग लक्ष्य और उन्हें प्राप्त करने के लिए रणनीति।

- ये पांच राजकोषीय लक्ष्य हैं: राजस्व घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, कर GDP अनुपात और GDP के प्रतिशत के रूप में कुल बकाया ऋण।

2. राजकोषीय नीति रणनीति वक्तव्य: बजट के समय प्रस्तुत किया जाता है और आगामी वित्तीय वर्ष के लिए कराधान, उधार, व्यय, निवेश, मूल्य निर्धारण, गारंटी आदि से संबंधित सरकार की रणनीतिक प्राथमिकताओं को दर्शाता है।
3. वृहत्-आर्थिक फ्रेमवर्क वक्तव्य: बजट के समय प्रस्तुत किया जाता है और अंतर्निहित धारणा के साथ अनुमानित GDP की वृद्धि दर, केंद्र सरकार के राजकोषीय संतुलन और अर्थव्यवस्था के बाहरी क्षेत्र संतुलन को सम्मिलित करता है।
4. मध्यम अवधि व्यय फ्रेमवर्क वक्तव्य: यह 2012 में जोड़ा गया है और मानसून सत्र में प्रस्तुत किया जाता है।

### 1.4. मध्यावधि ऋण प्रबंधन रणनीति (MTDS)

**(Medium Term Debt Management Strategy)**

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

- भारत सरकार ने मध्यावधि ऋण प्रबंधन रणनीति को तीन वर्ष (2015-18) की अवधि के लिए सार्वजनिक डोमेन में रख दिया है।
- सरकार ने यह निर्णय उधारी की लागत को कम करने और स्थानीय संप्रभु बांड बाजार हेतु पात्र निवेशकों की सूची का विस्तार करने के उद्देश्य से लिया है।

**MTDS क्या है?**

- मध्यावधि ऋण प्रबंधन रणनीति एक ऐसी रूपरेखा है, जिसमें सरकार निम्नलिखित उद्देश्यों को पूरा करने हेतु मध्यावधि का प्रयोग करती है-

✓ ऋण का स्तर वहनीय और संधारणीय रहे।
✓ नए ऋण एक अच्छे उद्देश्य के लिए हों तथा ऋण की लागत और जोखिम कम से कम हो।

- MTDS में सरकारी गारंटियों तथा आकस्मिक देनदारियों के पोर्टफोलियो सहित बाह्य और आंतरिक दोनों प्रकार के ऋणों को शामिल किया गया है।
- RBI सरकार के ऋण प्रबंधक के रूप में काम करता है।

# 2. कराधान

**(TAXATION)**

### 2.1. GST विधेयक राज्यसभा में पारित

**(GST Bill Passed in Rajya Sabha)**

**सुर्ख़ियों में क्यों ?**

अंततः GST संविधान संशोधन अधिनियम को अधिसूचित कर दिया गया है। विधेयक के अन्य प्रावधानों जैसे GST परिषद को शीघ्र ही क्रियान्वित किया जाएगा।

**GST क्या है?**

- GST एक मूल्य वर्धित कर है। GST वस्तुतः केंद्र एवं राज्य स्तर पर सभी वस्तुओं पर लगने वाले अप्रत्यक्ष करों को समाहित करता है। GST प्रणाली को निम्न इंफो-ग्राफ़िक में समझाया गया है। यहाँ हम कर की दर को 10% मान लेते हैं।

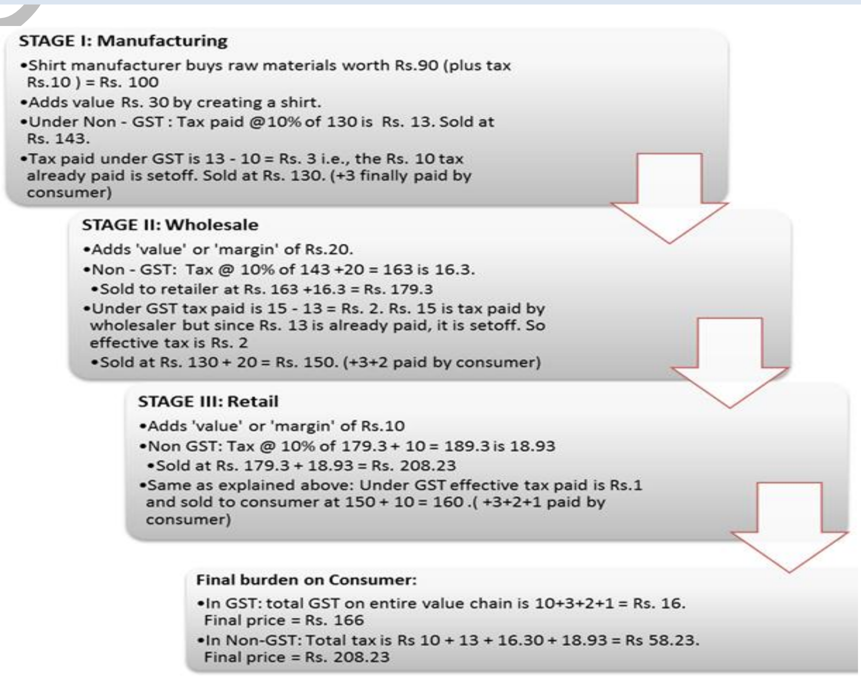


VISION IAS

**GST प्रणाली की विशेषतायें**

- यह एक गंतव्य आधारित कर है।
- इसमे वैट विधि के आधार पर अर्थात मूल्य वर्धन के प्रत्येक स्तर पर कर एकत्रित किया जाएगा।
- यह 20% की एक समान दर पर लगाया जाएगा। (केंद्र की हिस्सेदारी = 12 प्रतिशत और राज्य की 8 प्रतिशत)।
- GST परिषद, GST में सम्मिलित होने और न होने वाले कर, कराधान की दरों तथा मॉडल (केन्द्रीय, राज्य और एकीकृत) GSTकानून के निर्धारण हेतु सिफारिश करेगी।
- GST सिर्फ गंतव्य बिंदु पर ही लगाया जा सकेगा, विभिन्न बिंदुओं पर नहीं। इसलिए यह कर- आतंकवाद(tax-terrorism) को कम करेगा।
- सरकार ने विधेयक में निम्नलिखित बदलावों को भी मंजूरी दी है:-

✓ उत्पादक राज्यों को अतिरिक्त 1 प्रतिशत कर के भुगतान की मनाही

✓ GST के लागू होने के उपरांत अगले पांच वर्षों में किसी भी राजस्व हानि के लिए राज्यों को क्षतिपूर्ति प्रदान की जाएगी।

- अगले कदम के रूप में, केंद्र सरकार दो कानूनों को अधिनियमित करेगी, एक केंद्रीय GST (CGST केंद्रीय करों को समाहित करता है) तथा दूसरा एकीकृत GST (IGST) के निर्माण के लिए। इसके अतिरिक्त राज्य सरकारों द्वारा (विभिन्न राज्य करों को समाहित करते हुए) राज्य GST के लिए एक कानून पारित किया जाएगा।
- लेकिन सीमा शुल्क, स्टांप शुल्क, पेट्रोलियम, विद्युत कर और शराब को GST से छूट दी गई है।

**लाभ**

- **गवर्नेंस (शासन)**

✓ GST के कारण वर्तमान समय में केंद्र व राज्यों द्वारा लगाए जाने वाले विभिन्न अप्रत्यक्ष करों से छुटकारा मिल जाएगा और उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, चुंगी एवं बिक्री कर जैसे करों के स्थान पर एक समान कर प्रणाली लागू की जाएगी, जिसे केंद्र और राज्यों द्वारा साझा किया जाएगा।

✓ पहले के अधिकांश अप्रत्यक्ष कर भ्रामक थे और इनकी कई अलग-अलग दरें निर्धारित थीं।

✓ कर विवाद कम होंगे।

✓ आसान कर ढांचे के कारण कर अनुपालन में सुधार आएगा, पुनः अब कर चोरी पर नज़र रखना आसान होगा।

✓ इसके द्वारा एक पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त कर प्रशासन के निर्माण में मदद मिलने की उम्मीद है।

- **अर्थव्यवस्था**

✓ इससे एक समेकित राष्ट्रीय बाजार की स्थापना संभव हो सकेगी। यह पारगमन समय में कमी और ट्रकों के उपयोग में बेहतरी लाएगा।

✓ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि अब विभिन्न प्रतियोगियों को स्थान या उत्पाद आदि के कारण अनुचित लाभ प्राप्त नहीं होंगे।

✓ कर एवं लॉजिस्टिक्स के क्षेत्रों में उत्पादकता लाभ को बढ़ावा मिलेगा।

✓ यह अनुमान है कि वस्तु एवं सेवा कर को लागू करने से भारत को 15 अरब डॉलर का वार्षिक लाभ प्राप्त होगा तथा इससे निर्यात, रोजगार और विकास को बढ़ावा मिलेगा।

✓ दोनों घटकों (सेंट्रल और स्टेट GST) को विनिर्माण लागतों पर आरोपित किया जाएगा। इससे कीमतों में कमी आएगी, जिससे उपभोग बढ़ेगा और परिणामस्वरूप कंपनियों को लाभ मिलेगा।

- अंतः और अंतर-राष्ट्रीय स्तर पर नई आर्थिक संरचना का विकास

✓ GST के तहत कराधान बोझ का विनिर्माण और सेवाओं के बीच समतामूलक विभाजन किया जाएगा। एक निम्न कर-दर के माध्यम से कर आधार में वृद्धि एवं अपवादों में कमी कर ऐसा किया जाएगा।

✓ सेवाओं के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि के कारण, GST एक पसंदीदा वैश्विक मानक बन चुका है। अमेरिका को छोड़कर सभी OECD देश, इस कराधान संरचना का पालन करते हैं।

- कर आधार और कर-GDP अनुपात में वृद्धि होगी।

**चुनौतियां**

- राजस्व नुकसान के मुद्दे पर केंद्र और राज्यों के बीच आम सहमति बन पाना एक प्रमुख चुनौती है। हालांकि केंद्र द्वारा मुआवजा दिए जाने की वजह से यह समस्या अगले 5 वर्षों के लिए हल हो गई है, फिर भी यह एक चुनौती है।

VISION IAS

- अंतिम GST विधेयक से 1% अतिरिक्त कर के हटाये जाने से विनिर्माण प्रधान राज्यों को नुकसान होगा।
- प्रत्येक क्षेत्र में दोहरा नियंत्रण।
- ऋण, सिर्फ GST नेटवर्क के साथ अर्थात केवल ऑनलाइन उपलब्ध होगा। यह छोटे व्यवसायों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा।
- मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु की सरकारों का कहना है कि "सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियाँ और प्रशासनिक बुनियादी ढांचे अभी GST को लागू करने के लिए तैयार नहीं हैं।"
- राज्य कर की दर को बदलने की स्वायत्तता खो देंगे क्योंकि इसका निर्णय GST परिषद द्वारा लिया जाएगा। खण्ड 246A के अनुसार संसद का फैसला प्रभावी होगा और राज्यों पर बाध्यकारी रहेगा।
- पेट्रोलियम और शराब अभी भी इसके दायरे से बाहर हैं। उनका भारत के कुल व्यापार में लगभग 40% हिस्सा है, इसलिए एक महत्वपूर्ण भाग अभी भी इसके दायरे से बाहर है।
- प्रशासनिक तंत्र: भारत में दो सरकारी एजेंसियों के बीच विलय तब तक लगभग असंभव है जबतक वेतन और पदोन्नति का सम्बन्ध कार्यक्षमता प्रदर्शन के बजाय वरिष्ठता से सम्बंधित है। इसके माध्यम से समस्त राज्यों की राजस्व संग्रहण सेवाओं तथा शक्तिशाली केन्द्रीय सेवाओं का एक GST संग्रह एजेंट में एकीकरण कर दिया गया है।
- वर्तमान में कर लाभों का आनंद लेने वाले क्षेत्रों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उदाहरण- वस्त्र, मीडिया, डेयरी, IT/ITES, फार्मा आदि।

**सिफारिशों के महत्वपूर्ण पारिभाषिक पदों की व्याख्या**

**मानक दर** – वह दर जिससे अधिकांश वस्तुओं पर कर लगाया जाएगा। यह दर, राजस्व तटस्थ दर से अधिक होगी क्योंकि कुछ सार्वजनिक वस्तुएं या ऐसी वस्तुएं जो वंचित वर्गों के लिए लक्षित हैं, उन पर कम दर पर कर लगाया जायेगा। नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था के तहत अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं पर इसी दर से कर लगाया जायेगा।

**राजस्व तटस्थ दर** – यदि सभी वस्तुओं और सेवाओं पर इस दर पर कर लगाया जाता है तो राज्यों और केंद्र को राजस्व का कोई नुकसान नहीं होगा।

**मानक दर राजस्व तटस्थ दर की तुलना में अधिक क्यों है**

कुछ सार्वजनिक वस्तुयें जो वंचित वर्गों के लिए लक्षित हैं, उन पर तुलनात्मक रूप से कम दर पर कर लगाने की आवश्यकता है।

तंबाकू जैसी वस्तुओं पर मानक दर से अधिक दर पर कर लगाया जायेगा क्योंकि ऐसी वस्तुओं के उपयोग को हतोत्साहित करने की आवश्यकता है।

## 2.2. प्रत्यक्ष कर: भारत का सीमित कराधार

**(Direct Taxes: Narrow Tax-base of India)**

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

- आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2012-13 के आंकड़े जारी किये हैं।

**तथ्य**

- वर्ष 2012-13 के आकलनों के अनुसार केवल 2.9 करोड़ भारतीयों ने व्यक्तिगत आयकर रिटर्न दाखिल किया।
- वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार यह भारत में वयस्क आबादी का केवल 4% है।
- जिन लोगों ने आयकर रिटर्न दाखिल किया है उनमें से आधे लोगों ने करों में छूट के विभिन्न मानदंडों का उपयोग कर कोई कर नहीं दिया ।
- प्रत्यक्ष कर में कॉर्पोरेट टैक्स का सबसे बड़ा अंशदान है।
- पिछले कुछ वर्षों में कर प्राप्ति की वृद्धि दर में गिरावट आई है।

1. कंपनियों के कम मुनाफे के कारण कॉर्पोरेट टैक्स की वृद्धि दर कम हुई है।
2. आयकर की वृद्धि दर मोटे तौर पर स्थिर है।

**आयकर आंकड़ों से निम्न मुद्दे प्रकाश में आये हैं-**

- आय असमानता - आय बताने वाले लोगों में से 1% व्यक्तियों के पास 20% कर-योग्य आय है।

VISION IAS

- धन का संकेन्द्रण - कॉरपोरेट जगत के 5% के पास 94% कर योग्य आय है।
- विकास में क्षेत्रीय असंतुलन - अन्य राज्यों की तुलना में गुजरात, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के कर संग्रह में तेज विकास दर देखने को मिली है।
- कुल राजस्व में अप्रत्यक्ष कर का बढ़ता हिस्सा - अप्रत्यक्ष कर सबसे अधिक गरीब लोगों को प्रभावित करता है।
- कर चोरी - 7% से अधिक GDP की वृद्धि दर के बावजूद इस तरह का सीमित आधार कर चोरी की ओर स्पष्ट संकेत करता है।

## 2.3. राजस्व ज्ञान संगम

(Rajasva Gyan Sangam)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

प्रधानमंत्री ने केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) तथा केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBEC) के कर अधिकारियों को राजस्व ज्ञान संगम पर संबोधित किया।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कर प्रशासकों के लिए एक पांच सूत्रीय चार्टर, 'रैपिड' (RAPID) की रूप-रेखा प्रस्तुत की:-

R रेवेंयू यानी राजस्व,

A अकाउंटिबिलिटी यानी जवाबदेही,

P प्रोबिटी यानी सत्यनिष्ठा,

I इन्फॉरमेशन यानी जानकारी (बिना दखलंदाजी वाले कर आकलन के लिए),

D यानी डिजिटाइजेशन (करों को रिकॉर्ड करने के लिए)

**सुझाव**

- डिजिटलीकरण की आवश्यकता, स्वैच्छिक कर अनुपालन, करदाताओं के लिए सरलीकरण, कर आधार बढ़ाना, कर अधिकारियों के लिए डिजिटल और भौतिक बुनियादी ढांचे का उन्नयन आदि।
- कर चोरी को ख़त्म करना होगा। लेकिन लोगों से कर एकत्रित करते समय कानून प्रवर्तन एजेंसियों को करदाता के अनुकूल होना चाहिए ।
- ये दोनों अनिवार्य रूप से आपस में एक-दूसरे के विरोधी नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं।
- प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया है कि लोगों में कर अधिकारियों को लेकर डर नहीं बल्कि विश्वास की भावना होनी चाहिए।
- सरलीकरण - कर भुगतान में वृद्धि के लिए उपयोगकर्ता के अनुकूल प्रणाली।

**आर्थिक सर्वेक्षण में सुझाये गए उपाय**

आर्थिक सर्वेक्षण 2015-16 में कर आय बढ़ाने और खर्च में कटौती करने का व्यापक विवरण पेश किया गया है। इनमें कराधार बढ़ाना, करों में छूट को चरणबद्ध तरीके से ख़त्म करना, संपत्ति कर को अधिक प्रगतिशील बनाना, कर संग्रह में भ्रष्टाचार को कम करना और पारदर्शिता में सुधार लाना सम्मिलित है।

उपरोक्त के अतिरिक्त, कर प्रशासन में ये अन्य सुधार हो सकते हैं:-

**1. कर अधिकारियों की जवाबदेही निश्चित करना:** इसके द्वारा विभिन्न कर प्रावधानों के दुरुपयोग द्वारा करदाताओं को परेशान किये जाने की घटनाओं की निगरानी की जा सकेगी साथ ही इससे नागरिक अपनी आय बताने और करों का भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित होंगे।

**2. कर कानूनों को कम व्यक्तिपरक बनाना:** ग्लोबल एनर्जी बनाम केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि व्यक्तिपरक (subjective) कानून पारदर्शिता को कम करते हैं। कराधान में यह ईमानदार करदाताओं के उत्पीड़न का कारण बनता है। इस प्रकार कराधार कम होता है और कर से जुड़े मुकदमों में भी वृद्धि होती है।

## 2.4. गूगल टैक्स: डिजिटल अर्थव्यवस्था पर इक्वलाईजेशन (समीकरण) लेवी

(Google Tax: Equalization Levy on Digital Economy)

**यह क्या है?**

- केंद्रीय बजट 2016-17 में 'ऑनलाइन विज्ञापन' के लिए विदेशी ई-कॉमर्स कम्पनियों को किये जाने वाले भुगतान पर इक्वलाईजेशन (समीकरण) लेवी का प्रस्ताव किया गया है।

- सरकार ने 'ई-कॉमर्स पर टैक्सेशन' के लिए एक समिति बनायी थी। इस समिति ने प्रस्ताव रखा कि ऑनलाइन विज्ञापन और क्लाउड कंप्यूटिंग से लेकर सॉफ्टवेयर डाउनलोड और वेब होस्टिंग तक की सेवाओं पर 'इक्वलाईजेशन लेवी' लगाई जाये। समिति ने कहा कि यह लेवी ऐसे मामले में लगाई जानी चाहिए, जिसमें सेवा प्रदाता ऐसी विदेशी इकाई हो जिसका भारत में 'स्थायी ठिकाना' न हो। समिति ने सकल भुगतान के 6% से 8% तक 'इक्वलाईजेशन लेवी' का प्रस्ताव किया है।
- इस लेवी के दायरे में 1 लाख रुपये से अधिक के भुगतान को ही शामिल किया जाना है।

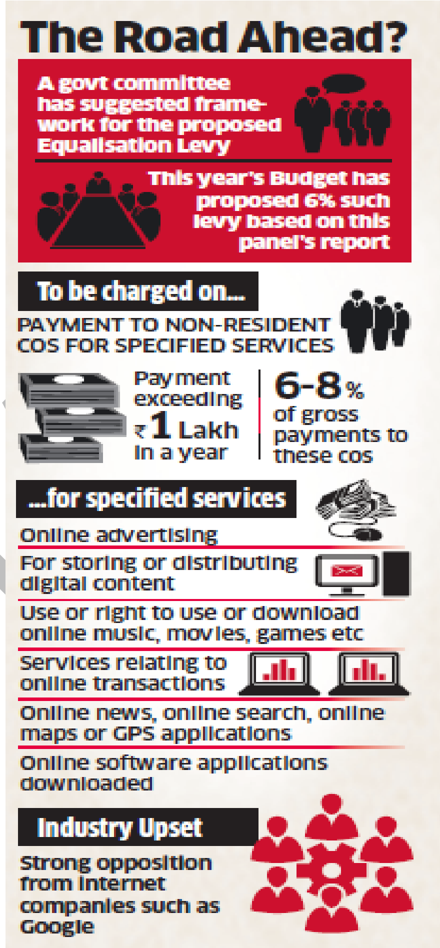


**लाभ**

- बड़ी कंपनियों को भारत में स्थायी प्रतिष्ठान बनाने के लिए बढ़ावा देगा।
- सरकार की आय में वृद्धि।

**हानि**

- यह नई लेवी ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं की एक पूरी श्रृंखला की लागत को बढ़ा देगी।
- कंपनियों के अनुसार, यह कदम नवाचार को हतोत्साहित करेगा और स्टार्टअप्स को विज्ञापन में कटौती करने के लिए मजबूर करके डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रमों को कमजोर करेगा।
- यदि दूसरे देश भी भारत के समान आचरण करते हुए भारत से उपलब्ध कराई गई सेवाओं पर इसी तरह के करों का आरोपण करेंगे, तो भारत की IT कंपनियों का लागत-लाभ (cost advantage) काफी कम हो सकता है, जिससे ये प्रतिस्पर्धा से बाहर हो जायेंगी।

**निष्कर्ष**

हाल के समय में "इक्वेलाईजेशन लेवी" डिजिटल अर्थव्यवस्था के तेजी से विकास होने के सन्दर्भ में महत्वपूर्ण हो गई है जिसने बेस एरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग (BEPS) की समस्या सहित नयी कर चुनौतियों को उत्पन्न किया है।

## 2.5. कर नीति परिषद और कर नीति अनुसंधान इकाई

### (Tax Policy Council and Tax Policy Research Unit)

कर प्रशासन सुधार आयोग (TARC) की पहली रिपोर्ट के बाद सरकार ने **कर नीति परिषद (टैक्स पॉलिसी काउंसिल-TPC)** और **कर नीति अनुसंधान इकाई (टैक्स पॉलिसी रिसर्च यूनिट-TPRU)** का सृजन करने का निर्णय लिया है।

केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में कर नीति परिषद का सृजन किया गया है:

- कर नीति के मुद्दे पर और अंतःविषयी दृष्टिकोण रखने की आवश्यकता के लिए सतत और सुसंगत दृष्टिकोण की आवश्यकता है।
- यह कर नीति अनुसंधान इकाई से आने वाले सभी अनुसंधान निष्कर्षों पर नज़र रखेगी।
- यह परिषद्, कराधान के लिए व्यापक नीतिगत उपायों का सुझाव देगी और प्रकृति में परामर्शदायी होगी तथा कराधान के लिए प्रमुख नीतिगत निर्णयों की पहचान करने में सरकार की सहायता करेगी।

**<u>कर नीति अनुसंधान इकाई :</u>**

- अभी तक, दो बोर्ड अर्थात केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड, कर नीति अनुसंधान इकाई और कर नीति एवं विधायन शाखा में स्वतंत्र रूप से कर नीति और संबंधित कानूनों पर विचार किया करते थे। दोनों बोर्ड की अनुशंसाओं में सुसंगतता का अभाव होता था और अनुशंसाएं अक्सर वित्त मंत्री तक अलग-अलग चैनलों के माध्यम से पहुँचती थीं।
- उपरोक्त समस्या का समाधान करने के लिए, कर प्रशासन सुधार आयोग ने अनुशंसा की कि **प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों करों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए** साझा कर नीति और विश्लेषण इकाई द्वारा समर्थित कर परिषद की स्थापना की जानी चाहिए।
- उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए सरकार ने **कर नीति अनुसंधान इकाई** का सृजन किया है जिसमें बोर्ड के अधिकारियों के साथ ही सांख्यिकीविद, कर कानून विशेषज्ञ, प्रचालन अनुसंधान विशेषज्ञ और सामाजिक शोधकर्ताओं जैसे कर प्रशासक, अर्थशास्त्री, और अन्य विशेषज्ञ सम्मिलित हैं।

- प्रत्येक कर प्रस्ताव के लिए TPRU विश्लेषण रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें निम्न तीन बिंदु सम्मिलित होंगे: -
- ✓ प्रस्ताव के पीछे विधायी उद्देश्य, यानी, इस प्रस्ताव को क्यों तैयार किया जा रहा है और नीति का उद्देश्य क्या है।
- ✓ प्रस्ताव के माध्यम से कर संग्रह में अनुमानित वृद्धि या कमी; तथा
- ✓ प्रस्ताव के माध्यम से संभावित सकारात्मक या नकारात्मक आर्थिक प्रभाव (कर संग्रह पर प्रभाव के अतिरिक्त)।

## 2.6. गैर-कर राजस्व ई-पोर्टल

(Non Tax Revenue E-Portal)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

NTPC ने सरकार को 989 करोड़ रूपए का अंतरिम लाभांश जमा करके पोर्टल पर प्रथम भुगतान किया।

**विशेषतायें**

- वित्त मंत्री ने इलेक्ट्रॉनिक रूप से गैर-कर राजस्व वसूल करने के लिए गैर-कर राजस्व पोर्टल की शुरूआत की।
- यह महालेखा नियंत्रक द्वारा विकसित किया गया है।
- यह केंद्र सरकार को गैर-कर राजस्व का ऑनलाइन भुगतान करने के लिए नागरिकों या कंपनियों या अन्य उपयोगकर्ताओं के लिए एक समग्र सेवा मंच प्रदान करता है।
- करों को काफी हद तक ई-पेमेंट प्रणाली से जमा किया जाता है, जबकि गैर-कर राजस्व अधिकतर बैंक ड्राफ्ट या चेक या नकदी जैसे भौतिक उपकरणों के माध्यम से जमा किया जाता है।
- ऑनलाइन भुगतान या तो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करके किया जाता है।

**महालेखा नियंत्रक:**

- महालेखा नियंत्रक भारत सरकार का प्रधान लेखा सलाहकार होता है और तकनीकी रूप से स्वस्थ प्रबंधन लेखा प्रणाली को स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है।
- वह व्यय, राजस्व, ऋण और घाटे पर वित्त मंत्री के लिए प्रत्येक माह का एक समालोचनात्मक विश्लेषण तैयार करता है।
- वह संसद में प्रस्तुति के लिए वार्षिक विनियोग लेखा (सिविल) और केंद्रीय वित्त लेखा भी तैयार करता है।

**गैर-कर राजस्व क्या है?**

- इसमें मुख्य रूप से लाभांश, ब्याज प्राप्ति, स्पेक्ट्रम शुल्क, रॉयल्टी, लाइसेंस शुल्क, सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत फार्म तथा आवेदन शुल्क शामिल है।
- सरकार के लिए गैर-कर राजस्व का प्रमुख स्रोत सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों, भारतीय रिजर्व बैंक आदि द्वारा भुगतान किया गया लाभांश है।
- गैर-कर राजस्व की वार्षिक प्राप्ति 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा की है।

**लाभ:**

- इससे हस्तचालित कार्य काफी कम हो जाएगा।
- ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक भुगतान सेवाओं के उपयोग से आम उपयोगकर्ताओं/नागरिकों को ड्राफ्ट जारी करवाने के लिए बैंक के चक्कर काटने की परेशानी से मुक्ति मिलेगी और सरकारी कार्यालयों को भी ड्राफ्ट को बैंक में जमा कराने नहीं जाना पड़ेगा।
- यह विभिन्न श्रेणियों में लगभग तुरंत भुगतान को सक्षम करेगा।
- इससे इन निमित्तों (प्रपत्र/दस्तावेज) के सरकारी खाते में जमा होने के संबंध में होने वाली अनावश्यक देरी में कमी आएगी।
- यह नकद लेनदेन को कम करके तथा इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन को बढ़ावा देकर काले धन पर अंकुश लगाएगा।
- यह प्रधानमंत्री कार्यालय के उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है जिसके अनुसार वर्ष 2016 के अंत तक सभी सरकारी लेनदेन का कम से कम 90 प्रतिशत ऑनलाइन मोड से करना है।
- यह डिजिटल इंडिया अभियान के तहत एक महत्वपूर्ण पहल है।

## 2.7. स्वतंत्र राजकोषीय परिषद

(Independent Fiscal Council)

- चौदहवें वित्त आयोग के सदस्यों ने स्वतंत्र राजकोषीय परिषद का गठन करने की उनकी सिफारिशों पर कार्रवाई न करने के लिए सरकार पर सवाल उठाए हैं।

VISION IAS

- प्रस्तावित परिषद बजट घोषणाओं और पूर्वानुमानों का निष्पक्ष रूप से मूल्यांकन करेगी और संसद को अपनी रिपोर्ट देगी। यह वित्तीय प्रबंधन पर सरकार की साख में सुधार के लिए महत्वपूर्ण है।
- यह परिषद 35 देशों के कार्यालयों में स्वतंत्र बजट और वित्तीय प्रबंधन की निगरानी के आधार पर संसद को सरकार के अनुमानों की यथार्थता पर रिपोर्ट देगी।

**राजकोषीय परिषद का महत्व:**

- 2003 से अर्थात जब से यह अधिनियम प्रभाव में आया है, इसमें निहित घाटे के लक्ष्य में चार बार बाधा उत्पन्न हुई है तथा कई बार लक्ष्यों का उल्लंघन भी हुआ है।
- लघु और मध्यम अवधि में यह वित्तीय लक्ष्यों के लिए सरकार की प्रतिबद्धता के बारे में वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की आशंका को दूर करेगा।
- महालेखा परीक्षक, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम पर निगरानी रखता है, परंतु यह एक कार्योत्तर आकलन होता है।
- पिछले आठ में से छह वर्षों में, अधिमूल्यांकन (overestimation) के कारण सरकारी राजस्व के अनुमान में करीब 10 प्रतिशत तक की कमी हुई है। इस वजह से वित्तीय वर्ष के मध्य में सभी योजनाओं और परियोजनाओं के धन में कटौती की गयी है।
- सरकार राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमेशा दबाव में रहती है। RBI का भी मुख्य ध्यान मौद्रिक नीति पर होता है।

**परिषद के लाभ**

- केंद्र सरकार राज्यों के राजकोषीय लक्ष्य पर निगरानी रखती है परंतु स्वयं केंद्र के वित्तीय फैसलों का निरीक्षण कोई नहीं कर सकता।
- राज्य वित्त प्रबंधन में अक्सर दबाव महसूस करते हैं क्योंकि RBI उनके घाटे को नियंत्रित करता है तथा केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना राज्य की ओर से बांड जारी नहीं कर सकता।
- विशेषज्ञों के अनुसार, केंद्र रचनात्मक लेखांकन (Creative Accounting) का चुनाव करता है तथा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम 2003 के तहत संसद में प्रस्तुत लक्ष्यों को पूरा नहीं करता।

## 2.8.संसाधनों की लामबंदी: संग्रह

(Mobilization of Resources: Savings)

### 2.8.1. स्वर्ण मौद्रीकरण योजना

- एक अनुमान के अनुसार भारत में मंदिरों, घरों एवं अन्य संस्थाओं में कुल मिलाकर 20,000 टन सोना एकत्रित है जिसका मूल्य लगभग 60 लाख करोड़ रूपये है जो भारत के वार्षिक वित्तीय बजट से 3 - 4 गुना अधिक है।
- वतर्मान समय में भारत 800-1000 टन सोने का आयात करता है, औए यह विश्व में सबसे बड़ा उपभोक्ता है।
- इतनी अधिक मात्रा में आयात होने के बावजूद इस सोने का न तो व्यापार किया जाता है न ही मौद्रीकरण।
- अतः वर्ष 2015-16 बजट में स्वर्ण मौद्रीकरण योजना का उल्लेख किया गया था, जिसके अन्तर्गत नामित बैंक सोने की शुद्धता जाँचकर उसे जमा रूप में स्वीकार कर सकेंगे।

**योजना के प्रावधान**

- 30 ग्राम से अधिक के गैर-आभूषण सोने को स्वर्ण बचत खाते में जमा किया जा सकेगा। इसकी कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की गयी है।
- ब्याज दरों का निर्धारण जमा किये गये स्वर्ण एवं तत्कालीन धातु-मूल्य के आधार पर किया जाएगा। पहले अपने स्वर्ण की सुरक्षा हेतु ग्राहकों को लॉकर शुल्क देना होता था।
- नामित बैंक निम्न अवधियों के अन्तर्गत जमा स्वीकार करेंगे -

✓ लघु-समय के लिए (1-3 वर्ष) जमा

✓ मध्यम-समय सीमा आधारित सरकारी जमा (5-7 वर्ष)

✓ दीर्घावधि सरकारी जमा योजना (12-15 वर्ष)

**जमाकर्ताओं को लाभ -**

- भारतीय नागरिक सोने को मुख्यतः सिक्कों या सिल (बार) के रूप में स्वर्ण बचत खातों में रखकर, वर्धित धातु मूल्य आधार पर ब्याज प्राप्त कर सकेंगे।
- जमाधारक के सोने की सुरक्षा की जिम्मेदारी बैंक की होगी।
- प्राप्ति, स्वर्ण रूप में या तत्कालिक मूल्य आधार पर की जा सकती है।
- इससे प्राप्त आय, पूँजीगत लाभ कर, संपत्ति कर एवं आयकर से मुक्त होगी।

**अर्थव्यवस्था को लाभ –**

- आयात पर निर्भरता कम होने के साथ अर्थव्यवस्था में स्थायित्व आयेगा।
- व्यापार घाटा कम होने के साथ चालू - खाता घाटा नीचे आयेगा।
- आभूषण वाले सोने की कीमत में उल्लेखनीय कमी आयेगी।

### 2.8.2. लघु बचत योजना एवं भविष्य निधि योजना

**(SMALL SCALE SAVING SCHEME AND PF SCHEME)**

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

- सरकार ने लघु बचत योजना (5 वर्ष से कम अवधि की) के ब्याज दर में 25 आधार अंक (25 basis points) की कटौती करने का निश्चय किया।
- सभी लघु बचत योजनाओं के प्रतिफलों को सरकारी प्रतिभूतियों पर लागू बाजार दर से संबद्ध किया गया ।
- कर्मचारी भविष्य निधि को सीमान्त रूप से बढ़ाकर 8.7 से 8.8 प्रतिशत कर दिया गया था।
- सामाजिक सुरक्षा उद्देश्यों से जुड़ी हुई योजनायें इसकी अपवाद हैं, जैसे- सुकन्या समृद्धि योजना, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना और मासिक आय योजना।

**आवश्यकता**

- लघु बचत योजनाएं बैंकिंग क्षेत्र की जमा दरों को कम करने की क्षमता को सीमित करने की प्रवृत्ति रखती हैं।
- निवेशकों ने उच्च ब्याज दरों के कारण बैंक सावधि जमा (FD) के स्थान पर लघु बचत योजनाओं (SSC) को वरीयता दी।
- संबंधित सरकारी प्रतिभूतियों (G-secs) की बाजार दरों के साथ उनको संरेखित करने के लिए।
- लघु बचत दर द्वारा अर्थव्यवस्था में सामान्य ब्याज दरों को प्रतिबिम्बित किया जाना चाहिए।
- बाजार-उन्मुख राष्ट्रीय बचत योजना (NSC) देश के समग्र आर्थिक विकास के हित में है।

**अभीष्ट निहितार्थ**

- बैक ऋण दरों में कमी करने में सहायता करेंगी। इसके फलस्वरूप अर्थव्यवस्था "न्यून समग्र ब्याज दर शासन" की ओर गति करेगी।
- दीर्घावधिक बचतों को प्रोत्साहित करती हैं।
- ऋण दरों को कम करने से संघर्षरत कॉरपोरेट क्षेत्रक को प्रोत्साहन मिलेगा।

### 2.8.3. कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) पर कर और उसकी वापसी

**(Employees Provident Fund Tax and Rollback)**

- पांच करोड़ से अधिक अंशदाताओं ने भविष्य निधि में लगभग 8.75 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया है।
- केंद्रीय बजट में सरकार ने सेवानिवृत्ति पर निकासी के समय व्यक्ति के भविष्य निधि कोष के 60% पर कर लगाने का प्रस्ताव रखा था।
- यह 1 अप्रैल, 2016 के बाद भविष्य निधि में किए गए अंशदानों पर लागू है, यदि वह अंशदान वार्षिकी जमा में निवेशित नहीं है।
- यह कदम निजी क्षेत्र के अधिक से अधिक कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद भविष्य निधि से पूरे पैसे निकालने की बजाय पेंशन सुरक्षा की ओर जाने के लिए प्रोत्साहित करेगा।
- यह व्यक्तिगत निवेशकों को वर्तमान में उच्च प्रतिफल प्रदान करने वाले *कर मुक्त बांड* या *डेब्ट म्यूचुअल फंड* की ओर स्थानांतरित होने को प्रोत्साहित कर सकता था।
- वेतनभोगी वर्ग और संसद में विपक्ष के कड़े विरोध के बाद इस प्रस्ताव को **वापस ले लिया गया**।

## 2.8.4. अनिवासी भारतीयों के धन विप्रेषण में गिरावट

**(Fall in NRI Remittances)**

**मुद्दा क्या है?**

- भारत का 60 प्रतिशत धन विप्रेषण खाड़ी देशों से आता है।
- तेल की कीमतों में गिरावट से खाड़ी देश सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। अप्रैल में अनिवासी भारतीयों द्वारा भेजे जाने वाले धन में 87 प्रतिशत की कमी आई है।
- सबसे बड़ी गिरावट अनिवासी (बाह्य) रुपया खाता [Non-Resident (External) Rupee Account- (NR(E)RA)] वर्ग में देखी गयी है, जो अप्रैल में कम होकर सिर्फ 203 मिलियन डॉलर रह गया। यह पिछले वर्ष समान अवधि में 2200 मिलियन डॉलर था।

**भारत पर प्रभाव**

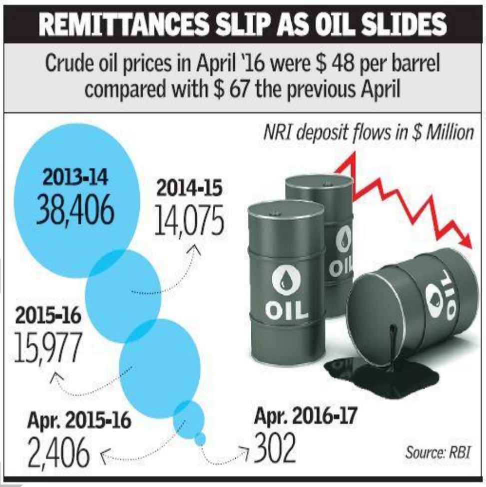


- स्वस्थ चालू खाता घाटा देश के बाह्य क्षेत्र के लिए आवश्यक है और वित्तीय संकट को रोकता है।
- आयात बिल में भारी गिरावट ने भारतीय अर्थव्यवस्था को सहारा दिया है।
- मूडीज के अनुसार, विभिन्न देशों में बसे भारतीय श्रमिकों द्वारा प्रेषित धन से खाड़ी देशों से विप्रेषण में आई कमी संतुलित हो जायेगी।
- इसके अलावा वहाँ श्रमिकों के विविध व्यवसायों में संलग्न होने के कारण, तेल से संबंधित मंदी से धन विप्रेषण में आई कमी के खिलाफ सुरक्षा मिलेगी।

**नकारात्मक प्रभाव:**

- देश में कुछ क्षेत्र (जैसे केरल) काफी प्रभावित हुए हैं।
- कई खाड़ी देशों में छंटनी से भारत में बेरोजगारी में वृद्धि हुई है।

## 2.8.5. अनिवासी भारतीयों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना

**(NRI can Apply to NPS Issue)**

- केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि अब अनिवासी भारतीय राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) के खाते ऑनलाइन ही खुलवा सकते हैं। अभी तक अनिवासी भारतीय इस योजना में जुड़ने हेतु बैंकों में केवल कागजी आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकते थे।
- इसके लिए अनिवासी भारतीयों को सिर्फ एक इंटरनेट कनेक्शन और एक आधार/पैन कार्ड की जरूरत होगी।
- इसके अलावा, अनिवासी भारतीयों को प्रत्यावर्तन और गैर-प्रत्यावर्तन आधार पर राष्ट्रीय पेंशन योजना खाता खोलने की अनुमति होगी।
- इन दोनों के लिए वे अपने NRE/ FCNR/ NRO खातों को जोड़ सकते हैं। परिपक्वता या आंशिक निकासी के दौरान, NPS फंड केवल उनके NRO खाते में जमा किया जाएगा।

**प्रत्यावर्तन खाता (Repatriable Accounts):** कानूनी तौर पर भारतीय रूपया विदेशी मुद्रा में हस्तांतरित किया जा सकता है, अर्थात पैसा किसी भी विदेशी मुद्रा में परिवर्तित किया जा सकता है।

उदाहरण: NRE खाता (अनिवासी बाह्य खाता): बचत, चालू जमा और आवधिक जमा

FCNR-B खाता (विदेशी मुद्रा अनिवासी बैंक जमा)

**गैर प्रत्यावर्तनीय खाता (Non-Repatriable Accounts)**: पैसा किसी भी विदेशी मुद्रा में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है।

उदहारण: NRO खाता (अनिवासी सामान्य रुपया खाता) - बचत, चालू जमा और आवधिक जमा

**महत्त्व**

- दुनिया में भारतीय लोग दूसरे सबसे बड़े प्रवासी समूह हैं। करीब 290 लाख लोग 200 से अधिक देशों में रह रहे हैं और इनमें से 25 प्रतिशत लोग खाड़ी देशों में रहते हैं।

- विदेश में रोजगार करने के बाद भारत लौटने का इरादा रखने वाले अनिवासी भारतीयों को प्रत्यावर्तन(repatriable) और गैर-प्रत्यावर्तन दोनों योजनायें लुभाती हैं।
- खाड़ी या अन्य देशों में जाने वाले भारतीय एक निश्चित अवधि के लिए विदेश में रोज़गार करने के बाद भारत लौटने का विचार रखते हैं।
- NPS उनके बुढ़ापे की आय सुरक्षा के लिए एक दीर्घकालिक समाधान प्रदान कर सकती है।
- सक्रिय रिटर्न, कम लागत, अनिवासी भारतीयों के लिए लचीलेपन की वजह से भी NPS एक आकर्षक योजना है।
- इसके अलावा NPS को पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जा रहा है, जो पेंशन पर आश्रित वृद्ध जनसंख्या को आत्मविश्वास और विश्वसनीयता प्रदान करता है।

## 2.9. संसाधनों की लामबंदी: विनिवेश

**(Mobilization of Resources: Disinvestment)**

### 2.9.1. विनिवेश के लिए नीति आयोग का प्रस्ताव

**(Niti Ayog's Proposal for Disinvestment)**

- नीति आयोग ने राजकीय स्वामित्व वाली कंपनियों के रणनीतिक विनिवेश के लिए अनुशंसाओं के दो सेट प्रस्तुत किए हैं।
- पहली सूची में आयोग ने 74 बीमार और घाटे में चल रही सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों को रखा है।
- इनमें से 25 कंपनियों को इसने बंद करने का सुझाव दिया है। इन्हें बंद करने के बाद इनकी संपत्तियों, विशेष रूप से उनके भूमि धारण (land holding) का निपटारा किया जा सकेगा। इनके कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की पेशकश की जा सकती है क्योंकि उन्हें पुनर्जीवित करने के पिछले प्रयासों के कोई परिणाम नहीं प्राप्त हुए।
- शेष मामलों में, या तो अन्य सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों के साथ विलय या रणनीतिक विनिवेश की अनुशंसा की गई है।
- दूसरी सूची में लगभग 15 PSUs सम्मिलित हैं, जिनमें नीति आयोग ने प्राथमिकता के आधार पर रणनीतिक विनिवेश की अनुशंसा की है।

**दीपम-निवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग**

**(DIPAM- Department of Investment and Public Asset Management)**

- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की रणनीतिक हिस्सेदारी बिक्री को पूर्वरूप में लाने के लिए, विनिवेश विभाग का नाम बदलकर, निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग कर दिया गया है।
- विनिवेश विभाग को वर्ष 1999 में वित्त मंत्रालय से पृथक कर एक स्वतन्त्र विभाग बनाया गया था।

**नई जिम्मेदारियाँ**

- सरकार ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (CPSEs) में सरकारी निवेश के कुशल प्रबंधन के लिए पूंजी पुनर्गठन, लाभांश, बोनस शेयर और निष्क्रिय परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण के माध्यम से जिम्मेदारियों को नए सिरे से परिभाषित किया है।
- सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन में शेयरों के पुनः क्रय (बाइबैक) को भी शामिल किया जाएगा।

**विनिवेश के उद्देश्य**

- सरकार पर वित्तीय बोझ को कम करना।
- सार्वजनिक वित्त में सुधार करना।
- प्रतिस्पर्धा और बाजार अनुशासन लाना।
- विकास के लिए वित्त-पोषण।
- स्वामित्व की व्यापक हिस्सेदारी को प्रोत्साहित करना।
- गैर-जरूरी सेवाओं का गैर-राजनीतिकरण करना।

- विनिवेश किसी संगठन अथवा सरकार द्वारा किसी परिसंपत्ति या सहायक कम्पनी को बेचने या उसमें हिस्सेदारी कम करने की प्रक्रिया है।
- विनिवेश के लिए मुख्य रूप से तीन अलग-अलग दृष्टिकोण हैं
- ✓ **अल्पांश विनिवेश (Minority Disinvestment):** सरकार कंपनी में अपनी बहुलांश हिस्सेदारी बनाये रखती है, आमतौर पर 51% से अधिक, जिससे प्रबंधन पर नियंत्रण बना रहे।

- ✓ **बहुलांश विनिवेश (Majority Disinvestment):** विनिवेश के बाद, सरकार अल्पांश हिस्सेदारी बनाये रखती है अर्थात् सरकार अधिकांश हिस्सेदारी बेच देती है।
- ✓ **पूर्ण निजीकरण:** पूर्ण निजीकरण बहुलांश विनिवेश का एक प्रकार है जिसमें कंपनी का 100% नियंत्रण खरीदार को सौंप दिया जाता है।

**लक्ष्य**

- सरकार ने अगले वित्त वर्ष 2016-17 में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश के जरिए 56,500 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है।
- इस विनिवेश लक्ष्य में से 36,000 करोड़ रुपये सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अल्पांश हिस्सेदारी बिक्री से आने का अनुमान है।
- शेष 20,500 करोड़ रुपये लाभ और घाटे, दोनों, में चल रही कंपनियों में रणनीतिक बिक्री से आने का अनुमान है।

**रणनीतिक बिक्री क्या है?**

विनिवेश विभाग के अनुसार, एक कंपनी की रणनीतिक बिक्री में लेन-देन के दो तत्व हैं:

- रणनीतिक साझीदार को शेयर के एक हिस्से का हस्तांतरण और
- रणनीतिक साझीदार को प्रबंधन नियंत्रण का हस्तांतरण।

### 2.9.2. 51 कंपनियों में हिस्सेदारी की बिक्री

**(Stake Sale in 51 Firms)**

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

- सरकार शेयर बाज़ार में सूचीबद्ध और गैर-सूचीबद्ध 51 कंपनियों में अपनी अल्पांश हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रही है और अगले 3 वर्षों में पूरी हिस्सेदारी भी बेच सकती है। इन कंपनियों में RIL, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, L&T आदि शामिल हैं।

**मुद्दे**

- **स्पेसिफाएड अंडरटेकिंग ऑफ़ यूटीआई (SUUTI)** के माध्यम से सरकार इन कंपनियों में अल्पांश हिस्सेदारी रखती है।
- अल्पांश हिस्सेदारी का मतलब है किसी कंपनी की इक्विटी पूंजी में 50% से कम की हिस्सेदारी, जो कि उक्त कंपनी में नियंत्रक हिस्सेदारी वाली स्थिति नहीं होती है।
- SUUTI का गठन तत्कालीन भारतीय यूनिट ट्रस्ट (UTI) की एक शाखा के रूप में 2003 में किया गया था।
- SUUTI स्टॉक एक्सचेंजों के माध्यम से OFS, ब्लॉक डील, थोक डील या नियमित बिक्री के माध्यम से ऐसे निवेश को बेचने की योजना बना रही है।

**पृष्ठभूमि**

- सरकार ने 2016-17 के लिए 56,500 करोड़ रुपये के विनिवेश का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है।
- इसमें से 36,000 करोड़ रूपए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में <u>अल्पांश हिस्सेदारी की बिक्री</u> से आयेंगे और शेष 20,500 करोड़ रुपये लाभ अथवा घाटे, दोनों में चल रही कंपनियों की रणनीतिक बिक्री से आने की संभावना है।
- नीति आयोग ने 15 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (बहुमत हिस्सेदारी वाली) की एक सूची प्रस्तुत की है जिसमें प्राथमिकता के आधार पर <u>रणनीतिक विनिवेश</u> (प्रबंधन नियंत्रण के साथ-साथ इक्विटी विनिवेश) की सिफारिश की गयी है।
- निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) का गठन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में <u>निवेश के प्रबंधन</u> और हिस्सेदारी-बिक्री प्रक्रिया की निगरानी के लिए की गई थी।

**प्रभाव**

- यह बिक्री सरकार को अपने महत्वाकांक्षी विनिवेश लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करेगी।
- इससे समग्र आर्थिक दक्षता में सुधार आएगा।

VISION IAS

## 2.10. संसाधनों की लामबंदी: काले धन की वापसी

**(Mobilization of Resources: Getting back Black Money)**

### 2.10.1. आय घोषणा योजना

**(Income Declaration Scheme)**

**आय घोषणा योजना क्या है?**

- व्यक्तिगत करदाता जिन्होंने अतीत में आय का खुलासा नहीं किया है, वे इस योजना के तहत आय का खुलासा कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें घोषित आय पर 30 प्रतिशत की दर से कर, 7.5 प्रतिशत की दर से अधिभार और 7.5 फीसदी की दर से जुर्माने/दंड का भुगतान करना होगा।
- 7.5 प्रतिशत की दर से लगने वाले अधिभार को 'कृषि कल्याण अधिभार' कहा गया है और इसका उपयोग कृषि तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए किया जाएगा।
- इस योजना के तहत घोषित आय के संबंध में संपत्ति कर अधिनियम और आयकर अधिनियम के तहत कोई जाँच तथा छानबीन नहीं की जाएगी।
- इस तरह के अधिनियमों के तहत अभियोजन से भी उन्मुक्ति मुहैया कराई जाएगी।
- कुछ शर्तों के अंतर्गत बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम 1988 से भी उन्मुक्ति का प्रस्ताव रखा गया है।
- यह वर्ष 1997 की योजना की तरह कोई आम माफी योजना (एमनेस्टी स्कीम) नहीं है, क्योंकि नये प्रावधानों के अंतर्गत घोषणाकर्ता को करों के साथ दंड का भी भुगतान करना होगा।

### 2.10.2. काले धन के प्रवाह पर अंकुश लगाने हेतु सेबी द्वारा मानदंडों को सख्त करना

**(SEBI tightens norms to curb black money inflow)**

(वित्तीय विनियमन के अंतर्गत इसे कवर किया गया है )

### 2.10.3. पनामा दस्तावेज़ लीक

**(Panama Papers Leak)**

**सुर्खियों में क्यों?**

- मोसैक फ़ोनसेका नामक एक लॉ फर्म, जिसका मुख्यालय टैक्स हेवन देश पनामा में अवस्थित है, की गुप्त फाइलों में से 11 मिलियन से अधिक दस्तावेज लीक हो गए।
- इन दस्तावेजों में उन व्यक्तियों के नाम उजागर हुए हैं, जिन्होंने दुनिया भर के टैक्स हेवन देशों में अपतटीय संस्थाओं (offshore entities) की स्थापना की है।
- यद्यपि ये अपतटीय संस्थायें वास्तविक स्वामित्व छुपाती हैं, लेकिन फिर भी इनके द्वारा शिथिल कर- नियामक प्रणालियों का अनुपालन किया जाता है।
- फर्म की अपतटीय कंपनियों, संस्थाओं और ट्रस्ट की सूची में 500 से अधिक भारतीयों के नाम हैं।

**प्रासंगिक कानून**

- RBI के नियमों के अनुसार, एक व्यक्ति को उदारीकृत विप्रेषण योजना (Liberalized Remittance Scheme-LRS) के तहत प्रति वर्ष 2,50,000 डॉलर तक की राशि के प्रेषण (remit) की अनुमति है।
- हालांकि RBI व्यक्तियों (इंडिविजुअल्स) को LRS के तहत पहले केवल शेयर खरीदने की अनुमति देता था, परंतु इसने इन्हें अगस्त 2013 के बाद से विदेशों में कंपनियों की स्थापना करने की भी अनुमति प्रदान की।
- फाइनेंसियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) द्वारा निर्धारित "गैर-सहयोगी" (non-cooperative) देशों में उक्त धन नहीं भेजा जा सकता है।

**आगे की राह**

- अघोषित विदेशी आय और संपत्ति (कर अधिरोपण) अधिनियम 2015 (Undisclosed Foreign Income and Assets( Imposition of Tax) Act 2015) को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए।

VISION IAS

- RBI को अपतटीय संस्थाओं की स्थापना और उन्हें खरीदने की वैधता को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना चाहिए।
- अनुपालन लागत को कम करने के लिए भारत में कर व्यवस्था को सरल किया जाना चाहिए।
- पूंजी प्रवाह मानदंडों को सख्त करने के लिए G-20 जैसे बहुपक्षीय स्तर पर सहयोग को बढ़ावा देना और कर चोरी से बचने के लिए कर जानकारी साझा करने वाली संधियों को लागू करना।
- कर चोरी पर अंकुश लगाने के लिए OECD देशों के बीच BEPS(Base Erosion and Profit Shifting) पर संपन्न समझौते का अनुपालन किया जाना चाहिए।

### 2.10.4. पनामा: बहुपक्षीय कर सूचना साझा कन्वेंशन

**(PANAMA: Multilateral Tax Information Sharing Convention)**

- कर मामलों में आपसी प्रशासनिक सहायता पर कन्वेंशन 1988 में OECD और यूरोपीय परिषद द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया और 2010 में इसमें एक प्रोटोकॉल द्वारा संशोधन किया गया था।
- यह कन्वेंशन, कर चोरी और परिहार से निपटने के लिए आवश्यक सभी प्रकार के कर सहयोग के लिए सबसे व्यापक बहुपक्षीय साधन है और करदाताओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए व्यापक सुरक्षा उपायों की गारंटी देता है।
- इस कन्वेंशन को 2010 में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप अनुरोध पर सूचना के आदान-प्रदान और सभी हस्ताक्षरकर्ता देशों को सम्मिलित करने हेतु संशोधित किया गया था।
- वर्तमान में 98 देश इस कन्वेंशन में भाग लेते हैं। यह सभी G-20 देशों, सभी ब्रिक्स, सभी OECD देशों, प्रमुख वित्तीय केंद्रों और विकासशील देशों की बढ़ती संख्या सहित देशों की एक विस्तृत श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है।
- भारत ने भी इसपर हस्ताक्षर कर दिए हैं और अब यह कर संबंधी मामलों में अनुरोध पर पनामा से जानकारी प्राप्त कर सकता है।

### 2.10.5. मॉरीशस के साथ दोहरे कराधान से बचाव समझौते में संशोधन

**(Amendment of DTAA with Mauritius)**

मॉरीशस के साथ 30 वर्ष पुराने **दोहरे कराधान से बचाव** समझौते में संशोधन के प्रोटोकॉल पर हाल ही में हस्ताक्षर किए गए हैं।

**दोहरे कराधान से बचाव समझौता क्या है?**

- कर 2 प्रकार के होते हैं - स्रोत आधारित और निवासी आधारित।
- ज्यादातर पश्चिमी देश निवासी आधारित कराधान पर भरोसा करते हैं (क्योंकि उनकी वैश्विक आय अधिक है), जबकि भारत जैसे विकासशील देश निवेश के अवसरों के कारण स्रोत आधारित कराधान के पक्ष में हैं।
- जब स्रोत देश और निवासी देश कराधान के अपने अधिकारों का प्रयोग एक साथ करते हैं, तो दोहरे कराधान की समस्या पैदा होती है; इससे बचने के लिए ही यह समझौता किया जाता है।

**संशोधन की आवश्यकता क्यों थी?**

- 1983 की संधि के अनुसार, केवल मॉरिशस को ही पूंजीगत लाभ पर कराधान की अनुमति थी। लेकिन मॉरीशस ने इसे लागू नहीं किया। इसलिए कंपनियां पूरी तरह से कर-मुक्त हो गयीं।
- इस वजह से कर बचाने के लिए मॉरीशस से बड़े पैमाने पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की आमद हुई (भारत में कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का 34%)।

**संशोधन की मुख्य विशेषताएं**

- भारत अब मॉरीशस में स्थित कंपनी पर भी पूंजीगत लाभ पर कर लगा सकता है।
- 2019 तक दो वर्ष की संक्रमणकालीन अवधि के लिए कर की सीमा भारतीय दरों की 50% रहेगी – यह लाभ एक कंपनी को तभी मिलेगा यदि वह मुख्य उद्देश्य और वैध व्यापार (main purpose and legitimate business) की जरुरी आवश्कता पूरी करे। यदि मॉरीशस में परिचालित हो रही किसी कम्पनी का पिछले 12 महीनों में कुल व्यय 27 लाख रुपये से कम होगा तो उसे दिखावटी कंपनी माना जायेगा।
- यह सिंगापुर संधि के लिए भी लागू होगा।

**लाभ**

- यह धन के राउंड ट्रिपिंग के लिए संधि के दुरुपयोग को रोकने में मदद करेगा, निवेश को व्यवस्थित करेगा, दोहरे गैर-कराधान को रोकेगा तथा कर अनिश्चितता को कम करेगा।

- इससे कर चोरी के लिए मॉरीशस में दिखावटी कंपनी बनाने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं मिलेगा।
- यह BEPS (**Base erosion and profit shifting)** से निपटने के लिए OECD और जी-20 के दिशा -निर्देशों के अनुरूप भारत द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करेगा।
- समान बर्ताव का प्रावधान लंबे समय में अधिक विदेशी निवेश को आकर्षित करेगा।

**समस्यायें**

- विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में गिरावट आएगी; मॉरीशस और सिंगापुर से भारत में 50% विदेशी निवेश आता है।
- साइप्रस और नीदरलैंड जैसी अन्य जगहों के माध्यम से पैसा भारत में भेजा जा सकता है।
- पी-नोट्स की तरह ऋण और शेयर साधनों में निवेश के अपारदर्शी तरीकों की उपस्थिति।

- BEPS का मतलब वे कर योजना रणनीतियां हैं जो कर नियमों में कमियों को भुना कर, लाभ को कम आर्थिक गतिविधि वाले देश में ले जाती हैं, जिससे उन्हें बहुत कम कॉर्पोरेट टैक्स देना होता है।
- BEPS का विकासशील देशों के लिए प्रमुख महत्व है, क्योंकि वे कॉर्पोरेट आयकर पर अधिक निर्भर हैं।

### 2.10.6. वैश्विक वित्तीय गोपनीयता सूचकांक (FSI)

**(Global Financial Secrecy Index)**

वैश्विक वित्तीय गोपनीयता सूचकांक (FSI), गोपनीयता और समुद्रपार वित्तीय गतिविधियों की सीमा के आधार पर अधिकार-क्षेत्रों (jurisdictions) का निर्धारण करता है। यह सूचकांक वैश्विक वित्तीय गोपनीयता, कर मुक्त क्षेत्र या गोपनीयता अधिकारक्षेत्र और गैरकानूनी वित्तीय-प्रवाह या पूंजी-पलायन को समझने का एक उपकरण है। यह **टैक्स जस्टिस नेटवर्क** द्वारा प्रस्तुत किया जाता है।

**इस सूचकांक का क्या महत्व है?**

- समुद्रपार गोपनीयता और इसे बनाने वाली वैश्विक संरचना का सीधा सामना करते हुए FSI सटीकतम सीमा तक उस अधिकारक्षेत्र की पहचान करता है जो समुद्रपार गोपनीयता को इसका कार्य-व्यापार बनाता है।

**वित्तीय गोपनीयता सूचकांक (FSI) 2015 के मुख्य बिंदु:**

- यह चीन, फ्रांस, जर्मनी और जापान जैसे पारंपरिक तौर पर टैक्स हैवेन्स (कर-मुक्त क्षेत्र) न माने जाने वाले देशों सहित 93 अधिकार-क्षेत्रों (93 देशों) पर ध्यान केन्द्रित करता है।
- इसने यह स्पष्ट किया कि परिसंपत्तियों के संबंध में वित्तीय गोपनीयता प्रदान करने में विश्व के सबसे महत्वपूर्ण प्रदाता छोटे द्वीप नहीं बल्कि विश्व के कुछ सबसे बड़े और धनी देश हैं।
- OECD के संपन्न देश और उनके अनुचर इस गैरकानूनी प्रवाह के मुख्य प्राप्तकर्ता या वाहक हैं।
- संगठन के पूर्ववर्ती सूचकांक में सिंगापुर 2013 में चौथे से पांचवे स्थान पर चला गया जबकि हांगकांग का स्थान तीसरा हो गया।

**टैक्स जस्टिस नेटवर्क क्या है?**

यह अंतर्राष्ट्रीय कर क्षेत्र और वित्तीय नियमन के अंतर्राष्ट्रीय पहलू में उच्च स्तर के शोध एवं विश्लेषण को समर्पित एक स्वतंत्र संस्था है। यह संस्था कर की भूमिका, कर चोरी के नुकसानदेह प्रभाव, कर-परिहार, कर प्रतिस्पर्द्धा और करमुक्त-क्षेत्र का मापन, विश्लेषण और व्याख्या करती है।

**गोपनीय अधिकारक्षेत्र/ टैक्स हैवेन्स क्षेत्र क्या हैं?**

ऐसा राज्य, देश या क्षेत्र जहाँ कतिपय कर बहुत ही कम हैं या हैं ही नहीं और गैरकानूनी और अवैध वित्तीय प्रवाह को आकर्षित करने के लिए वित्तीय गोपनीयता का प्रयोग किया जाता है।

VISION IAS

# कृषि

(AGRICULTURE)

# 1. भारतीय कृषि

(Indian Agriculture)

## 1.1. बजट में सिंचाई पर जोर

(Irrigation Thrust in Budget)

**त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (Accelerated Irrigation Benefit Program) परियोजनाओं के पूरा होने पर जोर**

- सरकार त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (AIBP) के तहत आने वाली सभी 89 'सक्रिय' सिंचाई परियोजनाओं पर तीव्र गति से कार्य करने की योजना बना रही है।
- सरकार का उद्देश्य इसके वित्तपोषण के लिए आवश्यक 86,500 करोड़ रूपए जुटाने का भी है। इसके लिए सरकार का लक्ष्य बजटीय और बजट इतर संसाधनों के साथ-साथ बाज़ार से भी पैसा जुटाने का है।
- सरकार ने वादा किया है कि इन 89 परियोजनाओं में से कम से कम 23 परियोजनाओं (जिनमें से कुछ पर वर्ष 1970 के मध्य में ही कार्य शुरू हो गया था) को मार्च 2017 तक पूरा कर लिया जायेगा। इसके बाद द्वितीय चरण में अन्य 23 परियोजनाओं को वर्ष 2020 तक पूरा किया जायेगा।

**त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम परियोजनाओं की स्थिति**

- अनुमोदित 297 बड़ी परियोजनाओं में से केवल 143 ही पूरी हो पायी हैं।
- उनमें से 89 परियोजनाएँ निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं, जिन्हें द्रुतगति से पूरा किया जायेगा।
- शेष 65 परियोजनाएँ अभी तक शुरू नहीं हुई हैं, और अब समीक्षा की जाएगी कि अब उन्हें पूरा करना व्यवहार्य होगा या नहीं।

**देरी के कारण**

- त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम को अपर्याप्त केंद्रीय वित्त पोषण की समस्या का सामना करना पड़ा है।
- इसमें अधिक से अधिक परियोजनाओं को शामिल करने के लिए, इसके दायरे में विस्तार किया गया।
- अधिकांश परियोजनाएँ समय पर पूरी नहीं हुई और लागत बढ़ती गयी।

**त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (AIBP)**

- सरकार ने देश की बड़ी/मध्यम/लघु सिंचाई परियोजनाओं को केन्द्रीय ऋण सहायता प्रदान करने के लिए वर्ष 1996-97 में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम शुरू किया था।
- इसका उद्देश्य उन परियोजनाओं में तेज़ी लाना था जो राज्यों की संसाधन क्षमता से परे थीं या पूरा होने के अंतिम चरण में थीं।

**अन्य उपाय**

- राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के अंतर्गत एक समर्पित सिंचाई कोष की स्थापना, जिसे ऋण लेने के लिए कर मुक्त बांड जारी करने के लिए कहा गया है।
- बजट के माध्यम से 20000 करोड़ रुपए का एक आरंभिक कोष (initial corpus) स्थापित किया जा चुका है, नाबार्ड बाजार से और धन जुटाने के लिए इसका लाभ उठा सकता है।
- सरकार ने त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम की 143 पूर्ण परियोजनाओं में से प्रत्येक वर्ष 50 परियोजनाओं की क्षमता बढ़ाने की दिशा में काम करने के लिए केंद्रीय जल आयोग और अन्य एजेंसियों को निर्देश दिया है।
- इन प्रत्येक परियोजनाओं में अब जल उपयोगकर्ता संघ (water user associations) भी होंगे, जो इस संबंध में फैसला लेंगे कि क्षेत्र में प्रत्येक दावेदार को पानी कैसे वितरित किया जाये।
- **प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY)** सिंचाई सुविधाओं में सुधार लाने पर भी ध्यान केन्द्रित कर रही है।

VISION IAS

## 1.2. फसल प्रतिरूप: भूसंपत्ति और पशुधन धारिता पर NSSO की रिपोर्ट

### (Cropping Patterns: NSSO Report on Land and Livestock Holdings)

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO) ने अपने 70वें दौर (जनवरी 2013 से दिसंबर 2013) के सैंपल सर्वे के एक भाग के रूप में देश के ग्रामीण क्षेत्रों में भूसंपति और पशुधन धारिता पर एक सर्वेक्षण किया है।

**खेती के पैटर्न में प्रवृत्तियां**

- वर्ष 2002-03 की तुलना में 2012-13 में परिचालन जोतों (ऑपरेशनल होल्डिंग्स) की कुल संख्या और संयुक्त जोतों के कुल प्रतिशत में वृद्धि हुई है।
- जुलाई 2012 से दिसम्बर 2012 (56.21%) और जनवरी 2013 से जून 2013 (57.74%) के दौरान सर्वाधिक क्षेत्र का उपयोग **अनाज उपजाने में किया** गया था। इसके बाद दो सत्रों में भूमि का उपयोग क्रमशः **तिलहन** (13.75% और 7.34%) और दालों (6.30% और 10.20%) को उगाने में किया गया था।
- जुलाई 2012 से दिसम्बर 2012 के सत्र में आंध्र प्रदेश (26%), असम (23%), बिहार (17%) और पश्चिम बंगाल (13%) जैसे राज्यों में भूमि बाढ़ से प्रभावित रही।

**पशुपालन में प्रवृत्तियां**

- जुलाई से दिसम्बर, 2012 और जनवरी से जून, 2013 के बीच पशुपालन (डेयरी, मुर्गी पालन, सुअर पालन, मछली पालन और अन्य) में सबसे ज्यादा भूमि का उपयोग **डेयरी** (53.8% और 69.7%) में किया गया था। इन दो सत्रों में मछली पालन के लिए क्रमशः 18.7% और 11.8% भूमि क्षेत्र का इस्तेमाल किया गया था।
- जुलाई से दिसम्बर 2012 के दौरान सभी प्रकार के पशुपालन के लिए 0.97% भूमि और जनवरी से जून 2013 के दौरान 1.69% भूमि का इस्तेमाल किया गया।

**देश में पशुधन/कुक्कुट पक्षी**

- पिछले सर्वेक्षण की तुलना में 70वें सर्वेक्षण में गोवंशी (bovine) पशुओं की अनुमानित संख्या में कमी आयी है।
- पिछले सर्वेक्षण की तुलना में भेड़ और बकरी तथा सुअर की आबादी में मामूली वृद्धि हुई है।
- 70वें दौर में कुक्कुट पक्षियों की संख्या 59वें दौर के सर्वेक्षण से लगभग 1.4 गुना बढ़ गयी है।
- वर्ष 2012-13 के दौरान मवेशी और भैंसों की अनुमानित संख्या 204 मिलियन थी। इस अवधि के दौरान भेड़ और बकरी की अनुमानित संख्या 99 मिलियन थी।

## 1.3. भारतीय कृषि में सुधार

### (Reforms in Indian Agriculture)

**कृषि के दयनीय प्रदर्शन और बढ़ती किसान आत्महत्याओं के कारण**

- **कृषि से होने वाली आय में गिरावट** - पिछले 2 वर्षों में कई क्षेत्रों में कमजोर मानसून के कारण फसल ख़राब हो गयी और अन्य क्षेत्रों में बहुत कम उत्पादकता प्राप्त हुई है।
- छोटे सीमांत और काश्तकार किसानों के लिए **ऋण** की अनुपलब्धता एवं स्वास्थ्य और सामाजिक समारोहों पर बढ़ते व्यय ने किसानों पर कर्ज का भारी बोझ डाल दिया है।
- **दयनीय या निम्न मूल्य** – जिंसों के वायदा मूल्यों में कमी, जिंसों के मूल्यों में गिरावट एवं सरकारी सहयोग की कमी के कारण मूल्यों में उच्च अस्थिरता उत्पन्न हो गयी है। इससे किसानों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है।
- बीज की ऊंची कीमतों के साथ-साथ उर्वरक और कीटनाशकों की बढ़ती खपत के कारण **कृषि की बढ़ती लागतें**।

**इस दिशा में उपयुक्त कदम**

- **सिंचाई** - सिंचाई फसल विफलता के विरुद्ध सर्वोत्तम बीमा है। PMKSY और नीरांचल को प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए। (ऊपर चर्चा की गयी है)
- **फसलों के विविधीकरण को प्रोत्साहित करना:** किसी एक फसल की विफलता के विरुद्ध प्राकृतिक बीमा का कार्य करेगा।
- **APMC अधिनियम में सुधार और राष्ट्रीय कृषि बाजार** – यह भ्रष्टाचार और बिचौलियों को समाप्त करेगा एवं किसान की उपज के लिए बेहतर मूल्यों को सुनिश्चित करेगा। (कृषि-राष्ट्रीय बाजार खंड में नीचे चर्चा की गयी है)
- मशीनीकरण को बढ़ावा देने हेतु औसत खेत आकार बढ़ाने के लिए **भूमि सुधार**।



VISION IAS

- **फसल बीमा:** खराब मौसम, आपदा एवं फसल कटाई के बाद होने वाली क्षतियों के विरुद्ध फसल बीमा का कुशलतापूर्वक वितरण। (विस्तृत विवरण के लिए PMFBY विषय पर जाएँ)
- **कृषि भूमि के पट्टे की प्रक्रिया में सुधार–** यह काश्तकार किसानों के लिए बीमा एवं ऋण प्राप्त करना संभव करेगा।
- अभावग्रस्त खेतिहर घर-परिवारों को **जीविका के वैकल्पिक स्रोत प्रदान करना**।
- **आगत (Inputs):** उचित मूल्य पर **उत्तम गुणवत्ता के बीजों** की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

## 1.4. किसानों को जिंस वायदा बाजार की आवश्यकता

### (Need for Commodity Futures Market to Farmers)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

हाल ही में, इस मुद्दे पर एसोचैम (ASSOCHAM) द्वारा आयोजित **14वें कमोडिटी वायदा बाजार शिखर सम्मेलन 2016** में चर्चा की गई।

**जिंस वायदा बाजार के लाभ:**

- अच्छी तरह से विकसित जिंस वायदा बाजार कृषक कल्याण की सुनिश्चितता के लिए आवश्यक है क्योंकि किसानों में सौदेबाजी की शक्ति की कमी है और उन्हें बाजार की स्थितियों के बारे में सीमित जागरूकता होती है।
- यह उन्हें उनकी कमाई के पूर्वानुमान में और उनके भविष्य के निवेश की योजना बनाने में मदद करेगा।
- ये बाजार कीमतों में मौसमी बदलाव की सीमा को कम करेंगे।
- ये फसल कटाई के बाद कीमतों में मंदी से किसानों की रक्षा करते हैं।

**वायदा बाज़ार में भारतीय किसानों की भागीदारी निराशाजनक क्यों है?**

- मूल्य जोखिम की बचाव-व्यवस्था में विशेषज्ञता की कमी के कारण।
- मार्जिन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त बिक्री योग्य अधिशेष और पर्याप्त नकदी का न होना।
- अकुशल भौतिक संचालन, बिचौलियों की अत्यधिक संख्या, लम्बी और खंडित बाजार श्रृंखला ने किसानों को उनकी उपज के उचित मूल्य से वंचित कर दिया है।

**सरकार की पहल:**

- सरकार ने आठ राज्यों के उन **214 बाज़ारों को वित्त उपलब्ध कराया** है जिन्होंने ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म - **राष्ट्रीय कृषि बाजार (NAM)** में शामिल होने के प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की है।
- **एकल ई-व्यापार मंच** के प्रस्ताव और बाजारों को कंप्यूटरीकृत करने का काम चल रहा है।
- सरकार मौजूदा बाज़ारों को और व्यापक बनाने का प्रयास कर रही है और जिन स्थानों पर भौतिक बाज़ार नहीं है वहां सरकार लेनदेन की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है।
- किसानों के किसी भी प्रश्न को हल करने हेतु जानकारी प्रदान करने के लिए 'इंटरैक्टिव किसान पोर्टल' की संकल्पना।

**आगे की राह:**

- उद्योग के सहयोग और सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता है।
- सभी हितधारकों की पूरी भागीदारी और सहयोग वांछनीय है।

## 1.5. APMC और राष्ट्रीय कृषि बाजार

### (APMC and National Agriculture Markets)

**पृष्ठभूमि**

- आर्थिक सर्वेक्षण 2014-15 के अनुसार, भारत में मुख्य विनियमित प्राथमिक कृषि बाजारों की संख्या 2477 हैं।
- ये संबंधित राज्यों के APMC अधिनियम द्वारा संचालित होते हैं, जिसने बाजार में विभाजन और बिचौलियों और अक्षमताओं द्वारा शोषण को प्रेरित किया है।
- सरकार ने जुलाई 2015 में 585 बाजारों में राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना शुरू की थी और अप्रैल 2016 में प्रायोगिक तौर पर ई-ट्रेडिंग की शुरुआत की।
- इसी प्रकार राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक मार्केट स्कीम (ReMs) नामक एक सफल प्रयोग कर्नाटक में आरंभ किया गया, जहाँ ई-प्लेटफ़ॉर्म में प्रमुख बाजारों को एकजुट किया गया।

**राष्ट्रीय कृषि बाजार क्या है?**

- राष्ट्रीय कृषि बाजार की घोषणा केंद्रीय बजट 2014-15 में की गयी थी। यह एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल है, जो मौजूदा कृषि उत्पाद विपणन समितियों (APMCs) और अन्य बाजारों को जोड़ कर कृषि जिंसों के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार की स्थापना करेगा।
- राष्ट्रीय कृषि बाजार एक 'आभासी' बाजार है, लेकिन यह भौतिक बाजार (मंडी) से जुड़ा है।

**लाभ**

- संचालन दक्षता और मंडी के संचालन में पारदर्शिता बढ़ेगी।
- बाजार तक पहुँच बढ़ेगी और गोदाम आधारित बिक्री के माध्यम से किसानों के लिए अधिक विकल्प उपलब्ध हो सकेंगे।
- मंडी में आने वाले स्थानीय व्यापारियों के लिए सेकेंडरी ट्रेडिंग हेतु व्यापक राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध होगा।
- थोक खरीदारों, प्रसंस्करणकर्ताओं, निर्यातकों आदि के लिए मध्यस्थता की लागत में कमी।
- सूचना विषमता (information asymmetry) समाप्त होगी।
- लाइसेंस जारी करने, शुल्क लगाने और उत्पादन के परिवहन के लिए एक सामान्य प्रक्रिया का निर्धारित किया जाना सुनिश्चित होगा।
- इसके माध्यम से आने वाले 5-7 वर्षों में, किसानों को अधिक लाभ, खरीदारों के लिए कम लेन-देन खर्च और उपभोक्ताओं के लिए स्थिर कीमत और उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी।
- यह वैज्ञानिक भंडारण और कृषि वस्तुओं के परिवहन को बढ़ावा देकर मूल्य श्रृंखला (value chains)के उद्भव में मदद करेगा।

**चुनौतियां**

- सिंगल लाइसेंस सभी राज्यों में मान्य हो।
- बाजार शुल्क की एकल बिंदु लेवी।
- काफी सफलता के बावजूद, किसानों, एजेंटों, व्यापारियों, APMCs, सरकार आदि जैसे विभिन्न हितधारकों को शामिल करने की विफलता की वजह से प्रगति धीमी रही है।
- यद्यपि बिचौलिये किराया (rent) लेते हैं लेकिन वे किसानों को समय पर ऋण और ऋण की सुविधा प्रदान करते हैं। इसलिए, उन्हें शामिल करना महत्वपूर्ण है और बाजारों को एकीकृत करने से पहले उनके डर को समाप्त करना होगा।
- इसी प्रकार, तकनीकी समाधान पर अधिक निर्भरता धीमी हो सकती है और हो सकता है कि यह वांछित प्रभाव न दे।

**आवश्यक पूर्व-शर्तें**

राष्ट्रीय कृषि बाजार का हिस्सा बनने से पूर्व राज्यों को निम्न सुधारों को अपनाने की आवश्यकता होगी:

- राज्य भर में मान्य एकल लाइसेंस की व्यवस्था
- एक ही बिंदु पर बाजार शुल्क की उगाही
- उचित कीमत प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक नीलामी का प्रावधान

**आगे की राह**

कृषि और अंतर-राज्य व्यापार 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची के विषय हैं। राज्यों को सहकारी संघवाद की नई भावना के तहत उनके कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम में संशोधन करने के लिए तैयार किया जाना चाहिए, ताकि राष्ट्रीय कृषि बाजार का गठन किया जा सके।

## 1.6. प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना

### (Pradhan Mantri Fasal Beema Yojna)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

- 13 जनवरी 2016 को भारत सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) नामक एक नई फसल बीमा पॉलिसी शुरू की है।
- यह दो योजनाओं राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (NAIS) और संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (MNIAS) की जगह लेगा।

**पूर्ववर्ती योजनाओं से जुड़े मुद्दे:**

- सरकारी रिपोर्ट के अनुसार, मौजूदा उपज आधारित और मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत लगभग 37 मिलियन अथवा 27% खेती करने वाले परिवारों को कवर किया जा रहा था।

VISION IAS

- वर्तमान फसल बीमा योजना के तहत जोखिम को केवल आंशिक रूप से कवर किया जा रहा था।
- खरीफ फसलों के लिए प्रीमियम दरें 2.5% से लेकर 3.5% की सीमा में तथा रबी फसलों के लिए 1.5% से 2.5% तक की सीमा में निर्धारित किया जाता था किन्तु क्षतिपूर्ति अधिकतम कितनी भूमि पर नुकसान के लिए प्रदान की जाएगी, इसकी सीमा निर्धारित थी।
- वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए प्रीमियम की गणना बीमांकिक (actuarial) आधार पर की जाती थी, जिसका अर्थ है कि ऐसे प्रीमियम बीमा में शामिल जोखिम के आधार पर कुल बीमित राशि के 25% तक हो सकते थे।
- फसल क्षति के आकलन में पारदर्शिता का अभाव रहा है और इस हेतु नवीनतम तकनीकों का उपयोग नहीं किया जाता था।
- मुआवजा प्रदान करने की प्रक्रिया में काफी समय लगता था, यहां तक कि कई मामलों में एक वर्ष से भी अधिक का समय लग जाया करता है।

**मुख्य विशेषताएं:**

- इस योजना का लक्ष्य अगले तीन साल में भारत की फसली क्षेत्र के आधे भाग को कवर करना है। वर्तमान कवरेज लगभग 23% है।
- किसानों द्वारा भुगतान की जाने वाली प्रीमियम की दरें एक समान होंगी। इसके तहत सभी प्रकार की **खरीफ फसलों के लिए केवल 2% तथा सभी रबी फसलों के लिए 1.5% का प्रीमियम देय** होगा।
- **वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों** के मामले में, किसानों द्वारा केवल 5% प्रीमियम का भुगतान करना होगा। सरकारी सब्सिडी पर कोई ऊपरी सीमा नहीं है। यहाँ तक कि यदि शेष प्रीमियम 90% है, तो भी उक्त राशि का भार सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
- प्रीमियम सब्सिडी पर सरकारी दायित्व केंद्र और राज्यों द्वारा समान रूप से साझा किया जाएगा।
- सरकार ने फसल बीमा के लिए बजट आवंटन में काफी वृद्धि की है। इसे **2015-16 के लिए आवंटित 2,823 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2018-19 के लिए 7,750 करोड़** रुपया कर दिया गया है।
- ओलावृष्टि, बेमौसम बारिश, भूस्खलन और बाढ़ सहित **स्थानीय आपदाओं के लिए खेत स्तरीय मूल्यांकन प्रदान** करने की सुविधा को उपलब्ध कराते हुए इस योजना के द्वारा किसानों की लंबे समय से चली आ रही मांगों को भी संबोधित किया जाएगा।
- प्रौद्योगिकी के उपयोग को काफी हद तक प्रोत्साहित किया जाएगा।
  - ✓ फसल काटने के आंकड़ों को प्राप्त करने के लिए स्मार्ट फोन का प्रयोग फोटो खींचने तथा उसे अपलोड करने में किया जाएगा। इसे किसानों को उनके दावे के भुगतान में होने वाली देरी को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।
  - ✓ रिमोट सेंसिंग का भी इस्तेमाल किया जाएगा-फसल कटने के प्रयोगों की संख्या में कमी लाने के लिए (to reduce the number of crop cutting experiments)।
- सरकार ने कहा है कि मौसम आधारित फसल बीमा योजना (WBCIS) के मामले में, प्रीमियम दरों को **PMFBY** के अनुरूप युक्तिसंगत बनाया जाएगा। PMFBY 1 अप्रैल 2016 से प्रभाव में आएगा।

**PMFBY के लाभ:**

- निरंतर सूखा और बेमौसम बारिश तथा कुछ इलाकों में ओला पड़ने से यह स्पष्ट हो गया है कि खेती में जोखिम लगातार बढ़ते जा रहे हैं और फसल बीमा की मौजूदा प्रणाली किसानों की इन समस्यायों का समाधान करने में असफल रही है। इस संदर्भ में यह नई योजना निश्चित रूप से सही दिशा में और सही समय पर उठाया गया एक अच्छा कदम है, जिससे बढ़ते प्रकृतिजन्य खतरों से भारतीय कृषि को बचाने में मदद मिलेगी।
- किसानों द्वारा भुगतान की जाने वाली प्रीमियम दरें बहुत ही कम हैं तथा प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाली फसल हानि के एवज में किसानों को पूर्ण बीमित राशि प्रदान करने के लिए शेष प्रीमियम का भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा।
- कम प्रीमियम के कारण बीमा कंपनियों तथा फसल बीमा की संख्या में वृद्धि होगी और बीमाकर्ताओं के लिए बीमा योजनायें व्यावहारिक तौर पर उपलब्ध होंगी।
- चूंकि इसमें फसल कटाई के बाद (पोस्ट-हार्वेस्ट) के घाटे को भी शामिल किया गया है, अतः यह किसानों को सुरक्षा और आत्मविश्वास प्रदान करेगा।

**PMFBY की निम्नलिखित कमियों की कृषि अधिकार समूहों द्वारा पहचान की गई है:**

- बीमा से संबंधित समस्याएं प्रीमियम दरों से अधिक व्यापक हैं। उदाहरण के लिए, कई राज्यों में जहाँ MNAIS की प्रीमियम दरें काफी कम हैं, फिर भी वहां अभी भी बहुत कम लोगों के पास ऐसा बीमा उपलब्ध है।
- सरकार को यह उम्मीद है कि बीमा कवर अगले तीन वर्षों में मौजूदा 23% से बढ़कर 50% तक हो जाएगा। सरकार का यह अनुमान वस्तुतः तथ्यों व आंकड़ों के बजाए उम्मीदों पर अधिक आधारित है, जबकि पिछले अनुभव यह बताते हैं कि ऐसी सभी उम्मीदें धराशायी हो गयी हैं।
- केंद्र और राज्य सरकारों के बीच 50:50 के अनुपात में सब्सिडी का वहन किया जाना है। परंतु अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि क्या राज्य अपने हिस्से की ऐसी सब्सिडी को वहन करने के लिए सहमत हो गए हैं।
- इस योजना के अंतर्गत **ऐसे काश्तकारों की समस्या** का समाधान करने के लिए, जो फसल खराब होने का जोखिम तो सहन करते हैं लेकिन मुआवजा और बीमा भुगतान के लिए हकदार नहीं होते हैं, की समस्या का कोई समाधान नही दिख रहा।
- जंगली जानवरों द्वारा फसल नुकसान जैसे जोखिम अभी भी कवर नहीं किये गए हैं।
- 'आकलन की इकाई (the unit of assessment)' फसल नुकसान या क्षति मुआवजा से जुड़ा हुआ एक प्रमुख मुद्दा है, जिसे नई योजना में ध्यान नहीं दिया गया है।

**आगे की राह**

इस योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए निम्नलखित पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है:

- स्वचालित मौसम स्टेशन (AWSs), ड्रोन और उपग्रह आदि उन्नत प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए फसल का आकलन पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए।
- जितनी जल्दी (फसल क्षति के आकलन के एक सप्ताह के भीतर) हो सके, मुआवजे का भुगतान सीधे किसानों के खातों में हस्तांतरित किया जाना चाहिए ताकि अगला कृषि चक्र प्रभावित नहीं हो पाए।

**पूरवर्ती योजनाओं के साथ तुलना:**

| पैमाना | NAIS [1999] | MNAIS [2010] | PMFBY |
|---|---|---|---|
| **प्रीमियम दर** | कम | अधिक | NAIS से भी कम और सरकार किसानों के योगदान का 5 गुना योगदान देगी |
| एक मौसम एक प्रीमियम (One Season – One Premium) | हाँ | नहीं | हाँ |
| **समाविष्ट बीमा राशि** | पूर्ण | ऊपरी सीमा नियत | पूर्ण |
| **खाते में भुगतान** | नहीं | हाँ | हाँ |
| स्थानीय जोखिम कवरेज | नहीं | ओलों, तूफान, भूस्खलन से | ओलों तूफान, भूस्खलन, बाढ़ से |
| **फसल कटाई के बाद नुकसान का कवरेज** | नहीं | तटीय क्षेत्रों - चक्रवाती बारिश के लिए | अखिल भारतीय - चक्रवाती और बेमौसम वर्षा के लिए। |
| **अवरोधित (PREVENTED) बुवाई कवरेज** | नहीं | हाँ | हाँ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **प्रौद्योगिकी का उपयोग** | नहीं | अभिप्रेत (Intended) | अनिवार्य |
| जागरूकता | नहीं | नहीं | हाँ (लक्ष्य 50% करने के लिए कवरेज को दोगुना करने के लिए) |

## 1.7. कृषि कल्याण उपकर

(Krishi Kalyan Cess)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

बजट में 0.5% का **कृषि कल्याण उपकर** लगाने की घोषणा की गयी।

**यह क्या है?**

- कृषि कल्याण उपकर सभी सेवाओं पर लागू है। इसका पूरी तरह से कृषि और किसान कल्याण से संबंधित गतिविधियों के वित्तपोषण में उपयोग किया जायेगा।
- अब सेवा कर 14.5% से बढ़कर 15% हो गया है।
- **कृषि कल्याण उपकर के लिए बजट लक्ष्य** 5000 करोड़ रुपये है।

**यह क्यों महत्वपूर्ण है?**

- PMFBY और कृषि सिंचाई योजना निधि हेतु यह केंद्र के लिए धन का एक स्रोत बन जाता है।
- कृषि कल्याण उपकर इस विचार पर आधारित है कि अर्थव्यवस्था के संपन्न सेवा क्षेत्र (सकल घरेलू उत्पाद का 58%) पर उपकर लगाने से संकटग्रस्त कृषि क्षेत्र के लिए जरुरी वित्त उपलब्ध होगा।
- लगातार दो साल के ख़राब मानसून की वजह से इस साल समस्या और गंभीर है।
- दीर्घावधि में कृषि उत्पादकता में सुधार से किसानों की आय में बढ़ोत्तरी होगी और बेहतर आपूर्ति और कम कीमतों से उपभोक्ताओं को लाभ होगा।

**कर, उपकर, अधिभार और लेवी के बीच अंतर**

- **कर (Tax):** किसी भी आर्थिक गतिविधि के एवज में सरकार द्वारा उगाहे जाने वाले धन को कर कहते हैं।
- **लेवी (Levy)** कर लगाने की क्रिया है।
- किसी एक विशेष उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा उगाहे जाने वाले कर को **"उपकर (Cess)"** कहते हैं। यह एक प्रकार से कर के ऊपर कर होता है।
- **'अधिभार (Surcharge)'** किसी भुगतान किये हुए कर पर एक प्रभार होता है, सरकार इसे कहीं भी खर्च कर सकती है।
- **ड्यूटी:** यह वस्तुओं के आयात-निर्यात पर लगाया जाने वाला कर है।

## 1.8. मराठवाड़ा में सूखा और चीनी मिलों का मुद्दा

(Marathwada Drought and Sugar Factories)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

मराठवाड़ा जैसे क्षेत्र पानी की भीषण कमी का सामना कर रहे हैं (करीब 40% तक कमी)। इस क्षेत्र में लगातार दूसरे वर्ष वर्षा कम होने से सूखे की स्थिति विद्यमान है।

**मुद्दाः क्या गन्ने की खेती मराठवाड़ा क्षेत्र में सूखे के लिए जिम्मेदार है?**

**समर्थन में तर्क**

- गन्ने की खेती के लिए बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है (2000 से 2500 मिमी पानी)। उत्तरी क्षेत्रों में नदियों का विशाल नेटवर्क है, लेकिन महाराष्ट्र में गन्ने की खेती पानी की कमी वाले क्षेत्रों में होती है।
- गन्ने की खेती के तहत यहाँ केवल 4% भूमि पर, सिंचाई के लिए उपलब्ध जल के 71.5% का उपयोग किया जाता है।

VISION IAS

- इस क्षेत्र में 20 से अधिक चीनी मिलें हैं और प्रत्येक मिल में प्रति टन गन्ने की पेराई के लिए लगभग 1500 लीटर पानी का उपयोग किया जाता है।
- कुछ समय पूर्व महाराष्ट्र जल और सिंचाई आयोग ने भी गन्ने की खेती को इस क्षेत्र में बंद करने की सिफारिश की थी।

**विरोध में तर्क**

- गन्ना प्रति दिन के आधार पर और बायोमास की प्रत्येक इकाई वजन के उत्पादन के आधार पर भी कम पानी की खपत करता है, क्योंकि धान के विपरीत, गन्ना साल के 365 दिन बढ़ता है।
- ऐसी मिलें पूरे वर्ष संचालित होती हैं, और अगर इन चीनी मिलों से चारा, बिजली (खोई से) और शराब के उत्पादन को देखा जाए, तो ये मिल कोई अतिरिक्त पानी या बिजली का उपभोग नहीं करतीं।

**निष्कर्ष**

- खेती की प्राथमिकताओं और जल आवंटन के बीच एक संतुलन की आवश्यकता है।
- ड्रिप सिंचाई, जिससे 40% पानी बचाया जा सकता है, को कानूनी रूप देकर अनिवार्य बनाया जाना चाहिए।
- आर्थिक सर्वेक्षण 2015-16 के अनुसार, दलहन और मोटे अनाज की तरह कम पानी की खपत वाली फसलों को बढ़ावा दिया जा सकता है।
- चीनी कारखानों पर कोई भी प्रतिबंध इनपुट लागत और उनसे उत्पादित चीनी, बिजली, इथेनॉल और खोई के उत्पादन मूल्य के उचित मूल्यांकन के आधार पर ही लगाना चाहिए।

## 1.9. ताड़ का तेल उद्योग निवेशकों को आकर्षित नहीं कर रहा है: रिपोर्ट

**(Palm Oil Industry not Attracting Investors: Report)**

**पृष्ठभूमि**

- 2015 में सरकार द्वारा पाम ऑइल (palm oil) खेती में स्वचालित मार्ग के माध्यम से 100% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति दी गयी।
- ऐसा इस क्षेत्र में पूंजी और प्रौद्योगिकी लाने के लिए किया गया था।
- इससे खाद्य तेल आयात बिल में कमी की उम्मीद भी थी।
- इससे पहले सरकार ऑइल पाम और तिलहन पर राष्ट्रीय मिशन (NMOOP) लायी थी। इसका उद्देश्य राज्यों में क्षेत्र विस्तार दृष्टिकोण के माध्यम से 1.25 लाख हेक्टेयर भूमि ऑइल पाम  खेती के अंतर्गत लाना है।

**पाम तेल क्षेत्र में निवेश की स्थिति**

- ऑइल पाम डेवलपर्स और प्रोसेसर एसोसिएशन (OPDPA) की रिपोर्ट के अनुसार, क्षेत्र में न कोई निवेश हुआ है और न ही निवेश के लिए कोई पूछताछ की गयी है।
- 20 लाख हेक्टेयर की अनुमानित क्षमता वाले इस क्षेत्रक में पिछले 2 दशकों में महज़ 2 लाख हेक्टेयर भूमि पाम आयल की खेती में जोड़ी गयी है।

**कारण**

- वर्तमान में ऑइल पाम को बागानी फसल के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया है और यह कृषि जोत उच्चतम सीमा अधिनियम के दायरे में आती है। इस वजह से बड़ी कंपनियां बड़े पैमाने पर निवेश नहीं कर पाती।
- वर्तमान आयात शुल्क घरेलू उत्पादकों के लिए लाभकारी नहीं हैं।
- उद्योग और किसानों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कोई समर्पित संस्था नहीं है।

**आगे की राह**

- पाम आयल के विकास के लिए भूमि उच्चतम सीमा मानदंडों में छूट देना और अनुबंधित खेती के साथ बड़े पैमाने पर खेती की अनुमति देना।
- किसानों और उद्योग को ध्यान में रखते हुए, एक अलग पाम तेल आयात नीति बनाना।
- उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एक अलग ऑइल पाम विकास बोर्ड स्थापित करना।
- किसानों के लिए सरकार से बजटीय मदद।

VISION IAS

**भारत के ऑइल पाम उद्योग के बारे में तथ्य**

- यह उच्चतम पैदावार वाली तिलहन फसल है और अन्य तिलहनों के मुकाबले कम क्षेत्र में ही अच्छी पैदावार देती है।
- पाम तेल के वैश्विक व्यापार का 41% हिस्सा चीन, इंडोनेशिया और भारत के पास है। खाद्य तेल का आयात बिल 2016-17 में 15 अरब डॉलर पहुंचने की उम्मीद है।
- इस क्षेत्र में 2,00,000 नए रोजगार पैदा करने की क्षमता है।

## 1.10. जेनेटिकली मोडिफाइड (GM) तकनीक लाइसेंसिंग से संबंधित नयी अधिसूचना रद्द

### (Withdrawal of New Notification Regarding Licencing of GM Technology)

**अधिसूचना में क्या था ?**

- कृषि मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की थी, जिसके अनुसार जेनेटिकली मोडिफाइड तकनीक का लाइसेंस प्रदाता (licensor) किसी भी आवेदक को उस तकनीक का लाइसेंस देने से मना नहीं कर सकता था।
- इसके द्वारा आनुवंशिक रूप से संशोधित बीज की नई तकनीक की लाइसेंस फीस पर भी सीमा लगा दी गयी थी और इसमें बीज प्रौद्योगिकी लाइसेंस प्रदाता और लाइसेंसधारियों के बीच द्विपक्षीय समझौतों को विनियमित करने की मांग की गयी थी।
- इससे GM फसल तकनीक पर भी अनिवार्य लाइसेंस का प्रावधान लागू हो जाता।

**इस अधिसूचना को क्यों वापस ले लिया गया ?**

GM तकनीक कंपनियों द्वारा निम्न वजहों से असंतोष व्यक्त करने के बाद इसे वापस ले लिया गया:

- पेटेंट तकनीक के कारोबार का नुकसान।
- इस अधिसूचना का मतलब लाइसेंस राज की वापसी थी।
- यह विश्व व्यापार संगठन के अनिवार्य लाइसेंस के नियमों के विरुद्ध थी।
- यह अनुसंधान के क्षेत्र में निवेश को हतोत्साहित करती और अंततः किसानों को नुकसान हो सकता था।

**वर्तमान स्थिति**

केंद्र सरकार ने अब इस अधिसूचना को जनता की राय लेने के लिए जनता के समक्ष रखा है। इस बीच उसके प्रवर्तन को निरस्त कर दिया गया है।

## 1.11. बीटी कपास के रॉयल्टी शुल्क में 74% की कटौती

### (Reduction of Bt Cotton Royalty Fees by 74%)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

- सरकार ने अनुवांशिक रूप से संशोधित कपास के बीज की कीमतों में कटौती कर दी है और रॉयल्टी शुल्क 74% तक घटा दिया है।

**इस कदम के कारण**

- सरकार ने आनुवंशिक रूप से संशोधित बीज के प्रति पिंक बॉलवर्म द्वारा विकसित त्वरित प्रतिरोध का हवाला देते हुए बॉलगार्ड-II के लिए ट्रेट फीस (trait fee) में कटौती करने और पेटेंट रद्द करने के प्रस्ताव का बचाव किया है।
- बीज की कम इनपुट लागत से भारत में लगभग 80 लाख कपास किसान लाभान्वित होंगे।
- इस कदम से घरेलू बीज कंपनियों को लाभ होगा और मोनसेंटो, जिसकी बीटी कपास के बीज में 90 प्रतिशत हिस्सेदारी है, के एकाधिकारी मूल्य निर्धारण पर रोक लगेगी।

**चिंताएं**

- इसने भारत के बौद्धिक संपदा अधिकारों की व्यवस्था संबंधी चिंताओं को बढ़ाया है।
- सरकार ट्रेट शुल्क पर किस प्रकार पहुंची, इस संबंध में कार्यविधि की जानकारी प्रदान नहीं किये जाने के कारण उद्योग जगत के कुछ वर्गों ने इसे राज्य सत्ता का मनमाना उपयोग करार दिया है।
- इस कदम से अनुसन्धान और विकास (R&D) में बाधा पड़ सकती है- वर्तमान अनिश्चित माहौल के कारण देश में बीज आधारित R&D में अपने निवेश पर कंपनियों को पुनर्विचार करना पड़ सकता है।

VISION IAS

# 2. फार्म सब्सिडी, MSP, PDS, पशुपालन से संबंधित मुद्दे

(Issues Related Farm Subsidies, MSP, PDS, Animal Rearing)

## 2.1. सार्वजनिक वितरण प्रणाली सुधार: डिजिटलीकरण

(PDS Reforms: Digitization)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

हाल ही में खाद्य मंत्रालय ने कहा कि डिजिटलीकरण से सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार करने में मदद मिली है और करीब 60 लाख से अधिक फर्जी राशन कार्डों को रद्द कर दिया गया है।

**सार्वजनिक वितरण प्रणाली का डिजिटलीकरण क्यों?**

- सब्सिडी को जरुरतमंदों तक पहुँचाने और खाद्यान्नों का लीकेज मुक्त वितरण सुनिश्चित करने के लिए सरकार प्रत्यक्ष लाभ अंतरण और ऑटोमेटेड राशन दुकानों का इस्तेमाल कर रही है।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए केंद्र सरकार इस प्रणाली को पूर्णतः कंप्यूटरीकृत करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और खाद्यान्न का रिसाव कम होगा।
- भारतीय खाद्य निगम के पुनर्गठन हेतु गठित शांता कुमार सिन्हा समिति ने जनवरी में सौंपी अपनी रिपोर्ट में सुझाव दिया था कि सरकार को खाद्य सब्सिडी का प्रत्यक्ष नकदी अंतरण शुरू कर देना चाहिए क्योंकि मौजूदा वितरण प्रणाली में लगभग 47% तक का रिसाव होता है।
- अनुमान है कि केवल नकद अंतरण से सरकारी खजाने का 30000 करोड़ रुपया प्रत्येक वर्ष बचाया जा सकता है।
- ऑटोमेशन द्वारा यह सुनिश्चित होता है कि राशन की दुकानों से खाद्यान्न प्वाइंट-ऑफ-सेल(PoS) उपकरणों के माध्यम से प्रमाणित लाभार्थी को ही मिले और इससे प्रत्येक परिवार को दिए जाने वाले अनाज की मात्रा का रिकॉर्ड भी रखा जाता है।

**डिजिटलीकरण के प्रभाव**

- इन प्रयासों से पिछले दो वर्षों में करीब 61.4 लाख से अधिक फर्जी राशन कार्डों को रद्द कर दिया गया है, जिससे 4200 करोड़ रुपये के खाद्यान्न के रिसाव और दुरुपयोग को रोका गया है।
- अभी तक 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लाभार्थियों की जानकारी का डिजिटलीकरण किया जा चुका है और 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ऑनलाइन खाद्यान्न आवंटित किया जा रहा है।
- सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुधारों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण पड़ाव हासिल कर चुकी है । सम्पूर्ण देश में लगभग 100% (99.9%) राशन कार्ड डिजिटल किए जा चुके हैं।
- यहाँ तक कि 42% से अधिक राशन कार्ड आधार कार्ड के साथ जोड़े गए हैं एवं 77,000 से भी अधिक राशन की दुकानों में लाभार्थियों को किये गए आवंटन का इलेक्ट्रॉनिक रिकार्ड रखने के लिए पॉइंट ऑफ़ सेल उपकरण लगाये गए हैं।
- नौ राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में पूरी आपूर्ति श्रृंखला को कंप्यूटरीकृत कर दिया गया है।

## 2.2. न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर नीति आयोग की रिपोर्ट

(Niti Aayog Report on MSP)

**MSP के कार्यान्वयन में चिन्हित समस्याएं**

- **दूरी:** खरीद केंद्रों के दूर होने के परिणामस्वरूप भारी परिवहन लागत आती है।
- **प्रचालनगत (Operational):**

✓ खरीद केन्द्रों का समय पर न खुलना।
✓ अधिकारियों द्वारा राजस्व रिकॉर्ड के लिए जोर।

- **अवसंरचना:**

✓ उत्पादों के अस्थायी भंडारण के लिए ढके हुए भंडारगृहों / गोदामों की सुविधा का अभाव।
✓ कुछ स्थानों में इलेक्ट्रॉनिक तौल उपकरणों की कमी, भुगतान में देरी।

**अनुशंसाएँ**

- किसानों के बीच जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है ।
- MSP के भुगतान में देरी से किसानों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है जिसे सही करने की आवश्यकता है।
- MSP की घोषणा बुवाई के मौसम के पर्याप्त पहले की जानी चाहिए ताकि किसानों को उनकी फसल योजना के लिए समर्थ किया जा सके।
- **आधारभूत अवसंरचना:** किसानों को खरीद केंद्रों पर बेहतर सुविधायें जैसे कि सुखाने का स्थान (ड्राइंग यार्ड), तौल के उपकरण, शौचालय, आदि उपलब्ध कराई जानी चाहिए। बेहतर भंडारण और अपव्यय की कमी के लिए अधिक गोदामों की स्थापना की जानी चाहिए और उन्हें बेहतर स्थिति में बनाए रखा जाना चाहिए।
- **परामर्शदात्री:** MSP की गणना की पद्धति और साथ ही इसके कार्यान्वयन, दोनों पर राज्य सरकार के साथ सार्थक विचार-विमर्श होना चाहिए।
- MSP तय करने के मापदंड चालू वर्ष के आंकड़े होना चाहिए और पूर्व में आई लागत के बजाय और अधिक सार्थक मानदंडों को आधार बनाया जाना चाहिए।
- परिवहन लागत से बचने के लिए खरीद केंद्रों को गाँव में ही होना चाहिए।
- MSP को सरकार की कृषि मूल्य नीति के एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में जारी रखना सुनिश्चित करने के लिए उन राज्यों में, जहां इस योजना का प्रभाव 'शून्य' या 'अत्यल्प' है, MSP योजना में एक आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है।

**निष्कर्ष**

- विभिन्न मोर्चों पर MSP के कार्यान्वयन में क्षेत्रीय असंतुलन मौजूद हैं जिसको सही करने की जरूरत है।
- कुल मिलाकर, यह पाया गया कि MSP धान और गेहूं और अन्य कृषि उत्पादों जैसे कि चना (काला और हरा), मसाले और तिलहन (मूंगफली, सरसों, तिल), गन्ना, जूट और कपास के लिए फ्लोर रेट प्रदान कराने में सफल रहा है, और इसने बाजार कीमतों को उनके लिए तय MSP से नीचे नहीं गिरने दिया है।
- खेती में आधुनिक तकनीकों को अपनाने में लाभार्थियों की मदद करने के अतिरिक्त MSP बाजार कीमतों को स्थिर करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
- लगभग सभी लाभार्थियों का मानना है कि MSP को जारी रखना चाहिए क्योंकि यह उनके उत्पादन के लिए एक न्यूनतम रिटर्न देने का वादा कर प्रतिकूल बाजार परिस्थितियों से उन्हें बचाता है।

**न्यूनतम समर्थन मूल्य का उद्देश्य**

- न्यूनतम समर्थन मूल्य के पीछे मूल विचार किसानों के लिए कीमत गारंटी और सुनिश्चित बाजार उपलब्ध कराना तथा कीमतों के उतार-चढ़ाव और बाजार अपूर्णताओं (market imperfections) से उन्हें बचाना है।
- भूमंडलीकरण, जिसका परिणाम मुक्त कृषि व्यापार है, के युग में किसानों को सुरक्षा प्रदान करना।
- उच्च निवेश और कृषि वस्तुओं के उत्पादन को प्रोत्साहित करना।

**अवलोकन**

**वार्षिक आय की प्राप्ति:** असम, बिहार, गुजरात, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और ओडिशा में बहुत कम किसानों ने संदर्भ अवधि में MSP पर अपनी उपज बेची। इसलिए उनकी आय पर MSP से कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

**MSP के बारे में जागरूकता:** 81% किसानों को विभिन्न फसलों के लिए तय किये गए न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में जानकारी है। इस जागरूकता का स्तर विभिन्न राज्यों में भिन्न (45% से 100% तक) है।

**जागरूकता का माध्यम:** MSP के बारे में जागरूकता के विभिन्न माध्यम हैं- स्व-प्रयास, समाचार पत्र, राज्य के अधिकारी, भारतीय खाद्य निगम के अधिकारी, गांव के मुखिया, ग्राम सेवक, शिक्षक, व्यापारी आदि। केवल 7% किसानों को राज्य के अधिकारियों के माध्यम से MSP के बारे में जानकारी प्राप्त हुई।

**भुगतान प्राप्त होने का तरीका:**

यह पाया गया कि 32.13%, 40.29% और 27.4% किसानों ने क्रमशः नकद, चेक या बैंक जमा के रूप में अपना MSP भुगतान प्राप्त किया।

VISION IAS

अधिकांश राज्यों, जैसे बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान, में किसानों को कोई नकद भुगतान नहीं किया गया है।

**भुगतान प्राप्त होने में लगा समय:** कुछ राज्यों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 20%, 7%, 8%, 51% और 14% किसानों ने क्रमशः उसी समय/उसी दिन, बिक्री के 2 से 3 दिनों के अन्दर, बिक्री के 3 दिनों के बाद लेकिन एक सप्ताह के अन्दर, बिक्री से एक सप्ताह के बाद लेकिन एक माह के अन्दर और एक माह की अवधि के बाद अपना MSP भुगतान प्राप्त किया।

**बिक्री के लिए इस्तेमाल माध्यम:** 67% किसानों ने अपने उत्पादों को स्वयं अपनी व्यवस्था के माध्यम से बेचा, जबकि 21% किसानों ने दलालों के माध्यम से बेचा।

निजी और सरकारी एजेंसियों के माध्यम से बिक्री की हिस्सेदारी क्रमशः 8% और 4% थी।

**खेती के तरीकों में सुधार:**

यह पाया गया कि सरकार द्वारा MSP घोषित करने के परिणामस्वरूप उत्पादन बढ़ाने के लिए 78% किसानों ने खेती के उन्नत तरीकों को अपनाया: जैसे कि अधिक उपज देने वाली बीज की किस्मों, जैविक खाद, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशकों और बेहतर कटाई के तरीकों, आदि का प्रयोग।

**MSP की प्रभावशीलता:** यह पाया गया कि सैंपल राज्यों के 21% किसानों ने सरकार द्वारा घोषित MSP पर संतोष व्यक्त किया। जबकि 79% किसानों ने विभिन्न कारणों से MSP के प्रति असंतोष व्यक्त किया, लगभग सभी किसान (94%) MSP को जारी रखने के पक्ष में हैं।

## 2.3. दलहन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य

### (MSP for Pulses)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

केंद्र सरकार ने आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की मंजूरी के बाद दलहन के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 425 रुपये प्रति क्विंटल (200 रुपये प्रति क्विंटल के बोनस सहित) तक की बढ़ोत्तरी की घोषणा की।

**पक्ष**

- किसान दलहन की खेती की तरफ आकर्षित होंगे। दलहन फसलें उर्वरक और कीटनाशकों के नगण्य उपयोग और उत्पादन की उच्च क्षमता के साथ, उत्पादन की सबसे कम लागत वाली फसलें होती हैं। वे देश के कृषि जलवायु क्षेत्र के अनुरूप हैं।
- दालों की उत्पादकता में वृद्धि के लिए रकबा (acerage) और निवेश में बढ़ोत्तरी होगी।
- बढ़ते श्रम और कच्चे माल की लागत के संदर्भ में कीमत वसूल होगी।
- भारत में दालों का आयात 45-50 लाख टन के उच्चतम स्तर पर है; इसमें भी कमी आएगी।
- धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में सिर्फ 50 रुपये की वृद्धि हुई है। इस वजह से धान और गेहूं के मुकाबले दलहन ज्यादा आकर्षक फसल बन पाएगी।

**विपक्ष**

- यह वृद्धि बहुत कम है और बहुत देर से की गयी है - घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य बाजार की कीमतों से कम है, इसलिए इसकी संभावना कम ही है कि यह किसानों के फसल निर्णयों को प्रभावित करेगी।
- गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि से, किसान और अधिक गेहूं का उत्पादन करेंगे।
- न्यूनतम समर्थन मूल्य का फायदा 6% से भी कम किसानों को मिल पाता है, इसलिए इसका दलहन के उत्पादन पर ज्यादा असर नहीं होगा।

## 2.4. उर्वरक सब्सिडी में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण

### (DBT in Fertilizer Subsidy)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

- सरकार ने उर्वरक सब्सिडी भी अब सीधे किसानों के बैंक खातों में पहुंचाने (DBT) की पहल की घोषणा की है। पायलट आधार पर देश के कुछ जिलों में इसकी शुरुआत की जाएगी।
- वर्तमान में, उर्वरकों पर सालाना सब्सिडी लगभग 73,000 करोड़ रुपये है।

VISION IAS

**मुद्दे**

- आजकल खेती का महत्वपूर्ण हिस्सा काश्तकार या बंटाईदार द्वारा किया जाता है। ये भूमि के मालिक नहीं होते हैं और बिना किसी औपचारिक पट्टा समझौतों के खेती करते हैं।
- आवश्यकता के उचित आकलन के आधार पर सब्सिडी की ऊपरी सीमा (अर्थात् उर्वरक की कितनी थैलियों के लिए सब्सिडी दी जाये) निर्धारित करने के लिए मापदंड का चयन।
- ऊपरी सीमा (कैपिंग) विशिष्ट उर्वरक के साथ फसल और स्थान जहाँ यह पैदा की गयी है, पर निर्भर करेगी- यह रसोई गैस के लिए DBT तुलना में इसे और अधिक जटिल बना रही है।

**व्यवहार्यता (Feasibility)**

- उत्तर प्रदेश में, जहां राज्य सरकार ने 40 लाख से अधिक किसानों का एक ऑनलाइन डेटाबेस बनाया है, प्रत्येक किसान को एक विशिष्ट 'किसान आईडी' प्रदान की गयी है, जिससे उनके गाँव, भूमि विवरण, बैंक खाते और मोबाइल नंबर की पहचान हो सकेगी। यह इस तरह के अंतरण की व्यवहार्यता प्रदर्शित करने का प्रयास है।
- इस DBT पोर्टल को हाल ही में रबी सीजन के दौरान लगभग नौ लाख किसानों के खाते में बीज पर सब्सिडी के 140 करोड़ रुपये के अंतरण के लिए इस्तेमाल किया गया था।
- यह उम्मीद है कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के परिणामस्वरूप लीकेज में कमी, किसानों को सेवा प्रदान करने की गुणवत्ता में सुधार और राजकोषीय घाटे में संभावित कमी प्राप्त की जा सकेगी।

## 2.5. विश्व व्यापार संगठन की नैरोबी वार्ता

**(WTO Nairobi Talks)**

विश्व व्यापार संगठन (WTO) का दसवां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन 15 से 19 दिसंबर 2015 के बीच नैरोबी (केन्या) में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का समापन **"नैरोबी पैकेज"** की स्वीकृति के साथ हुआ। "नैरोबी पैकेज" कृषि, कपास और अल्प विकसित देशों के मुद्दों से संबंधित निर्णय (छह मंत्रिस्तरीय सम्मेलनों की श्रृंखला के बाद लिया गया) शामिल है।

**कृषि**

- **विकासशील देशों के लिए विशेष सुरक्षा उपाय (SSM-स्पेशल सेफ़गार्ड मैकेनिज्म)** – आयात में अप्रत्याशित वृद्धि या कीमतों में गिरावट की स्थिति में यह तंत्र विकासशील देशों को कृषि उत्पादों पर आयात शुल्क को अस्थायी रूप से बढ़ाने की अनुमति देता है।
- **खाद्य सुरक्षा उद्देश्यों के लिए पब्लिक स्टॉकहोल्डिंग**– इसका उपयोग कुछ विकासशील देशों द्वारा प्रशासित (सरकार द्वारा निर्धारित) कीमतों पर खाद्य पदार्थ खरीदने और गरीब लोगों को वितरित करने के लिए किया जाता है।
- निर्यात प्रतिस्पर्धा: कृषि निर्यात सब्सिडी का उन्मूलन, निर्यात ऋण के नये नियम, अंतरराष्ट्रीय खाद्य सहायता और निर्यात करने वाले राज्य व्यापार उपक्रम (exporting state trade enterprises) आदि।
- **कपास** - बाजार पहुंच पर नैरोबी प्रस्ताव के अनुसार 1 जनवरी 2016 से अल्प विकसित देशों (LDCs) के कपास निर्यात को विकसित देशों तथा वैसे विकासशील देशों में जो खुद को ऐसा करने में सक्षम घोषित करते है, के बाजारों में शुल्क मुक्त और कोटा मुक्त पहुंच दी जाये।

**अल्प विकसित देशों के मुद्दे**

- अल्प विकसित देशों के लिए **प्रेफ़ेरेन्शियल (अधिमान्य) रूल ऑफ़ ओरिजिन**- WTO के समझौतों में LDCs के लिए व्यापार के अवसरों में वृद्धि और WTO के नियमों को लागू करने में उदारता की अनुमति संबंधी प्रावधान सम्मिलित हैं।
- LDCs की सेवाओं और सेवा प्रदाताओं के लिए अधिमान्य व्यवहार का कार्यान्वयन और सेवा व्यापार में LDCs की भागीदारी में बढोत्तरी करना।

**मुद्दे / चिंताएं**

- भारत और अन्य विकासशील देशों का मानना है कि WTO के 10वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में उनकी कुछ ही चिंताओं को संबोधित किया गया है।
- दोहा विकास एजेंडे की सर्वसम्मत पुन: पुष्टि नहीं हुई है।

- खाद्य फसलों की पब्लिक स्टॉकहोल्डिंग और कृषि क्षेत्र में स्पेशल सेफ़गार्ड मैकेनिज्म जैसे विवादास्पद मुद्दों पर भी कोई प्रगति नहीं देखी गयी।
- गरीबों को सस्ता अनाज उपलब्ध कराने वाले कई विकासशील देशों के लिए खाद्य सुरक्षा का मुद्दा चिंता का विषय है।
- अमेरिका, यूरोपीय संघ, ब्राजील, चीन और भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार अंतिम परिणाम पर आपस में बातचीत की है। शेष देशों को "उभरते विश्व व्यापार व्यवस्था" (इमर्जिंग वर्ल्ड ट्रेड आर्डर) के परिणाम के बारे में अनुमान लगाने के लिए छोड़ दिया गया है।
- कई व्यापार विशेषज्ञों और गैर सरकारी संगठनों का कहना है कि 'नैरोबी पैकेज' ने WTO की दोहा दौर की वार्ता के मौलिक उद्देश्य को पूर्णतः दरकिनार कर दिया है। दोहा दौर की वार्ता का मौलिक उद्देश्य विकासशील और गरीब देशों की व्यापार संभावनाओं में सुधार लाना है।

नैरोबी घोषणा भारत के लिए कई मोर्चों पर निराशाजनक थी :

- भारत SSM, खाद्य सुरक्षा के लिए पब्लिक स्टॉकहोल्डिंग हेतु स्थायी समाधान और DDA वार्ता जारी रखने के लिए पुनःपुष्टि की मांगों पर कोई विश्वसनीय निष्कर्ष प्राप्त करने के लक्ष्य में विफल रहा ।
- भारत, अपनी बहुत ही कम मांगें मनवा सका।

**नैरोबी वार्ता से उभरकर सामने आने वाली प्रमुख बातें:**

- हर तरह की कृषि निर्यात सब्सिडी को समाप्त करना और सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों में वैश्विक व्यापार को उदार करना।
- सेवाओं के क्षेत्र में अल्प विकसित देशों के साथ अधिमान्य व्यवहार।
- कपास से संबंधित उपाय।
- विकासशील देशों के लिए एक स्पेशल सेफ़गार्ड मैकेनिज्म।

**भारत का दृष्टिकोण:**

# 3. खाद्य प्रसंस्करण

(Food Processing)

## 3.1. मेगा फ़ूड पार्क (MFP)

(Mega Food Park)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

हाल में तेलंगाना में पहले मेगा फ़ूड पार्क की नींव डाली गयी।

**पार्क का विवरण**

- 78 एकड़ में रु 109 करोड़ रुपये की योजना-लागत से इसका निर्माण किया जाएगा।
- इसके लिए मजबूत बैकवर्ड लिंकेज उपलब्ध होगा और मेदचल, मेडक और नालगोंडा में तीन प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्रों (PPCs) की स्थापना की जाएगी।

- इसमें विभिन्न तरह की वस्तुओं/सामग्रियों के लिए कोल्ड स्टोरेज, कच्चा-माल वेयरहाउस, तैयार-माल वेयरहाउस, डीप फ्रीज, हल्दी प्रसंस्करण की सुविधा और आधुनिक खाद्य-परीक्षण प्रयोगशाला जैसी सुविधाएं होंगी।
- यह मेगा फ़ूड पार्क करीब 6000 लोगों को प्रयत्क्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करेगा और अपनी पहुँच-क्षेत्र में करीब 30,000 किसानों को लाभान्वित करेगा।

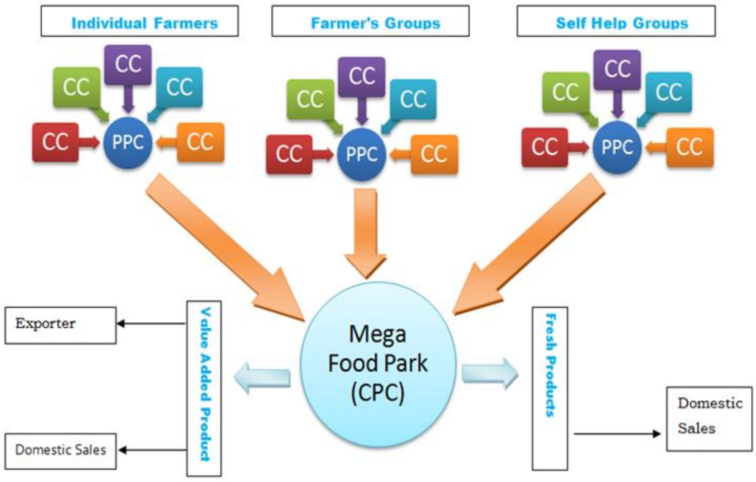


**मेगा फ़ूड पार्क क्या है?**

मेगा फ़ूड पार्क, संग्रहण केन्द्रों (CCs) और प्राथमिक प्रंसस्करण केन्द्रों (PPCs) से बना हुआ एक केन्द्रोंमुख ढांचा (hub and spoke architecture) होता है

**संग्रहण केंद्र (CCs):** ये निजी किसानों, विभिन्न किसान समूहों और स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों के एकत्रीकरण के बिंदु के रूप में कार्य करते हैं।

**प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र (PPCs):** ये कच्चे मालों को प्रबंधित कर केन्द्रीय प्रंसस्करण केंद्र (CPC) में आगे की प्रोसेसिंग के लिए भेजने का कार्य करते हैं। एक PPC नजदीक के कई सारे संग्रहण केन्द्रों को सेवाएँ देता है। कुछ PPCs में लुगदी बनाने व रस निकालने की इनहाउस सुविधाएं होती हैं। वस्तुओं को न्यूनतम समय में CPC पहुँचाने के लिए उनके पास रेफ्रिजरेटर वैन, ट्रक इत्यादि की सुविधाएं होती हैं।

**मेगा फ़ूड पार्क का महत्व**

- यह क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण से खाद्य प्रंसस्करण के लिए आधुनिक ढांचे से लैस मजबूत फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज के निर्माण को सुगम बनाकर खाद्य प्रंसस्करण क्षेत्रक को भारी प्रोत्साहन प्रदान करता है।
- किसानों, प्रसंस्करण कार्य में लगे कर्मियों और खुदरा वितरकों को एक साथ लाकर कृषि-उत्पादों को बाज़ार से जोड़ने का तंत्र उपलब्ध कराता है।
- यह अधिकतम मूल्य संवर्द्धन, कृषि वस्तुओं की न्यूनतम बर्बादी तथा किसानों की आय में वृद्धि सुनिश्चित करता है और खासकर ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करता है।

**मेगा फ़ूड पार्क योजना के समक्ष समस्याएं**

- भूमि अधिग्रहण – खासकर छोटे व पहाड़ी राज्यों में 50 एकड़ भूमि का मिलना मुश्किल होता है,
- चूँकि देश में ज्यादातर कृषि-व्यापार सहकारी समितियों के द्वारा होता है, अत: फ़ूड पार्क में उनका एकीकरण महत्वपूर्ण है ।
- यद्यपि यह योजना स्पेशल परपज़ व्हीकल (SPV) को अनुदान देती है, पर SPV संग्रहण केन्द्रों व PPCs को आकर्षित करने में अक्षम साबित होती है। यहाँ पर राष्ट्रीय खाद्य प्रंसस्करण मिशन, MFPs के तहत आने वाली इकाइयों को 50 लाख रु अनुदान देकर प्रमुख भूमिका निभा सकता है। किन्तु अब इस योजना से केंद्र का सहयोग समाप्त हो चुका है और इसे जारी रखने का निर्णय राज्यों को लेना है। राज्य सरकारें केस बाई केस बेसिस पर इन इकाइयों पर ध्यान दे सकती हैं।
- न्यूनतम 50 एकड़ समीपस्थ भूमि और पूरी परियोजना-व्यय का 50% SPV से आने के दशा में MFP स्थापित करने के लिए MFP योजना अधिकतम रु 50 करोड़ का अनुदान देती है। यह 'सबके लिए एक बराबर' नजरिया अलग-अलग जरूरतों वाले निवेशकों को आकर्षित करने में सक्षम नहीं हुआ है।

# 4. भारत में भूमि सुधार

**(Land Reforms in India)**

## 4.1. वर्तमान स्थिति: NSSO सर्वेक्षण

**(Present Situation: NSSO Survey)**

**सर्वेक्षण के मुख्य निष्कर्ष**

- NSSO के ये आंकड़े 2010-11 में संपन्न 9वीं कृषि गणना द्वारा सामने आये आंकड़ों की तुलना में 65 मिलियन हेक्टेयर कम है।

- भूसंपत्ति और पशुधन धारिता पर जारी इस रिपोर्ट में 2012-13 में लगभग 95 मिलियन हेक्टेयर भूमि को ऑपरेशनल होल्डिंग्स (परिचालन जोत) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- भूमि का पारिवारिक स्वामित्व- 2002-03 की तुलना में 2012-2013 में प्रति परिवार के स्वामित्व वाले औसत क्षेत्र और परिवार के स्वामित्व वाले कुल अनुमानित क्षेत्र में कमी आई है।
- कृषि वर्ष जुलाई 2012 से जून 2013 के दौरान ग्रामीण भारत में परिवारों के स्वामित्व वाली भूमि के अंतर्गत कुल अनुमानित क्षेत्र 92.3 मिलियन हेक्टेयर था और प्रति परिवार स्वामित्व वाला औसत क्षेत्र 0.592 हेक्टेयर था।

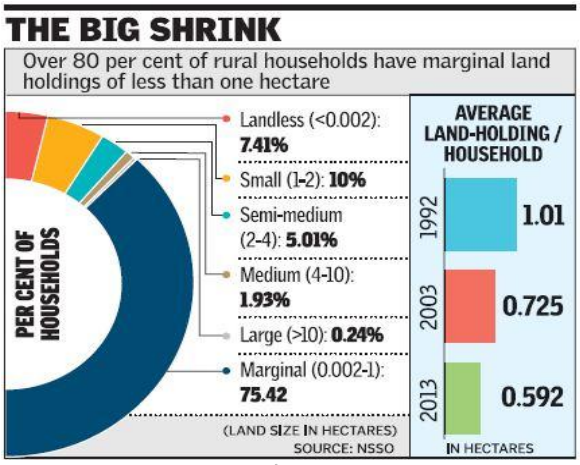


## 4.2. मॉडल लैंड लीजिंग लॉ (भूमि पट्टा प्रारूप कानून)

(Model Land leasing law)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

- टी. हक के अधीन गठित 11 सदस्यीय समिति द्वारा कृषि भूमि को पट्टे पर देने और प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए एक कानून निर्मित करने की सिफारिश के उपरांत नीति आयोग के एक पैनल ने मॉडल लैंड लीजिंग लॉ का प्रस्ताव रखा है।

**महत्व**

- टी. हक (CACP के पूर्व अध्यक्ष) के अनुसार, भूमि जोत का लगभग 20% पट्टेदार कृषकों (tenant farmers) द्वारा प्रबंधित किया जाता है। आंध्र प्रदेश में यह 60% तक देखा जा सकता है।
- वर्तमान में पट्टे पर खेती करने वाले कृषक वस्तुतः ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं के द्वारा प्रदत ऋणों, बीमा, आपदा राहत और सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई अन्य सहायता सेवाओं का उपयोग करने में असमर्थ होते हैं, क्योंकि उन्हें भूमि पर मालिकाना हक़ प्राप्त नहीं होता है।
- वे भूमि को जमानत (collateral) के रूप में भी नही दर्शा सकते क्योंकि भूमि मालिकों को विभिन्न पट्टेदारी कानूनों के तहत पट्टेदारी के माध्यम से अपनी जमीन खोने का डर होता है, अतः वे पट्टेदारों को बदलते रहते हैं। इससे पट्टेदार विभिन्न सरकारी योजनाओं से लाभ प्राप्त करने में असमर्थ हो जाते हैं।

**मॉडल अधिनियम की व्यापक रूपरेखा**

- भूमि को पट्टे पर दिए जाने को कानूनी वैधता प्रदान की जाएगी।
- राज्यों के कानूनों से प्रतिकूल कब्जा खंड को हटाया जाएगा। प्रतिकूल कब्जे का नियम मालिकों के बीच भय पैदा करता है क्योंकि यदि किसी किरायेदार का एक निर्दिष्ट अवधि के लिए भूमि पर कब्जा है तो वह भूमि पर मालिकाना हक़ के लिए दावा कर सकता है।
- पट्टेदारों को एक सरल पट्टा समझौते के आधार पर अल्पकालिक ऋण और फसल बीमा के उपयोग की सुविधा।
- पट्टे की अवधि की समाप्ति पर भूमि की स्वत: बहाली। बिना किसी न्यूनतम क्षेत्र के मापदंड की आवश्यकता के ही ऐसा किया जाएगा। (कुछ राज्यों में, पट्टे की अवधि समाप्त होने पर पट्टेदार के भविष्य की रक्षा के लिए एक न्यूनतम क्षेत्र छोड़े जाने की व्यवस्था है)।
- पट्टा और किराए की शर्तें मालिक और पट्टेदार द्वारा आपस में निर्धारित की जाएंगी।
- किराए का भुगतान न करने, भूमि का आपसी सहमति से तय तरीकों के बजाय अन्य तरीकों से उपयोग करने, पट्टे द्वारा भूमि को हानि होने, पट्टे का कानूनी ढांचा कृषक के लिए हितकारी न होने तथा दोनों पक्षों के लाभ प्राप्त न करने की स्थिति में एक फसल मौसम या एक फसल का एक अग्रिम नोटिस देकर लीज पीरियड के अंदर ही लीज समाप्त की जा सकती है।

**लाभ**

- यह मालिकों को ज़मीन खोने के किसी डर के बिना पट्टेदार कृषकों को कृषि भूमि लीज पर देने के लिए प्रेरित करेगा।
- पट्टे पर भूमि देने को वैधता।
- भूमि मालिक के अधिकार को प्रभावित किए बिना यह पट्टेदार को संस्थागत ऋण तथा बीमा की सुविधा प्रदान करेगा और आपदा मुआवजे तक उसकी पहुंच सुनिश्चित करने में सहायक होगा।
- यह अप्रयुक्त भूमि को उत्पादक कार्यों के लिए इस्तेमाल करने में सहायक होगा और पट्टेदार भूमि में निवेश करने हेतु सक्षम होगा तथा उसकी ऋण और बीमा तक पहुँच हो सकेगी।

VISION IAS

- यह खेतों के समेकन की अनुमति देगा जिससे छोटे भूखंड जो कि आर्थिक रूप से अव्यवहार्य हैं, लीज पर दिए जा सकेंगे।

**आगे की राह**

- मध्य प्रदेश जुलाई में अपने स्वयं के कानून का मसौदा तैयार करने वाला पहला राज्य बन गया है, और अन्य राज्य यथा गुजरात, ओडिशा और पंजाब इसके उदाहरण का अनुसरण कर रहे हैं।
- भूमि चूँकि राज्य का विषय है, अतः ऐसे में एकरूपता लाने के लिए एक सर्वश्रेष्ठ मॉडल को अपनाने के लिए केंद्र राज्यों से आग्रह कर सकता है।

## 4.3. राजस्थान नगरीय भूमि (हक प्रमाणन) विधेयक, 2016

**(Rajasthan Urban Land [Certification Of Titles] Bill 2016)**

**सुर्खियों में क्यों?**

- राजस्थान शहरी क्षेत्रों में संपत्ति के स्वामित्व-पत्र पर कानून अधिनियमित करने वाला भारत का प्रथम राज्य बन गया।

**इसका अर्थ क्या है?**

- शहरी क्षेत्रों में रहने वाले राज्य के निवासी राज्य सरकार को नाममात्र शुल्क का भुगतान कर अपनी भूमि के स्वामित्व का प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं।
- इन प्रमाण पत्रों के लिए आवेदन करना भूस्वामियों के लिए स्वैच्छिक है।

**पृष्ठभूमि**

- दोषपूर्ण रूप से परिभाषित संपत्ति के अधिकार और भूमि बाजार में उच्च विनिमय लागतें, देश में व्यापार करने की सुगमता को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से हैं।
- राइट्स एंड रिसोर्सेज इनिशिएटिव (Rights and Resources Initiative, RRI) द्वारा वर्ष 2014 में जारी की गई एक रिपोर्ट यह प्रदर्शित करती है कि भूमि के स्वामित्व से जुड़े झगड़ों से 25% से अधिक जिले प्रभावित हैं।
- अभी तक भू-स्वामी के लिए किसी अधिसूचित प्राधिकारी के पास अपनी संपत्ति का पंजीकरण कराने का कोई विधिक प्रावधान नहीं है।
- अधिकतर नगरपालिका प्रशासन, मुख्य रूप से संपत्ति के स्वामित्व के खराब रिकॉर्डों के कारण संपत्ति शुल्क या विकास शुल्कों से सम्बंधित 50% से अधिक कर-संग्रहण करने में असमर्थ हैं।

**प्रभाव**

- यह विधेयक भूस्वामी को स्पष्ट मालिकाना हक देगा और न्यायालयों में होने वाले मुकदमों को कम करेगा।
- यह शहरी क्षेत्रों में गैर कृषि भूमि की खरीद और बिक्री में होने वाली धोखाधड़ी को रोकने में भी सहयोग करेगा।
- यह कुशल और पारदर्शी आधुनिक भूमि बाजार भी निर्मित करेगा, कार्यकाल की निश्चितता प्रदान करेगा एवं विकास परियोजनाओं को प्रायः अवरुद्ध करने वाली मुकदमेबाजी को समाप्त करेगा।
- इसके द्वारा ऋण प्राप्त करने के लिए भूमि को परिसंपत्ति के रूप में प्रयोग किया जा सकेगा।
- यह अपनी भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच अंतर को भी निरूपित करेगा और भूमि अधिग्रहण विधेयक के उपबंधों के अनुसार बेहतर मूल्य निर्धारण में सहायता करेगा।

**अधिनियम के प्रावधान**

- एक स्वतंत्र भूमि स्वामित्व प्रमाणीकरण (Land Title Certification LTC) प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। यह प्राधिकरण सर्वेक्षण अभिलेखों एवं जारी किए गए स्वामित्व प्रमाणपत्रों के पंजीकरण का अभिरक्षक होगा।
- ULCT प्रणाली में दस्तावेज़ों को रिकार्ड करने और प्रबंधित करने के लिए, कंप्यूटराइज्ड लैंड इवैल्यूएशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ़ रिकाड्र्स (CLEAR) नामक एक डिजिटल प्लेटफार्म निर्मित किया जाएगा।
- प्राधिकरण के आदेश के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करने और उन पर अधिनिर्णय प्रदान करने के लिए एक न्यायाधिकरण स्थापित किया जाना है।

परिचालन जोत वह भूमि है जिसका उपयोग अंशतः या पूर्णतः कृषि उत्पादन के लिए किया जाता है। इसमें किचन गार्डेन या पशुपालन संवृद्धि के लिए प्रयुक्त भूमि शामिल है किन्तु सहकारी खेती (cooperative farming) और संस्थानिक स्वामित्व को इससे बाहर ही रखा जाता है।

# औद्योगिक नीति एवं संबद्ध मुद्दे

(INDUSTRIAL POLICY AND ASSOCIATED ISSUES)

## 1. औद्योगिक उत्पादन सूचकांक

(Index of Industrial Production)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

- भारत का औद्योगिक आउटपुट मई और जून में तेज़ी के बाद जुलाई में 2.4% गिर गया, जिसका कारण विनिर्माण आउटपुट में आयी कमी थी।

**IIP क्या है?**

- IIP एक अनुपात है जो अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों के विकास को मापता है। एक अनुपात होने के कारण, यह संदर्भ समय अवधि (आधार वर्ष) की तुलना में एक निश्चित समयावधि के लिए औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन की स्थिति को दर्शाता है।
- IIP आंकड़े केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन (CSO) द्वारा हर महीने जारी किये जाते हैं। मौजूदा आधार वर्ष 2004-05 है।
- IIP में 682 अलग-अलग मदें शामिल हैं। इन शामिल मदों को सूचकांक में सेक्टर वार क्रमशः 3 श्रेणियों - विनिर्माण, खनन और विद्युत- में उनके भारांश के घटते क्रम में रखा जाता है।

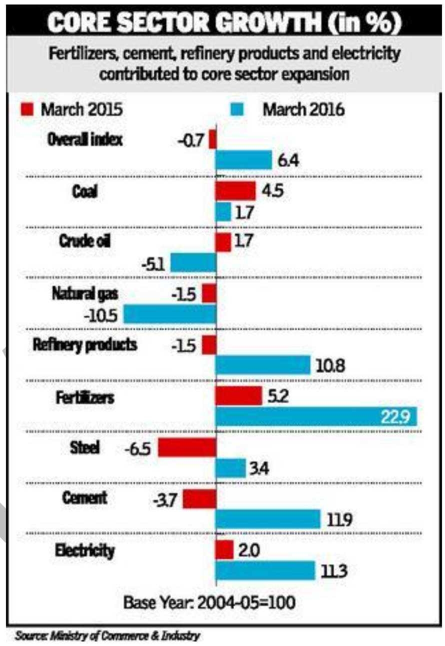


**IIP में कोर उद्योगों का भारांश-**

- प्रतिशत के संदर्भ में, IIP में सभी 8 कोर उद्योगों का भारांश 38% के आसपास है।
- IIP में इन सभी कोर उद्योगों के भारांश का घटता क्रम इस प्रकार है:- विद्युत> स्टील> रिफाइनरी उत्पाद> कच्चा तेल> कोयला> सीमेंट> प्राकृतिक गैस> उर्वरक

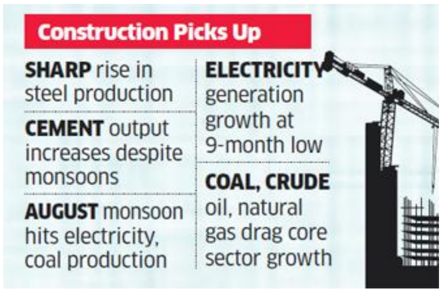


**कोर क्षेत्र (core sector) के उत्पादन में वृद्धि**

- स्टील उत्पादन में तीव्र वृद्धि एवं सीमेंट उत्पादन में उछाल के परिणामस्वरूप भारत के आधारभूत क्षेत्र के उत्पादन में अगस्त में 3.2% की वृद्धि दर्ज हुई जिससे अवसंरचना तथा निर्माण गतिविधियों के बढ़ने का संकेत मिलता है।
- रिफाइनरी और सीमेंट क्षेत्रकों में तेज़ी यह दर्शाती है कि मांग बढ़ रही है।

## 2. राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण नीति

(National Mineral Exploration Policy)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण नीति को मंजूरी दे दी है।

**आवश्यकता**

- हाल के दिनों में, खान मंत्रालय ने खनिज क्षेत्र के विकास के लिए 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति सहित कई उपाय शुरू किये हैं। हालांकि, इन प्रयासों को सीमित सफलता ही मिली है।
- भारत के पूरे स्पष्ट भूवैज्ञानिक संभावित (Obvious Geological Potential) क्षेत्र में से केवल 10 फीसदी का ही अन्वेषण किया गया है और इस क्षेत्र के केवल 1.5-2 प्रतिशत में ही खनन किया जाता है।

**मुख्य विशेषताएं**

- राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण नीति का मुख्य उद्देश्य निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से देश में अन्वेषण गतिविधि को तेज करना है।

- राज्य भी अन्वेषण परियोजनाओं की जानकारी देकर बड़ी भूमिका निभाएंगे। इन अन्वेषण परियोजनाओं को राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट के माध्यम से पूरा किया जायेगा।
- राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण नीति में प्रस्ताव किया गया है कि क्षेत्रीय और विस्तृत अन्वेषण करने वाली निजी संस्थाओं को खनिज ब्लॉक की ई-नीलामी के बाद सफल बोली लगाने वाले से खनन के राजस्व में से एक निश्चित हिस्सा मिलेगा।
- राजस्व का बंटवारा या तो एक मुश्त राशि में या एक वार्षिकी के रूप में होगा, और इसका भुगतान हस्तांतरणीय अधिकारों के साथ खनन पट्टे की पूरी अवधि के दौरान किया जाएगा।
- निजी अन्वेषक का चुनाव ई-नीलामी के माध्यम से प्रतिस्पर्धी बोली की एक पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना प्रस्तावित है।
- इसके लिए, सरकार द्वारा नीलामी के क्षेत्रीय अन्वेषण के लिए उचित क्षेत्र या ब्लॉक निर्धारित किये जायेंगे।

**प्रमुख प्रभाव**

- पूर्व-प्रतिस्पर्धात्मक बेसलाइन भू-वैज्ञानिक डाटा का निर्माण सार्वजनिक वस्तु के तौर पर किया जाएगा, जिसे बिना किसी शुल्क भुगतान के देखा जा सकेगा। इससे सार्वजनिक और निजी अन्वेषण एजेंसियों को फायदा होने की उम्मीद है।
- सार्वजनिक निजी भागीदारी में अन्वेषण हेतु आवश्यक वैज्ञानिक और तकनीकी विकास के लिए वैज्ञानिक और अनुसंधान निकायों, विश्वविद्यालयों और उद्योग का सहयोग संभव होगा।
- सरकार देश में छुपे खनिज भंडार के अन्वेषण के लिए एक विशेष पहल का शुभारंभ करेगी।
- पूरे देश के मानचित्रीकरण के लिए एक राष्ट्रीय हवाई भू-भौतिक मानचित्रीकरण कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा, जिससे गहरे और छिपे हुए खनिज भंडारों की पहचान की जा सकेगी।
- सरकार नीलामी के माध्यम से राज्य सरकार के पास एकत्रित राजस्व में से कुछ राजस्व साझा करने के अधिकार सहित निर्धारित ब्लॉक/क्षेत्रों में अन्वेषण के लिए निजी एजेंसियों को शामिल करेगी।
- क्षेत्रीय और विस्तृत अन्वेषण पर सार्वजनिक व्यय को प्राथमिकता दी जाएगी और निर्णायक तथा रणनीतिक हितों के आकलन के आधार पर समय-समय पर इसकी समीक्षा की जाएगी।

# 3. राष्ट्रीय पूंजीगत वस्तु नीति

**(National Capital Goods Policy)**

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

पहली बार प्रारम्भ की गई राष्ट्रीय पूंजीगत वस्तु नीति का उद्देश्य पूंजीगत वस्तुओं के क्षेत्र को बढ़ावा देना तथा मेक इन इंडिया पहल का सहयोग करना है। इसे भारी उद्योग विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा।

**समीक्षा**

- पूंजीगत वस्तुओं का क्षेत्र 14 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है तथा 1.1% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रहा है।
- इस नीति में मौजूदा निर्यात को 27 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत करने और भारत की कुल मांग में घरेलू उत्पादन की हिस्सेदारी 60 फीसदी से 80 फीसदी करने की परिकल्पना की गई है। इस प्रकार भारत पूंजीगत वस्तुओं का शुद्ध निर्यातक बन जायेगा।
- यह नीति वित्त की उपलब्धता, कच्चे माल, नवाचार और प्रौद्योगिकी, उत्पादकता, गुणवत्ता और पर्यावरण के अनुकूल निर्माण गतिविधियाँ, निर्यात को बढ़ावा देना और घरेलू मांग सृजन जैसे प्रमुख मुद्दों पर केन्द्रित है।

**राष्ट्रीय पूंजीगत वस्तु नीति के प्रमुख बिंदु:**

- **एकीकरण:** पूंजीगत वस्तु के उप-क्षेत्रों जैसे वस्त्र-निर्माण, अर्थ मूविंग और प्लास्टिक मशीनरी को मेक इन इंडिया पहल के तहत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के रूप में एकीकृत करना।
- उप-क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी गहनता में सुधार, कौशल उपलब्धता में वृद्धि आदि।
- भारी उद्योग विभाग में पूंजीगत वस्तु क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए बजटीय आवंटन बढ़ाना।
- भारत में बनी पूंजीगत वस्तुओं के निर्यात को "भारी उद्योग निर्यात एवं बाजार विकास सहायता योजना" (Heavy Industry Export & Market Development Assistance scheme- (HIEMDA) के माध्यम से बढ़ाना।
- प्रौद्योगिकी विकास कोष आरंभ करने के लिए प्रावधान।
- नए परीक्षण और प्रमाणन सुविधा (Testing & Certification Facility) की स्थापना तथा मौजूदा सुविधा का उन्नयन करने के साथ-साथ मानकों को अनिवार्य बनाना ताकि घटिया गुणवत्ता की मशीनों का आयात हतोत्साहित किया जाए।

VISION IAS

- संस्थापित क्षमता (Installed Capacity) का उपयोग कर स्थानीय विनिर्माण इकाइयों को अवसर प्रदान करना।

**आगे की राह:**

वर्तमान नीति में इस क्षेत्र के मुद्दों को व्यापक रूप से हल करने की कोशिश की गयी है। लेकिन नीति को एक उचित वातावरण की जरुरत होगी जिसमें इज ऑफ डूइंग बिजनेस को सुलभ बनाना, अवसंरचना, नियामक सुधारों सहित कई संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता होगी।

## 4. विशेष आर्थिक क्षेत्र पुनरुद्धार योजना

**(SEZ Revival Plan)**

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

'मेक इन इंडिया' अभियान को सहयोग प्रदान करने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र एक महत्वपूर्ण आधार है, इसलिए निर्यात को बढ़ाने और विशेष आर्थिक क्षेत्रों की समस्याओं को हल करने के लिए सरकार ने एक उच्च स्तरीय टीम का गठन किया था।

**विशेष आर्थिक क्षेत्र क्या होते हैं?**

विशेष आर्थिक क्षेत्र वे भौगोलिक क्षेत्र होते हैं जिन्हें देश में गैर-विशेष आर्थिक क्षेत्रों की तुलना में कुछ विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। इनमें वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी सुविधायें होती हैं और ये कर मुक्त क्षेत्र होते हैं।

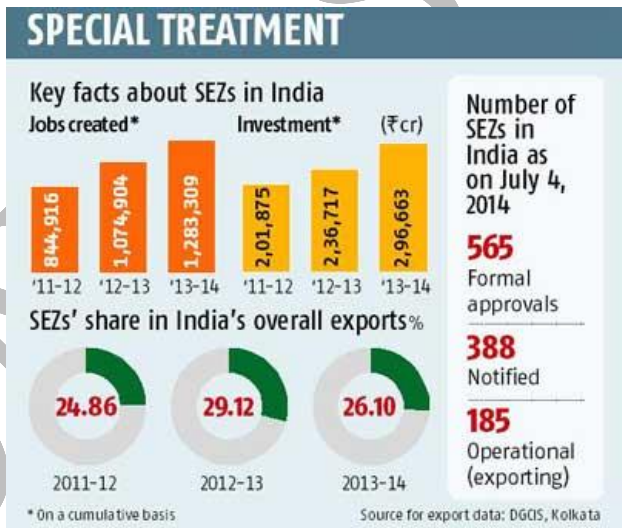


**विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम के मुख्य उद्देश्य हैं:**

- अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों का सृजन।
- वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को प्रोत्साहन देना।
- घरेलू और विदेशी स्रोतों से निवेश को प्रोत्साहन देना।
- रोजगार के अवसरों का सृजन करना।
- बुनियादी सुविधाओं का विकास।

**विशेष आर्थिक क्षेत्र क्यों विफल रहे?**

- क्षेत्र के बाहर निर्यातकों को विदेश व्यापार नीति के तहत दिए गए प्रोत्साहन।
- मुक्त व्यापार समझौतों से उत्पन्न उत्साहहीनता।
- न्यूनतम वैकल्पिक कर और लाभांश वितरण कर।
- भूमि अधिग्रहण प्रमुख बाधाओं में से एक है।
- श्रम कानून।
- वित्त मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय के बीच मतभेद की वजह से नीतिगत अनिश्चितता।

**आगे की राह:**

- विशेष आर्थिक क्षेत्रों की अवधारणा को कर मुक्त क्षेत्र से बदलकर उत्कृष्ट बुनियादी सुविधाओं वाले विशिष्ट क्षेत्र के रूप में स्थापित करने की जरूरत है। विशेष आर्थिक क्षेत्रों में बेहतर बुनियादी सुविधायें प्रदान किये जाने की जरुरत है ताकि संचालन लागत कम हो जाए और यह निर्यात प्रोत्साहक के रूप में कार्य करें। सरकार को इस संबंध में पर्याप्त सहायता प्रदान करनी चाहिए।
- राजकोषीय प्रोत्साहन को इस तरह रखा जाना चाहिए कि यह विश्व व्यापार संगठन के नियमों का उल्लंघन न करे।
- इन क्षेत्रों में निर्मित उत्पादों को सीमा शुल्क के भुगतान के बिना देश के भीतर बेचने की अनुमति दी जानी चाहिए।
- न्यूनतम वैकल्पिक कर(MAT) और लाभांश वितरण कर (DDT) को ख़त्म कर देना चाहिए।

## 5. वस्त्र-निर्माण क्षेत्र के लिए प्रोत्साहन की पेशकश

**(Incentives Offered for Textile Sector)**

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

केंद्र सरकार ने वस्त्र एवं परिधान क्षेत्र में अगले तीन साल में एक करोड़ रोजगार (मुख्यतः महिलाओं के लिए) के अवसर पैदा करने के लिए 6,000 करोड़ रुपये के एक विशेष पैकेज घोषणा की है।

**इस पैकेज में क्या है?**

- इस पैकेज में कई कर और उत्पादन प्रोत्साहन शामिल हैं। यह पैकेज इस क्षेत्र को और अधिक लचीले श्रम कानून और वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करेगा।

- **श्रम कल्याण**: ILO मापदंडों के अनुरूप कार्य करते हुए अब कामगारों के लिए प्रति सप्ताह 8 घंटे से अधिक ओवर टाइम न किये जाने का निर्देश।

✓ उद्योग की मौसमी प्रकृति को देखते हुए, परिधान क्षेत्र के लिए निर्धारित अवधि के रोजगार की शुरूआत की जाएगी।

- **कर्मचारी भविष्य निधि**: भारत सरकार 15,000 रूपए प्रतिमाह से कम कमाने वाले परिधान उद्योग के नए कर्मचारियों हेतु प्रथम तीन वर्षों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि योजना के नियोक्ता अंशदान का समग्र 12% वहन करेगी।
- एक नई योजना: अभी तक रिफंड नहीं किये गए राज्य लेवी (state levies) के रिफंड के लिए एक नई योजना लायी जाएगी। 6000 करोड़ रूपए के पैकेज में से 5500 करोड़ रूपए परिधान क्षेत्र में एक अतिरिक्त 5% शुल्क ड्राबैक (duty drawback) के लिए प्रयोग किये जाएंगे।
- इनपुट पर अदा किए गए घरेलू शुल्क के लिए ऑल इंडस्ट्री रेट पर अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत फैब्रिक का आयात करने पर भी ड्रॉबैक प्रदान किया जाएगा।
- संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत 500 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय प्रोत्साहन दिया जायेगा और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए परिधान क्षेत्र के लिए सब्सिडी को 15 % से बढ़ाकर 25 % किया जायेगा।
- इनपुट आधारित प्रोत्साहन से आउटकम आधारित प्रोत्साहन- अर्थात संभावित नौकरियों का सृजन होने के पश्चात ही सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

**महत्त्व**

- 1995 और 2000 के बीच बांग्लादेश और वियतनाम की तुलना में भारत परिधान निर्यात में आगे था; अब इन देशों ने भारत को पीछे छोड़ दिया है।
- इस पैकेज से वैश्विक बाजार में इसकी लागत प्रतिस्पर्धा में सुधार के द्वारा भारतीय वस्त्र और परिधान क्षेत्र में मजबूती आएगी। नीतिगत समर्थन के साथ, भारत अगले तीन साल में फिर से अपना पूर्ववर्ती स्थान हासिल कर सकता है।
- सरकार को उम्मीद है कि इस पैकेज के माध्यम से तीन साल में एक करोड़ नए रोजगार के अवसर, 74,000 करोड़ रुपये का निवेश और लगभग 30 अरब डॉलर की निर्यात आय प्राप्त होगी।

**औद्योगिक क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा बनाये गये कोष**
**(FUNDS CREATED BY GOVERNMENT – FOR BOOSTING INDUSTRIAL SECTOR)**

# 6. इलेक्ट्रॉनिक विकास कोष

**(ELECTRONIC DEVELOPMENT FUND)**

**कोष के बारे में:**

- इसे संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स, नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी पर केंद्रित प्रारंभिक, एंजेल, उद्यम और निजी इक्विटी फंड्स की मदद करने के लिए शुरू किया गया है।
- 2200 करोड़ रुपये का आरंभिक कोष। (जिसे 10000 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है)।
- इसका उद्देश्य उद्योग जगत की सक्रिय भागीदारी के आधार पर "नवाचार तथा अनुसंधान और विकास के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र" विकसित करना है।
- यह एक "फंड ऑफ फंड्स (कोषों का कोष)" होगा तथा कैनबैंक वेंचर कैपिटल फंड इसकी सक्रिय प्रबंधन फर्म होगी, जो पेशेवर तरीके से प्रबंधित वेंचर फंड्स को सीड (seed) करेगी।
- इलेक्ट्रॉनिक विकास निधि 20% पूँजी को डॉटर फंड (daughter fund) में रखेगी और बाकी 80% पूँजी का वेंचर पूँजीपतियों द्वारा निवेश किया जाएगा। इस डॉटर फंड द्वारा मुख्य रूप से स्टार्ट-अप कंपनियों में निवेश किया जायेगा।

**इलेक्ट्रॉनिक विकास निधि की आवश्यकता:**

- भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों की माँग वर्ष 2020 तक 400 अरब डॉलर तक पहुँच जाएगी जबकि उस समय तक उत्पादन केवल 104 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है।
- भारत कच्चे तेल से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स का आयात करेगा जिससे चालू खाता घाटा और बढ़ जायेगा।
- भारत का घरेलू बाजार काफी बड़ा है और तकनीकी संसाधनों का एक विशाल भंडार है। साथ ही यहाँ कुशल और अर्ध कुशल श्रम भी उपलब्ध है।

- उत्पादन को बढ़ाने के अवसरों के साथ, भारत एक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण हब बनने के लिए तैयार है।

**चुनौतियाँ**

- यह कोष लघु और मध्यम उद्यम श्रेणी को ज्यादा मदद नहीं करेगा क्योंकि इसे नवाचार और अनुसंधान एवं विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बनाया गया है।
- बहुत उच्च प्रतिस्पर्धा और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में कम मुनाफे की वजह से पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली से कम मदद ही मिल पाती है।
- उच्च पूंजी लागत की वजह से चीनी विनिर्माताओं की तुलना में भारतीय विनिर्माता प्रतिकूल स्थिति में ही रहते हैं।
- वेंचर फंड ज्यादातर इक्विटी मार्ग को पसंद करते हैं। पुनः इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में निवेश और कार्यशील पूंजी के लिए ऋण की मांग अधिक होती है, अतः यह निधि इस क्षेत्रक के पूँजी मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं भी हो सकती है।

**आगे की राह:**

- बौद्धिक संपदा के विकास और उसे भारत में ही रखने के प्रयास किये जाने चाहिए।
- वर्तमान में इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण बौद्धिक संपदा कुछ विकसित देशों के हाथ में ही है।
- इस चक्र को तोड़ने के लिए एक बहुआयामी प्रयास की आवश्यकता है और इसलिए इलेक्ट्रॉनिक विकास निधि योजना को अन्य क्षेत्रों में प्रयासों द्वारा संवर्धित किया जाना चाहिए।
- उदाहरण के लिए - भारत को एक वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था महाशक्ति में बदलने के लिए बुनियादी सुविधाओं से शिक्षा और कौशल विकास तक के संरचनात्मक मुद्दों को भी साथ में संबोधित किये जाने की जरूरत है।

# 7. राष्ट्रीय विनिर्माण नीति के तहत प्रौद्योगिकी अधिग्रहण और विकास फंड

**(TECHNOLOGY ACQUISITION AND DEVELOPMENT FUND UNDER NMP)**

**चर्चा में क्यों?**

हाल में औद्योगिक नीति एवं प्रोत्साहन विभाग (DIPP) द्वारा विनिर्माण नीति के तहत प्रौद्योगिकी अधिग्रहण और विकास फंड (Technology Acquisition and Development Fund-TADF) का आरम्भ किया गया।

**TADF क्या है?**

- **सूक्ष्म, लघु और माध्यम उपक्रमों (MSMEs)** द्वारा भारत या विश्व में उपलब्ध **स्वच्छ, हरित एवं ऊर्जा दक्षता तकनीकें** हासिल करने के लिए यह एक नयी योजना है।
- **TADF योजना का क्रियान्वयन "ग्लोबल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी अलायन्स" (GITA) नामक एक संयुक्त उद्यम कंपनी द्वारा किया जाएगा। इसके तहत निम्न बातें उल्लिखित हैं:**
- प्रौद्योगिकी अधिग्रहण हेतु प्रत्यक्ष सहयोग और पेटेंट पूल के माध्यम से तकनीक अधिग्रहण करने में अप्रत्यक्ष मदद
- तकनीक/उपकरण विनिर्माण सब्सिडी
- राष्ट्रीय निवेश तथा विनिर्माण क्षेत्र (NIMZ) में स्थित उद्योगों में संसाधन संरक्षण गतिविधियों को सुगम बनाकर यह योजना हरित विनिर्माण को प्रोत्साहित करेगी।

**TADF का महत्व:**

- तकनीक का विकास और उन्नयन राष्ट्रीय विनिर्माण योजना के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बहुत अहम है।
- वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बने रहने और विनिर्माण उद्योग की निरंतर वृद्धि की गारंटी के लिए तकनीक की सीढियां चढ़ना सबसे तेज रास्ता है।
- यह देशज तकनीकी विशेषज्ञता के विकास में मदद करेगा।
- यह वैश्विक बाज़ार में अत्यंत महत्वपूर्ण तकनीक अधिग्रहण में भी मदद करेगा
- हरित तकनीक को सुगम बनाकर यह संवहनीय विकास को एक गति प्रदान करेगा।
- यह MSME क्षेत्रक में विनिर्माण को बढ़ावा देने में उत्प्रेरक का कार्य करेगा।

# 8. राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष

**(NATIONAL INVESTMENT AND INFRASTRUCTURE FUND-NIIF)**

हाल ही में सरकार ने 40000 करोड़ रुपये के राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष की स्थापना की है।

**NIIF के उद्देश्य**

- अवरुद्ध परियोजनाओं सहित वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड परियोजनाओं में अवसंरचना के विकास के माध्यम से आर्थिक प्रभाव को उच्चतम सीमा तक बढ़ाना,

- घरेलू और अंतरराष्ट्रीय, दोनों स्रोतों से निवेश को आकर्षित करना,
- अवसंरचना परियोजनाओं में निवेश प्रवाह बढ़ाना,
- यह भारत में अवसंरचना संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए वर्तमान सरकार द्वारा शुरू की गई प्रमुख पहल है। कई कोषों को एक साथ मिलाकर यह एक समावेशक की तरह कार्य करेगा।

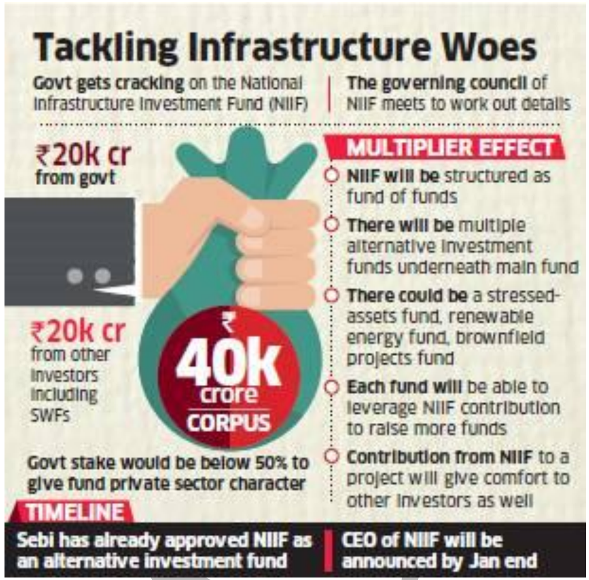


**राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष क्या है?**

- यह देश में अवसंरचना क्षेत्र के वित्तपोषण को बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा गठित किया गया एक कोष है।
- चालू वित्त वर्ष में सरकार ने इस हेतु 20000 करोड़ रूपए का योगदान दिया है और शेष 20000 करोड़ रूपए संप्रभु संपदा कोष (sovereign wealth funds) के माध्यम से एकत्रित किया जायेगा।
- यह सेबी के तहत कैटेगरी II वैकल्पिक निवेश कोष (category II alternative investment fund) के रूप में पंजीकृत है।
- वैकल्पिक निवेश निधि (AIF) के रूप में स्थापित प्रत्येक निकाय में सरकार का योगदान 49% होगा।
- अवरुद्ध परियोजनाओं सहित अवसंरचना परियोजनाओं के विकास के लिए यह एक संप्रभु कोष है।
- NIIF की दोहरी भूमिका होगी- पहला, परियोजनाओं में इक्विटी पूंजी डालना और दूसरा, अवसंरचना परियोजनाओं में निवेश के लिए यथोचित योगदान देना।

**राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष के कार्य**

- अपतटीय ऋण संवर्धन बांड (off-shore credit enhanced bonds) जैसे उपयुक्त उपकरणों के माध्यम से वित्त एकत्रित करना और भरोसेमंद निवेशकों को कोष में भागीदार के रूप में भाग लेने के लिए आकर्षित करना।
- राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष के निवेशकों को सेवा प्रदान करना।
- निवेश के लिए कंपनियों / संस्थाओं / परियोजनाओं को ध्यान में रखना और उनका अनुमोदन करना और निवेश की समय-समय पर निगरानी करना।
- निजी इक्विटी में निवेश के लिए परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी (AMC) द्वारा बनाये गए कोष में निवेश।
- सलाहकारी सेवाएं प्रदान करना।

**राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष हेतु धन के स्रोत**

- रणनीतिक एंकर साझेदारों (strategic anchor partners) से इक्विटी भागीदारी इसके वित्तीयन का एक प्रमुख स्रोत होगा। भारत सरकार इसे एक संप्रभु कोष के रूप में स्थापित करने के लिए योगदान देगी और उसमें सह-निवेश करने के लिए विदेशी संप्रभु / अर्ध संप्रभु / बहुपक्षीय / द्विपक्षीय निवेशकों को आकर्षित करेगी।
- वार्षिक योजना के आधार पर अपने कार्यों को क्रियान्वित करने के लिए एक वैकल्पिक निवेश कोष के रूप में स्थापित प्रत्येक इकाई के लिए प्रत्येक वर्ष आवश्यकतानुसार सरकार द्वारा धन मुहैया कराया जायेगा।
- रूस, सिंगापुर और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों के संप्रभु संपदा कोष और अंतर्राष्ट्रीय पेंशन फंड ने भारत के 40000 करोड़ रुपये के इस राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष के भागीदार बनने में रुचि प्रदर्शित की है।

**संरचना**

- राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष को सेबी के विनियमों के तहत एक या अधिक वैकल्पिक निवेश कोष (Alternative Investment Funds) के रूप में स्थापित किया जाएगा।
- राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष की प्रारंभिक अधिकृत पूंजी 20000 करोड़ रुपये की होगी जिसे वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर बढ़ाया जा सकेगा।
- सरकार इस कोष में प्रति वर्ष 20000 करोड़ रुपये तक का योगदान दे सकती है। वैकल्पिक निवेश कोष के रूप में स्थापित प्रत्येक इकाई में सरकार की हिस्सेदारी 49% होगी और इसे कम या ज्यादा नहीं किया जा सकेगा।
- कुल 49% का योगदान सीधे सरकार द्वारा किया जायेगा, जबकि शेष राशि का योगदान अन्य द्वारा किया जाएगा।

VISION IAS

**संचालन (गवर्नेंस)**

- राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष को कराधान और लचीलेपन की दृष्टि से एक ट्रस्ट/ कानूनी इकाई के रूप में स्थापित किया जाएगा।
- राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष के गवर्निंग काउंसिल में अंतरराष्ट्रीय वित्त विशेषज्ञ, प्रख्यात अर्थशास्त्री और अवसंरचना पेशेवरों के साथ-साथ सरकार के प्रतिनिधि होंगे। इसमें अन्य गैर-सरकारी शेयरधारकों के प्रतिनिधि भी शामिल हो सकते हैं।
- गवर्निंग काउंसिल के सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में उनकी पदावधि तथा सेवा शर्तों का निर्धारण सरकार द्वारा किया जायेगा।
- NIIF के लिए एक या अधिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी(यों) को नियुक्त किया जायेगा और विशेषज्ञ स्टाफ की सीमित संख्या के साथ एक छोटा निवेश दल भी होगा।
- परियोजना के चयन के लिए NIIF के पास पूर्ण स्वायत्तता होगी। परिसंपत्ति प्रबंध कंपनी और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों/वित्तीय संस्थाओं के चयन मानदंड के लिए NIIF दिशानिर्देश तैयार करेगा और प्रक्रियाओं का पालन करेगा।

# 9. विनिर्माण क्षेत्र के साथ समस्या - मेक इन इंडिया

**(PROBLEM WITH MANUFACTURING SECTOR – MAKE IN INDIA)**

- अधिकांश नयी नौकरियाँ विनिर्माण क्षेत्रों में ही हैं।
- भारत की कुल श्रम शक्ति का 85 प्रतिशत असंगठित क्षेत्रों में लगा हुआ है जो अकुशल है।
- सेवा एवं विनिर्माण क्षेत्रों में अधिकांश नौकरियाँ मुख्यतः कौशल आधारित हैं, जबकि भारत का अधिकांश श्रम अकुशल है।
- अतः इन दोनों ही क्षेत्रों में कार्य बल की माँग-आपूर्ति में काफी अंतर बना हुआ है।
- आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2014-15 के अनुसार वर्तमान कौशल केन्द्रित मॉडल से मौजूदा अकुशल कार्यबल की एक या दो पीढ़ियाँ प्रगति के अवसर प्राप्त करने से पीछे छूट जाएँगी।
- सिटी ग्रुप की एक रिपोर्ट के अनुसार स्वचालन/स्वचालित यंत्रों के बढ़ते हुए प्रयोग से कंपनियों का झुकाव विकसित अर्थव्यवस्थाओं या वर्तमान विनिर्माण हब, जैसे चीन आदि की ओर हो जाएगा जो भारत जैसे उभरते बाजार की कीमत पर होगा।
- विनिर्माण में 'रोबोटिक्स' के अधिक प्रयोग और चौथी औद्योगिक क्रांति ने 'उत्पादन की ऑनशोरिंग (onshoring)' का मार्ग प्रशस्त किया है।
- ऐसे प्रयासों से वे देश जो कम मूल्य लागत आधारित वस्तुओं के निर्माण में निपुण हैं, उनका व्यापार प्रभावित होगा जो कहीं न कहीं मंदी को बढ़ावा देगा।

**आगे की राह**

- कार्यबल को अधिक कुशल बनाते हुए अवसंरचना में सुधार करना।
- मेक इन इंडिया तब तक सार्थक/सफल सिद्ध नहीं होगा जब तक व्यापार परिचालन की लागत कम नहीं होगी।
- सरकार को निरंतर ऐसे प्रयासों को बढ़ाने की आवश्यकता होगी जो व्यापार परिचालन वातावरण में लगातार सुधार ला सके।
- इसके अलावा मेक इन इंडिया की निगरानी के लिए डैशबोर्ड का अवलोकन कर इज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस के तहत राज्यों को रैंक प्रदान किया जाना चाहिए।

# 10. ई-कॉमर्स

**(E-COMMERCE)**

## 10.1. वर्तमान स्थिति: भारत में ई-कॉमर्स

**(Present situation: E-Commerce in India)**

- भारत में ई-कॉमर्स उद्योग में तेजी से वृद्धि हुई है। वर्तमान में इस उद्योग की 60% से अधिक की वृद्धि दर है।
- विभिन्न अध्ययनों में 2016 तक उद्योग का आकार लगभग 38 अरब डॉलर होने का अनुमान लगाया गया है और इसके 2020 में 50 अरब अमरीकी डालर तक पहुँचने की उम्मीद है।
- इस उद्योग में रोजगार के अवसर पैदा करने और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने की क्षमता है।
- इस क्षेत्र ने 2015 में सर्वाधिक FDI आकर्षित किया है।

- भारत में ई-कॉमर्स बाजार में अमेज़न, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, ShopClues और Paytm आदि कुछ प्रमुख नाम हैं; ये सभी विदेशी निवेशकों द्वारा वित्त पोषित हैं।
- वर्तमान में, B2B (बिजनेस-टू-बिजनेस) लेनदेन में स्वचालित मार्ग के तहत 100% FDI की अनुमति है।
- अमेज़न इंडिया, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील और ऐसी कई अन्य कंपनियां, जो हजारों की संख्या में विक्रेताओं को होस्ट करती हैं, ई-रिटेलर्स के बजाय प्रौद्योगिकी समर्थक के रूप में वर्णित की गयी हैं। इन्होंने अपनी स्वयं की कोई इन्वेंटरी नहीं होने का दावा किया है। यही कारण है कि ये कम्पनियाँ ई-कॉमर्स में FDI पर प्रतिबंध के बावजूद तेजी से वृद्धि करती रही हैं।

**ई-कॉमर्स के उद्योगों के लिए चुनौतियां**

- राज्यों में एक समान कराधान का अभाव वस्तुओं की आवाजाही में कठिनाई उत्पन्न करता है।
- लॉजिस्टिक समस्याएं और अवसंरचना।
- भुगतान और बैंकिंग पैठ क्योंकि नकद लेनदेन में उच्च प्रशासनिक लागत आती है।
- इंटरनेट पैठ।
- कुशल जनशक्ति।

## 10.2. नए दिशा-निर्देश

### (New Guidelines)

- सरकार ने स्वचालित मार्ग के तहत ई-कॉमर्स रिटेलिंग के बाजार प्रारूप (मार्केट प्लेस फॉर्मेट) में 100 फीसदी FDI की अनुमति दी है।
- दिशा-निर्देशों ने ई-कॉमर्स बाजार को विक्रेताओं के लिए कई सहयोग सेवाएं प्रदान करने की अनुमति दी है, लेकिन, इसने कहा है कि इस तरह की संस्थायें इन्वेंटरी पर स्वामित्व का प्रयोग नहीं करेंगी।
- बाजार उपलब्ध कराने वाली ई-कॉमर्स संस्थाएं सीधे या परोक्ष रूप से वस्तुओं या सेवाओं की बिक्री मूल्य को प्रभावित नहीं करेंगी और सभी को समान अवसर उपलब्ध कराएंगी।

**ई-कॉमर्स का बाजार मॉडल**

ई-कॉमर्स के बाजार मॉडल का मतलब है खरीददार और विक्रेता के बीच सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करने के लिए किसी ई-कॉमर्स इकाई द्वारा डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर एक IT प्लेटफॉर्म प्रदान करना।

**ई-कॉमर्स का इन्वेंटरी मॉडल**

इन्वेंटरी आधारित ई-कॉमर्स मॉडल का अर्थ है ऐसी ई-कॉमर्स गतिविधि जहाँ वस्तुओं और सेवाओं की इन्वेंटरी ई-कॉमर्स इकाई के स्वामित्व में है और उन्हें सीधे उपभोक्ताओं को बेचा जाता है।

**लाभ**

- इससे इस क्षेत्र में निश्चितता के साथ व्यापार शुरू करने के लिए आवश्यक स्पष्टता आएगी तथा विदेशी निवेश भी आकर्षित होगा।
- बाजार ऑपरेटर मूल्य वर्धित सेवाएं प्रदान करने के लिए सक्षम होंगे।

**हानि**

- इसने इन्वेंटरी आधारित मॉडल और बाज़ार आधारित ई-कॉमर्स के बीच एक कृत्रिम भेद बनाकर ई-रिटेल की जटिलता को और बढ़ा दिया है।
- जहाँ बाजार में एक विक्रेता (vendor) कुछ वस्तुओं तक विशिष्ट पहुँच या छूट की पेशकश कर रहा हो, वहाँ एक ही विक्रेता द्वारा की जा सकने वाली बिक्री

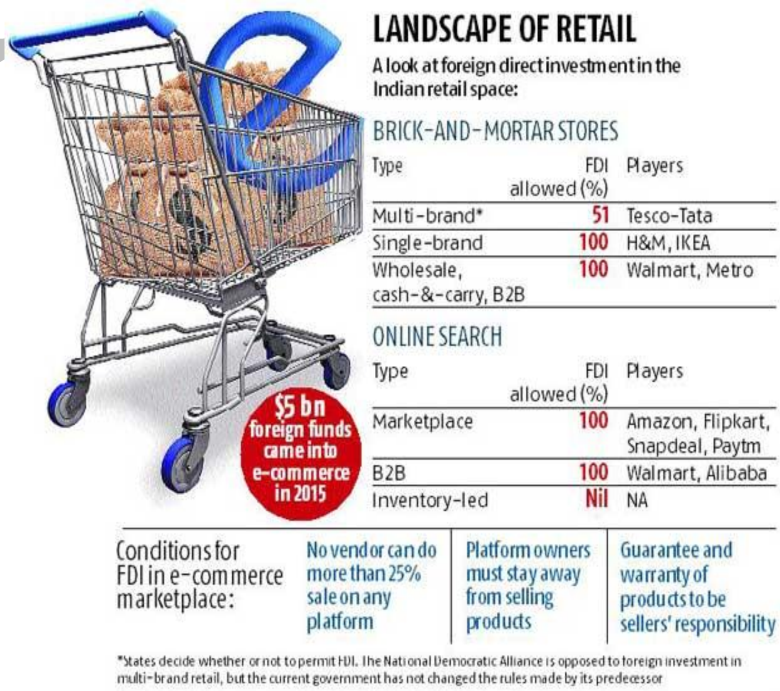


VISION IAS

को सीमित करना (अधिकतम, कुल बिक्री का 25%) प्रतिबंधात्मक साबित हो सकता है।

- एक मजबूत वाणिज्यिक सिद्धांत के बिना 25 प्रतिशत की इस ऊपरी सीमा का परिणाम पकड़े जाने से बचने के लिए कंपनियों द्वारा नयी इकाईओं के निर्माण के रूप में सामने आ सकता है।
- इस नियम में यह प्रावधान कि "ई-रिटेलर्स सीधे या परोक्ष रूप से वस्तुओं या सेवाओं की बिक्री मूल्य को प्रभावित नहीं करेंगे और सभी को समान अवसर उपलब्ध कराएंगे" वस्तुतः "मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता" के खिलाफ जाता है जो बाजार के कामकाज का प्रमुख आधार है और इसे लागू करने में भी व्यावहारिक कठिनाइयाँ सामने आयेंगी।

**आगे की राह:**

**CII-DELOITTE रिपोर्ट की सिफारिशें :**

- वस्तुओं के मुक्त प्रवाह को सुनिश्चित करने हेतु GST के रूप में एकसमान कर संरचना।
- ई-वाणिज्य इकोसिस्टम और ग्रामीण पैठ को समर्थन प्रदान करने के डिजिटल भारत, कौशल भारत, स्टार्टअप इंडिया आदि जैसे कार्यक्रमों का समय पर क्रियान्वयन।
- ई-कॉमर्स उद्योग में स्टार्ट-अप्स को प्राप्त होने वाले कर -अवकाश की समय सीमा को बढ़ाना।

# 11. फार्मा उद्योग

(Pharma Industry)

## 11.1. भारतीय फार्मा उद्योग से जुड़े मुद्दे

(Issues with Indian Pharma Industry)

- कमजोर और गैर-पारदर्शी नियामकीय परिवेश।
- मापदंड
  - ✓ भारतीय कानूनों और WHO के मानकों के द्वारा निर्धारित विनिर्माण मानकों के प्रवर्तन की कमी।
  - ✓ खराब गुणवत्ता, मिलावटी दवाओं, स्वच्छता और सफाई मानकों के आधार पर अमेरिका और यूरोपीय संघ जैसे विकसित देशों द्वारा भारतीय दवाओं पर प्रतिबंध।
- बल्क ड्रग्स के क्षेत्र में आयात पर बढ़ती निर्भरता। अधिकांश आयात चीन से होता है।
- हाल के वर्षों में घरेलू दवा उद्योगों के अनुसंधान एवं विकास में निवेश कम हो गए हैं।
- अपर्याप्त और अनियमित बिजली की आपूर्ति के कारण दवाओं के उत्पादन में लगे किण्वन (फर्मेंटेशन) उद्योगों का पतन हुआ है।
- विभिन्न मंत्रालयों, जो फार्मा उद्योग के विभिन्न पहलुओं से संबंधित हैं, के बीच समन्वय की कमी है – जैसे फार्मास्यूटिकल्स विभाग दवा नीति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग नवाचार आदि को देखता है।

**उपाय**

- भारत में आसान और पारदर्शी नियामक व्यवस्था जिससे उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के साथ ही नवाचार को बढ़ावा मिले।
- नैतिक और पारदर्शी क्लिनिकल परीक्षण और तीव्र एकल खिड़की मंजूरी की प्रक्रिया।
- विश्व व्यापार संगठन के नियमों के अनुरूप ऐसे विनियमन का विकास जिनका घरेलू उद्योग आसानी से पालन कर सकें।
- सभी मंत्रालयों द्वारा समन्वित और ठोस कार्रवाई।
- **क्लस्टर योजना:** साझा अपशिष्ट उपचार संयंत्र, साझा प्रयोगशाला, आदि के साथ मेगा पार्कों की स्थापना करना, ताकि भारतीय फार्मा उद्योग भी 'इकोनोमी ऑफ स्केल' का लाभ उठा सकें।
- **अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा-** अधिक उद्योग-शैक्षणिक/अनुसंधान संस्थान सहयोग, उपेक्षित बीमारियों के क्षेत्र में ओपेन सोर्स दवा खोजों को प्रोत्साहन आदि।

**आगे की राह**

- भारत द्वारा जेनेरिक दवाओं के निर्माण में वैश्विक नेतृत्व प्राप्त करने के लिए सरकार को फार्मा विजन 2020 में विनिर्दिष्ट मार्गों का अनुसरण करना चाहिए।
- सरकार द्वारा फार्मा सेक्टर में MSMEs को वर्तमान से और भी अधिक सहयोग एवं प्रोत्साहन प्रदान करने की आवश्यकता है।

## 11.2.बल्क ड्रग्स नीति मसौदा

(Draft Bulk Drug Policy)

### सुर्खियों में क्यों?

- कटोच समिति की सिफारिशों के आधार पर औषधि विभाग ने बल्क ड्रग नीति का मसौदा जारी किया।
- बल्क ड्रग निर्माताओं को उम्मीद है कि यह नीति भारत के एक्टिव फार्मास्यूटिकल इन्ग्रेडीएंट (active pharmaceutical ingredients) के बाजार को पुनर्जीवित करेगी और नई विनिर्माण सुविधाएं स्थापित करने और मौजूदा सुविधाओं के संवर्धन के लिए 30000-40000 करोड़ रुपए मूल्य के नए निवेश को गति प्रदान करेगी।

### बल्क ड्रग्स क्या हैं?

- बल्क ड्रग्स या एक्टिव फार्मास्यूटिकल इन्ग्रेडीएंट मूल रूप से किसी औषधि में प्रयोग होने वाला सक्रिय कच्चा माल होता है जो औषधि को चिकित्सीय प्रभाव देता है।
- बल्क ड्रग्स का दवा उद्योग द्वारा कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।

### आवश्यकता:

- बल्क ड्रग्स की वर्तमान में देश के 80000 करोड़ रुपये के घरेलू दवा क्षेत्र में केवल 10-12 प्रतिशत की हिस्सेदारी है।
- उद्योग के अनुमान के अनुसार, उद्योग की आवश्यकता का 70-80 प्रतिशत चीन से आयात पर निर्भर करता है।
- चीन से आयातित बल्क ड्रग्स निम्न गुणवत्ता वाली होती है।

**फार्मा उद्योग के कुछ तथ्य:**

- वैश्विक फार्मा उद्योग करीब 1000 अरब डॉलर का है।
- भारतीय फार्मा उद्योग करीब 32 अरब डॉलर का है।
- यह उद्योग वर्तमान में 8-9 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से बढ़ रहा है।
- वर्ष 2015 को एक्टिव फार्मास्यूटिकल इन्ग्रेडीएंट वर्ष घोषित किया गया था।
- जेनेरिक दवाओं के संदर्भ में भारत एक महाशक्ति है।

### नीति की मुख्य विशेषताएं:

- इसका उद्देश्य थोक औषधि निर्माण में भारत को आत्म-निर्भर बनाना है।
- नवाचारों के माध्यम से नए पदार्थ विकसित करने और मूल्यवर्धन श्रृंखला में बढ़ोतरी करने हेतु फार्मा कंपनियों की मदद करने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना।
- वर्ष 2030 तक भारतीय फार्मा क्षेत्र को 200 अरब डॉलर का उद्योग बनाना।
- इस लक्ष्य को एक्टिव फार्मास्यूटिकल इन्ग्रेडीएंट की विनिर्माण क्षमताओं को विकसित कर प्राप्त किया जाएगा।
- एक्टिव फार्मास्यूटिकल इन्ग्रेडीएंट के लिए पृथक स्पेशल पर्पज व्हीकल द्वारा प्रबंधित मेगा पार्क।
- 6 बड़े एक्टिव फार्मास्यूटिकल इन्ग्रेडीएंट इंटरमीडिएट क्लस्टर।
- आवश्यक दवाओं के निर्माण के लिए सार्वजनिक उपक्रमों का पुनरुद्धार।
- निर्माताओं के लिए सुलभ ऋण।
- अनुसंधान एवं विकास में निवेश।
- कर लाभ और आयात शुल्क में छूट।
- अन्य मंत्रालयों के साथ संपर्क के लिए अलग संस्थागत तंत्र (जैसे-पर्यावरण मंजूरी, विद्युत आपूर्ति आदि)।

### चुनौतियां:

- नियामक ढांचे को मजबूत किये जाने तथा इसे अंतरराष्ट्रीय कार्यप्रणाली के मानकों के अनुरूप बनाने की आवश्यकता है।
- दवा उद्योग की बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकताओं से जुड़े मुद्दे।
- नए पदार्थों और दवाओं की खोज में अनुसंधान की कमी है।

### आगे की राह:

- उद्योग को नवाचार पर ध्यान केंद्रित करने और अंतरराष्ट्रीय प्रणाली अपनाने की जरूरत है।
- भारत विश्व में फार्मेसी केंद्र बनने की क्षमता रखता है।
- कम से कम हमें स्वयं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आत्मनिर्भर बन जाना चाहिए।
- उपभोक्ता के लिए दवाओं की लागत कम की जानी चाहिए।

VISION IAS

- केन्द्र सरकार ने दवाइयों और चिकित्सा उपकरणों के लिए एक नया मंत्रालय बनाने का प्रस्ताव रखा है।
- दवा विपणन प्रणाली के लिए स्वैच्छिक समान संहिता की जरूरत है।
- "मेक इन इंडिया" पहल से उद्योग को बड़े पैमाने पर मदद मिलेगी।

## 11.3. 76 जीवन रक्षक औषधियों पर सीमा शुल्क छूट की समाप्ति

**(Withdrawal of Custom Duty Exemption on 76 Life-Saving Drugs)**

**सुर्खियों में क्यों?**

वित्त मंत्रालय ने 76 औषधियों पर आरोपित सीमा शूल्क छूट की समाप्ति की घोषणा की है। इस सूची में 10 HIV औषधि तथा कम से कम चार कैन्सर औषधि शामिल हैं, परंतु निर्णय से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले हीमोफीलिया के रोगी हैं।

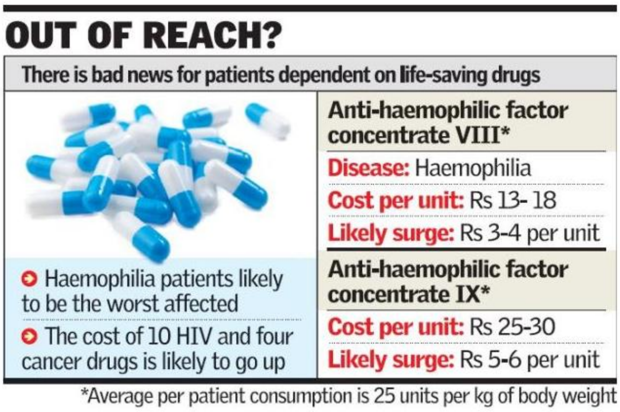


**सरकार का रूख:**

- यह स्वदेशी औषधियों को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया कदम है। हमारे घरेलू बाजार के लिए भारतीय दवा कम्पनियाँ इन दवाओं के विनिर्माण में पूर्णतया सक्षम हैं।
- यह माना जा रहा है कि शुल्क छूट की समाप्ति से वस्तुतः *मेक इन इंडिया* को बढ़ावा मिलेगा।

**निर्णय का प्रभाव:**

- हालांकि ये ज्यादा खर्चीला साबित हो सकता है तथा उन रोगियों को प्रभावित कर सकता है जो पहले से ही ऐसे चिकित्सीय उपचार हेतु उच्च कीमत का भुगतान कर रहे हैं।
- अधिकांश भारतीयों को **स्वास्थ्य देखभाल पर आने वाली लागत के संबंध में अपनी क्षमता से बाहर जाकर व्यय** करना पड़ता है और कोई भी वृद्धि उन्हें प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकती है।
- कुछ औषधियां जो हटाई गई हैं, या तो वे भारत में उत्पादित ही नहीं होती हैं या स्थानीय मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में उत्पादित नहीं होती हैं।
- हाल ही में लांच की गयी बहुत-सी जीवन-रक्षक औषधियां, जो पेटेन्ट के लिए विचाराधीन हैं, उन्हें सीमा शुल्क छूट प्रदान की गयी है।
- उपभोक्ता दवा खरीद में निर्णय निर्माता नहीं हैं क्योंकि वे दवाओं के लिए डॉक्टर के पर्चे पर निर्भर रहते हैं। इसलिए यह और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है कि पक्षपातपूर्ण डॉक्टरों से उपभोक्ता को बचाने के लिए आयातित और स्थानीय स्तर पर निर्मित दवाओं की कीमत एकसमान रखनी चाहिए।
- आयातित सक्रिय दवा सामग्रियां (API) भी स्थानीय स्तर पर निर्मित जेनेरिक दवाओं की लागत में वृद्धि करेंगी।

# 12. व्यापार

**(Trade)**

## 12.1. वर्तमान स्थिति: भारतीय निर्यात रूझान

**(Present situation: Indian Exports Trend)**

- भारत का निर्यात 1.27% बढ़कर साल-दर-साल आधार पर जून में $ 22.57 बिलियन हो गया तथा इस प्रकार इसने दिसम्बर 2014 से प्रारम्भ हुई घटने की प्रवृत्ति पर रोक लगाई।
- जून में इस प्रवृत्ति को निम्न-आधार प्रभाव (low-base effect) से मदद मिली है क्योंकि जून 2015 में निर्यात जून 2014 से 16 फीसदी कम था।
    - कमजोर वैश्विक मांग और तेल की कीमतों में गिरावट की वजह से दिसंबर 2014 के बाद से निर्यात गिर रहा है।

### 12.1.1. तेल की गिरती कीमतें और भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव

(Falling oil Prices and its Impact on Indian Economy)

**कारण**

- **मांग पक्षीय कारक:** यूरोजोन का आर्थिक ठहराव, जापान की मंदी की ओर फिसलन और चीन की मंदी।
- **आपूर्ति पक्षीय कारक:** अमेरिकी शेल बूम, लीबिया के तेल उत्पादन का पुनरुद्धार, इराक में उत्पादन में लगातार वृद्धि और ओपेक का उत्पादन में कटौती न करने का निर्णय।

**सकारात्मक प्रभाव**

- भारत के **व्यापार संतुलन और चालू खाता घाटे में सुधार** क्योंकि भारत अपनी 80 प्रतिशत आवश्यकता के लिए तेल का आयात करता है।
- डीजल की कीमतों का नियंत्रण मुक्त होना जिससे सब्सिडी के बोझ में कमी होगी।
- इनसे बचाया गया मद अवसंरचना निर्माण और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों में लगाया जा सकता है।
- डीजल की कीमतों का आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर सीधा प्रभाव होता है क्योंकि यह परिवहन क्षेत्र के लिए पसंदीदा ईंधन है। अत: **मुद्रास्फीति** में कमी आएगी जिससे **निर्यात** और अधिक प्रतिस्पर्धी बनेगा।
- **प्लास्टिक उत्पाद, सिंथेटिक कपड़े, टायर और पेंट** का निर्माण करने वाली वे कंपनियां जो इनपुट के रूप में कच्चे तेल या कच्चे तेल से व्युत्पन्न वस्तुओं का उपयोग करती हैं, उनके लाभ मार्जिन में विस्तार होता दिखेगा।

**नकारात्मक प्रभाव**

- पश्चिम एशियाई देशों से विप्रेषण में कमी क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था गिर रही है।
- प्रदूषण में वृद्धि क्योंकि तेल की कीमतों में कमी से घरेलू और वैश्विक स्तर पर तेल की मांग में वृद्धि हुई है।

**निष्कर्ष**

- तेल की गिरती कीमतें भारत के लिए एक अनूठा अवसर प्रस्तुत करती हैं। इससे हमें अपने विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों में पद्धति का नए तरीके से दिशानिर्धारण करने और बेहतर तरीके से लाभार्थी वर्ग निर्धारित करने तथा कुशल संचालन के माध्यम से दक्षता बढ़ाने में मदद मिलेगी।

## 12.2. वस्तुओं में व्यापार सुविधा समझौता

(Trade Facilitation Agreement [TFA] in Goods)

**सुर्खियों में क्यों?**

- सरकार ने हाल ही में वस्तुओं में व्यापार सुविधा समझौते को मंजूरी दे दी है और व्यापार सुविधा पर राष्ट्रीय समिति (NCTF) का प्रस्ताव रखा है।
- इसमें वस्तुओं के आयात के संबंध में शीघ्र क्लीयरेंस, प्रवेश और आवाजाही में तेजी लाने के संदर्भ में प्रावधान है।
- यह व्यापार सुविधा और सीमा शुल्क अनुपालन जैसे मुद्दों पर सीमा शुल्क और अन्य उपयुक्त प्राधिकारियों के मध्य प्रभावी सहयोग के लिए उपायों का प्रावधान करता है।

**भारत के लिए लाभ:**

- यह भारत के इज ऑफ डूइंग बिजनेस पहल के अनुरूप है।
- सहज व्यापार प्रवाह के लिए सीमा शुल्क नियमों में ढिलाई भी इसका उद्देश्य है।
- व्यापार की लागत में औसत 14.5% की कटौती होने का अनुमान है।
- खाद्य सुरक्षा उद्देश्यों के लिए सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग के मुद्दे पर स्थायी समाधान भी प्रदान कर सकता है।
- कृषि उत्पादों के आयात में अचानक वृद्धि से गरीब किसानों की रक्षा के लिए तंत्र भी विकसित होगा।

**नकारात्मक निहितार्थ:**

- समझौते को शीघ्र मंज़ूर करने से भारत अपने हितों को सुरक्षित करने के लिए एक सौदेबाजी का मौका खो देगा।

**आगे की राह:**

- समझौते के तहत भारत की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए सीमा शुल्क अधिनियम में बदलाव की जरूरत है।
- कई क्षेत्रों में नियमों में परिवर्तन करने की आवश्यकता होगी।
- भारत पहले से ही सेवाओं में व्यापार सुविधा समझौते को अनुसमर्थन दे चुका है।

VISION IAS

## 12.3. व्यापार सुविधा और व्यापार प्रवर्तन अधिनियम 2015

**(Trade Facilitation and Trade Enforcement Act 2015)**

**सुर्खियों में क्यों?**

फ़रवरी 2016 में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने व्यापार सुविधा और व्यापार प्रवर्तन अधिनियम पर हस्ताक्षर किए, जो बौद्धिक संपदा अधिकार के मुद्दों से संबंधित महत्वपूर्ण उपायों को लागू करेगा।

**पृष्ठभूमि**

- यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेन्टेटिव(USTR), बौद्धिक संपदा नीति सहित अमेरिकी व्यापार नीति के प्रवर्तन की देखरेख करते हैं। USTR वार्षिक तौर पर स्पेशल 301 सूची जारी करता है। यह देशों को उनके बौद्धिक संपदा अधिकार नियमों के आधार पर निम्नलिखित श्रेणियों में बांटता हैः-
  - ✓ प्रायोरिटी फॉरेन कंट्री (PFC)- सबसे गंभीर उल्लंघन करने वाले (most serious violators)
  - ✓ प्रायोरिटी वाच लिस्ट (PWL)- गंभीर उल्लंघन करने वाले (Serious offenders)
  - ✓ वाच लिस्ट (WL)- कम उल्लंघन करने वाले (less serious offenders)
- भारत को पिछले 2 वर्षों से PWL देशों की श्रेणी में रखा गया है।

**अधिनियम के वे मुख्य प्रावधान जो भारत को प्रभावित कर सकते हैं०:**

- इस अधिनियम के अनुसार, USTR को PWL में शामिल देशों के संदर्भ में एक बेंचमार्क के साथ एकतरफा कार्य योजना विकसित करना होता है।
- इस बेंचमार्क का पालन करने से मना करने वाले देशों पर व्यापार प्रतिबंध लगाये जा सकते हैं।
- इसने USTR कार्यालय के अंतर्गत "मुख्य नवाचार और बौद्धिक संपदा वार्ताकार" (Chief Innovation and Intellectual Property Negotiator) नामक एक नया पद सृजित किया है, जो अमेरिका के नवाचारों और बौद्धिक संपदा के हितों की रक्षा करेगा।
- इसने अमेरिका के लिए उचित और न्यायसंगत बाजार पहुंच सुनिश्चित करने व अन्य देशों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए एक अलग कोष की भी स्थापना की है।

**भारत पर प्रभाव और आगे की राह**

- यह भारत पर इसके बौद्धिक संपदा अधिकार नीति को अमेरिकी हितों के अनुसार बनाने के लिए दबाव डालेगा, विशेषकर औषधि क्षेत्र में।
- हालांकि भारत को इस तरह के दबाव का विरोध करना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसे कानून विश्व व्यापार संगठन के नियमों का उल्लंघन न करें।
- इसके अलावा, भारत को इस तरह के मुद्दों को हल करने के लिए अमेरिका के साथ द्विपक्षीय वार्ता करनी चाहिए।

VISION IAS


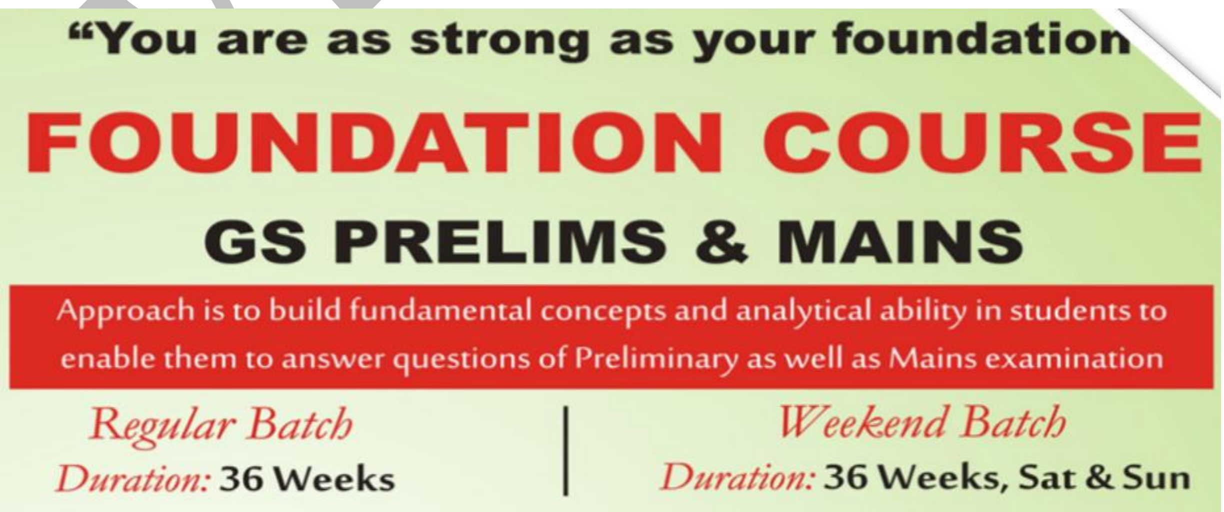

# विदेशी निवेश

(FOREIGN INVESTMENT)

## 1. वर्तमान स्थिति: विश्व निवेश रिपोर्ट 2016

(Present situation: World Investment Report 2016)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCTAD) ने विश्व निवेश रिपोर्ट 2016 जारी की है।

**मुख्य बिन्दु**

- **वैश्विक निवेश के रुझान**

✓ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) में वर्ष 2015 में तेज़ी आई है। वैश्विक FDI 38 फीसदी बढ़कर 1.76 खरब डॉलर हो गया है। यह 2008-2009 के वैश्विक आर्थिक और वित्तीय संकट के बाद से अपने उच्चतम स्तर पर है।

✓ वैश्विक अर्थव्यवस्था की कमजोरी, मांग में लगातार कमी, कुछ माल निर्यातक देशों में विकास की धीमी रफ़्तार, कर बचाने के तरीकों पर अंकुश लगाने के लिए प्रभावी नीतिगत उपाय और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मुनाफे में कमी के कारण वर्ष 2016 में FDI अंतर्वाह  में 10-15 फीसदी की गिरावट आ सकती है।

- **क्षेत्रीय निवेश रुझान**

✓ संकुचन के लगातार तीन साल के बाद, विकसित देशों में FDI अंतर्वाह (inflow) 2007 के बाद से तेजी से 765 अरब डॉलर की नई ऊँचाई तक पहुँचा, जो कि 2014 की तुलना में 9 प्रतिशत अधिक है।

✓ भारत FDI अंतर्वाह में विश्व के शीर्ष दस देशों में शामिल है और एशिया में चौथे स्थान पर है।

✓ वर्ष 2014 में 35 अरब डॉलर की तुलना में भारत में FDI अंतर्वाह वर्ष 2015 में बढ़कर 44 अरब डॉलर हो गया था।

- **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि के कारण**

✓ मेक इन इंडिया पहल के साथ उदारीकरण के उपाय और सरकार द्वारा प्रारंभ किये गए सुधार।

✓ नागरिक उड्डयन, रक्षा, खाद्य उत्पादों और फार्मास्यूटिकल्स सहित सात नए क्षेत्रों में FDI में वृद्धि की हाल की घोषणा से बड़ी मात्रा में FDI आकर्षित होने की संभावना है।

✓ भारत (सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था) द्वारा विशाल संभावना की पेशकश।

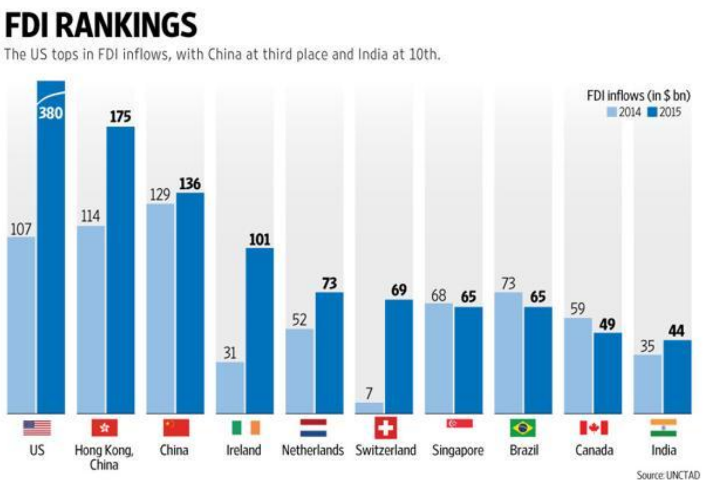


- **बहिर्प्रवाह**

✓ बहिर्प्रवाह के मामले में, अधिकतर विकासशील और संक्रमण क्षेत्रों में गिरावट आई है।

✓ भारत से FDI बहिर्प्रवाह में गिरावट, वस्तुओं में गिरावट (कमोडिटी साइड) के कारण है।

- **निवेश नीति के रुझान**

✓ नई निवेश नीति के अधिकतर उपाय, निवेश के उदारीकरण और उसे प्रोत्साहन देने की दिशा में ही हैं।

✓ सरकार की राष्ट्रीय सुरक्षा नियमों को लागू करने की शक्ति को निवेशकों की पारदर्शिता और पूर्वानुमेय प्रक्रियाओं की जरूरत के साथ संतुलित किये जाने की आवश्यकता है।

✓ सतत विकास के लिए निवेश को बढ़ावा देने के लिए उदारीकरण और विनियमन के बीच सही संतुलन कायम करने की आवश्यकता है।

## 2. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वित्तपोषण

(FDI Financing)

**आवश्यकता**

- नई तकनीक, उत्पादकता में वृद्धि, रोजगार सृजन और उपभोक्ता विकल्प बढ़ाने के अलावा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) देश में अत्यंत आवश्यक विदेशी पूंजी लाता है।

VISION IAS

- यह निर्यात को बढ़ावा देकर देश के चालू खाता घाटे (CAD) को पाटने में और सकारात्मक भुगतान संतुलन (BOP) को बनाए रखने में मदद करता है। इसे CAD की FDI फाइनेंसिंग कहते हैं।

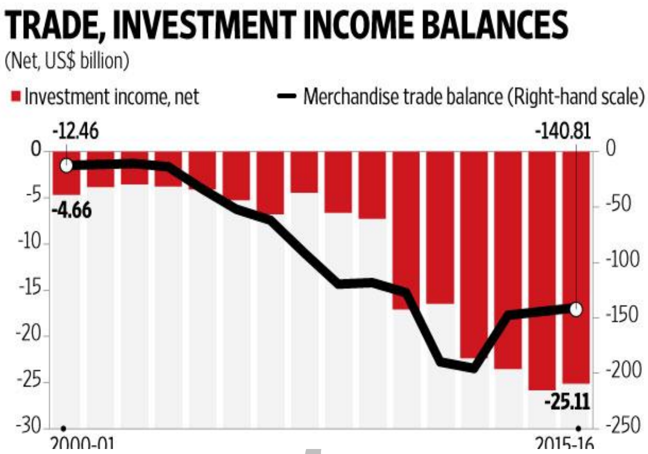


**चालू खाता घाटा की FDI फाइनेंसिंग की आलोचना:**

- FDI निर्यात उन्मुख होने के बजाय घरेलू बाजार को लक्षित कर सकता है, जिससे घरेलू उपभोग में वृद्धि होती है, परिणामस्वरूप आयात को बढ़ावा मिलता है।
- एक बार यदि ऐसे प्रारंभिक निवेश लाभदायक होने शुरू हो जाते हैं, तो मेजबान देश से मूल देश की ओर कैपिटल रिटर्न (पूँजी वापसी) देखने को मिलता है, जिससे CAD की स्थिति और बुरी हो जाती है।
- 2014-15 में इसी तरह की प्रवृत्ति देखने को मिली थी, तब FDI अंतर्वाह में वृद्धि के बावजूद CAD में बढ़ोतरी प्रदर्शित हुई थी।(ग्राफ में देखें)

# 3. FDI में सुधार

**(Reforms in FDI)**

## 3.1. FDI मानकों में छूट

**(FDI Norms Relaxed)**

सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के नियमों में ढील दी है और FIPB की अनुमोदन सीमा को 3,000 करोड़ रुपये से बढाकर 5,000 करोड़ रुपये कर दिया है।

**बीमा क्षेत्र**

- सरकार ने बीमा क्षेत्र (और इस प्रकार स्वतः ही पेंशन क्षेत्र में भी) में कंपोजिट कैप (FDI और विदेशी संस्थागत निवेश सहित) को 26% से बढ़ाकर 49%किया है।
- यह सरकारी अनुमोदन मार्ग (विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड या FIPB के माध्यम से) के माध्यम से होगा।

**WHAT THE CHANGES MEAN**

| Sector | Proposed FDI regime | Existing FDI regime | Implication |
|---|---|---|---|
| Defence | 100% FDI in defence via govt approval | 49% for foreign entities under automatic route and beyond 49% on government approval on a case-by-case basis subject to access to state-of-the-art technology | Foreign defence firms can set up manufacturing facilities in India |
| Pharmaceuticals | 74% FDI through automatic route in brownfield | 100% FDI in brownfield through govt approval | More private equity deals in pharma as new regulation clears uncertainty over FIPB approvals |
| Aviation | 100% FDI for foreign entities | 49% for foreign entities | Local airlines can attract more capital |
| Broadcast<br>•Cable networks | | | More investment opportunities |
| •Direct to home (DTH) | 100 % FDI allowed via automatic route | 100% FDI allowed, only 49% allowed via automatic route | No FDI expected till cross-media ownership cap removed |
| •Headend-in-the sky (HITS) | | | |

Source: Department of industrial policy and promotion

**बैंक और वित्तीय संस्थान**

- वित्तीय वर्ष 2017 के बजट में ARCs में 100% FDI प्रस्तावित किया गया है।
- विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को सेक्टोरल कैप्स के अधीन ARCs द्वारा जारी की जाने वाली प्रतिभूति रसीदों में प्रत्येक किश्त के 100 फीसदी तक निवेश की अनुमति दी जाएगी

**रक्षा क्षेत्र:**

- नीति में 100 प्रतिशत के FDI की अनुमति देने के लिए अत्याधुनिक (स्टेट ऑफ द आर्ट) प्रौद्योगिकी तक पहुंच की शर्त को हटा दिया गया है।
- अब इसे संशोधित करके "आधुनिक या अन्य कारणों के लिए" कर दिया गया है। इससे विदेशी निवेशकों के लिए निवेश का दायरा व्यापक हो जाएगा।

**औषधि क्षेत्र**: इस क्षेत्र में मौजूदा घरेलू कंपनियों (ब्राउन फील्ड परियोजनाओं) में 74% FDI को स्वचालित मार्ग के तहत अनुमति दी जाएगी। वर्तमान में, नई परियोजनाओं (ग्रीन फील्ड परियोजना) में 100% FDI की अनुमति है।

**नागरिक उड्डयन क्षेत्र:** ब्राउनफील्ड एअरपोर्ट परियोजनाओं में स्वचालित मार्ग के तहत 100% FDI की अनुमति। इससे पहले, ब्राउनफील्ड परियोजनाओं में 74 प्रतिशत से अधिक FDI की अनुमति सरकारी अनुमोदन के माध्यम से दी जाती थी, ग्रीनफील्ड परियोजनाओं में स्वचालित मार्ग के तहत 100% FDI की अनुमति थी।

**पशुपालन (Animal Husbandry):** पशुपालन में 100% FDI की अनुमति। पशुपालन में FDI के लिए नियंत्रित परिस्थितियों की आवश्यकता को हटाने का फैसला किया गया है।

**ब्रांड खुदरा व्यापार**: नयी नीति के तहत लोकल सोर्सिंग मानदंडों में तीन साल के लिए छूट दी गयी है तथा 'स्टेट ऑफ द आर्ट' (अत्याधुनिक) प्रौद्योगिकी वाले उत्पादों की एकल ब्रांड खुदरा व्यापार में शामिल संस्थाओं को सोर्सिंग मानदंडों में पांच साल के लिए अतिरिक्त छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

**बागान और खाद्य उत्पाद**

- भारत में निर्मित और उत्पादित खाद्य उत्पादों के विपणन में FIPB रूट के जरिए 100 फीसदी FDI की अनुमति।
- रबर, कॉफी, इलायची, ताड़ के वृक्षों और जैतून के वृक्षों के बागानों में 100 % FDI की अनुमति दी गई।
- भारतीय स्टॉक एक्सचेंज - भारतीय शेयर बाजारों में विदेशी इकाइयों के लिए निवेश सीमा में 5% की वृद्धि कर उसे घरेलू संस्थानों के समतुल्य 15% कर दिया गया।

**विविध**

- सरकार ने शुल्क मुक्त दुकानों और सीमित देयता भागीदारी (LLP) में स्वचालित मार्ग के तहत 100 प्रतिशत के FDI की अनुमति दी।
- भवन-निर्माण विकास के क्षेत्र में, न्यूनतम पूंजीकरण मानदंडों और फ्लोर एरिया प्रतिबंधों को हटा दिया गया है। सरकार ने इस क्षेत्र में विदेशी कर्ताओं या निकायों के लिए बाहर निकलने के मानदंडों में भी ढील दी है।

## 3.2. स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा FDI मानकों में छूट

### (RBI Relaxed FDI Norms to Boost Start-ups)

- सभी स्टार्टअप्स अब **स्वचालित मार्ग** के तहत विदेशी उद्यम पूंजी निवेशकों (फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स-FVCIs) से धन संग्रह सकते हैं। अब तक स्वचालित अनुमोदन सिर्फ नौ क्षेत्रकों में ही उपलब्ध था।
- विदेशी उद्यम पूंजी निवेशकों से अन्य निवासियों या प्रवासियों को **शेयरों के हस्तांतरण** की अनुमति दी गई है।
- FDI लेनदेन की देर से की गयी रिपोर्टिंग पर निगरानी के लिए FDI मानक संबंधी नियमों में ही जुर्माना संबंधी प्रावधान शामिल किये गए हैं।
- स्टार्टअप के प्रवर्तकों (प्रमोटर) की मदद के लिए, भविष्य में निश्चित रूप से प्राप्त होने वाली धनराशि को भी गारंटी के रूप में अनुमति दी गई है। यह एक एस्क्रो/क्षतिपूर्ति व्यवस्था को सक्रिय करना प्रस्तावित करता है।
- सीमा-पार के लेन-देन से निपटने हेतु विनियामक परिवर्तन, विशेषतः स्टार्टअप उद्यमों के प्रचालन से संबंधित, मामले भी इसके दायरे में लाये जाने का प्रस्ताव है।
- स्टार्टअप्स की सहायता हेतु अन्य प्रस्ताव जो विचाराधीन हैं, वे हैं- बाह्य वाणिज्यिक ऋण तक पहुंच के लिए स्टार्टअप को अनुमति देना, नवोन्मेषी FDI उपकरणों का निर्गमन आदि।
- ये चरण स्टार्टअप्स और विदेशी निवेशकों के बीच समझौते को गति प्रदान करेंगे और इज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार करेंगे।

## 3.3 भारत में एप्पल कम्पनी की रिटेल बिक्री

### (Apple Retail in India)

**मामला क्या है?**

- एप्पल कम्पनी ने प्रस्ताव दिया था कि वह भारत में खुद के रिटेल स्टोर स्थापित करना चाहती है। विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (FIPB) इस प्रस्ताव पर सहमत हो गया है, लेकिन इस शर्त पर कि कुल विक्रय राशि के 30% मूल्य की स्थानीय खरीद होनी चाहिए। यह एकल ब्रांड खुदरा क्षेत्र के लिए FDI नियमों के अनुरूप है।

- हालांकि एप्पल ने तर्क दिया है कि FDI नीति "अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी" के लिए स्थानीय खरीद में छूट की अनुमति देती है; लेकिन FIPB ने कहा कि ऐसा करने से कई चीनी मोबाइल फोन निर्माताओं को भी यह रियायत देनी पड़ेगी और भारत विनिर्माण केंद्र की बजाय व्यापार केंद्र बना रह जायेगा।

**आलोचनात्मक विश्लेषण**

- विशेषज्ञों का तर्क है कि एकल ब्रांड रिटेल में FDI पर प्रतिबंधों की समीक्षा की जानी चाहिये।
- स्थानीय खरीद का प्रावधान और "अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी" से संबंधित उसकी छूट व्यक्तिनिष्ठ और नौकरशाही के विवेकाधिकार पर निर्भर है।
- यह तर्क दिया जाता है स्थानीय खरीद से सरकार और घरेलू कंपनियों को ज्यादा फायदा नहीं हुआ है, लेकिन इसके कारण उत्पादों की गुणवत्ता में कमी आने से उपभोक्ताओं पर प्रभाव पड़ा है।
- भारत में विनिर्माण केंद्र स्थापित करने का निर्णय सरकार द्वारा थोपने के बजाय कंपनियों पर छोड़ दिया जाना चाहिए। तथा सरकार को अवसंरचना निर्माण और नीतियां तैयार करने पर ध्यान देना चाहिये, ताकि भारत विनिर्माण के लिए एक पसंदीदा गंतव्य बन जाए।

**आगे की राह**

एकल ब्रांड खुदरा प्रस्तावों में FIPB के विवेकाधिकार को कम करने के लिए स्थानीय खरीद प्रावधान को धीरे-धीरे ख़त्म करना ही एक समाधान है। सरकार FIPB को बंद करके निवेश संबंधित निर्णय नियामकों पर छोड़ सकती है।

# 4. वैश्विक प्रगति और उसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

**(Global Developments and Their Effects on Indian Economy)**

## 4.1. मुद्रा युद्ध: चीनी युआन का वर्ष 2015 में अवमूल्यन

(Currency Wars: Devaluation of Chinese Yuan in 2015)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

- वर्ष 2015 की शुरुआत के बाद से अब तक युआन के मूल्य में डॉलर के मुकाबले 4% से भी ज्यादा की गिरावट हुई है जिसके कारण यह अपने साढ़े चार वर्ष पूर्व के मूल्य के आस-पास जा पहुँचा है।
- चीनी मुद्रा युआन के हाल ही के अवमूल्यन ने वैश्विक वित्तीय उथल-पुथल उत्पन्न की है जो वैश्विक स्तर पर शेयर और मुद्रा बाजार को हानि पंहुचा रही है।
- युआन का कमजोर होना, एशियाई और उभरती अर्थव्यस्थाओं की मुद्राओं के प्रतिस्पर्धात्मक अवमूल्यन को प्रेरित कर सकता है।

**युआन के अवमूल्यन का कारण:**

- चीनी अर्थव्यवस्था में मंदी।
- चीन में बहुत अधिक मात्रा में अतिरिक्त उत्पादन।
- चीनी अर्थव्यवस्था को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने की सोच।
- चीन में अंतरराष्ट्रीय निवेश बनाए रखने की नीति।

**चीन पर अवमूल्यन का प्रभाव:**

- अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करके चीन वैश्विक व्यापार में लाभ प्राप्त करता है। इसके निर्यात विदेशी खरीदारों के लिए सस्ते और अधिक आकर्षक बन रहे हैं।
- युआन के अवमूल्यन से चीन में आयात अधिक महंगे हो जाएंगे तथा मांग (विशेषकर वस्तुओं की मांग) में कमी आएगी। फलतः वस्तुओं की कीमतों पर आगे भी नकारात्मक दबाव बना रहेगा।

**भारतीय अर्थव्यवस्था पर युआन के अवमूल्यन का प्रभाव:**

- इसके कारण भारतीय निर्यात बुरी तरह प्रभावित हुए। इसे हम इस तथ्य से भी समझ सकते हैं कि भारत के निर्यात में पिछले लगातार 12 महीनों से गिरावट देखी जा रही है। पुनः विकसित तथा एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में धीमी वृद्धि के कारण जनवरी 2016 के आरंभ तक भारतीय निर्यात में 17.6% की गिरावट देखी गयी।

VISION IAS

- निर्यात में गिरावट से चालू खाता घाटे (CAD) में भी वृद्धि होगी।
- चिंता का एक अन्य कारण भारत में होने वाले आयात भी हैं। 2015 तक के आंकड़े यह प्रदर्शित करते हैं कि भारत के आयात में लगभग 12% की हिस्सेदारी चीन की है। चीनी प्रतिस्पर्धात्मकता में किसी भी प्रकार की वृद्धि चाहे वह युआन के अवमूल्यन के माध्यम से ही क्यों न हो, भारतीय आयात में अप्रत्याशित वृद्धि का कारण बनेगी।
- चीनी आयात में वृद्धि के कारण भारत के अन्य व्यापारिक भागीदारों को भी हानि पंहुचेगी और उन देशों से भारत में आयात प्रतिस्थापित होंगे। इसके अतिरिक्त इससे भारत में इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, कार्बनिक रसायन, उर्वरक और लौह तथा इस्पात आदि उद्योग भी प्रभावित होंगे।
- भारतीय रिजर्व बैंक को डॉलर के मुकाबले रुपये के मूल्य में युक्तियुक्त गिरावट होने देना चाहिए। यह कंपनियों को कठिन परिस्थितियों में, जब उनकी ऋण लागत में वृद्धि होगी, बाह्य वाणिज्यिक उधारी के लिए प्रेरित करेगा। (डॉलर के मुकाबले रूपये के मूल्य में गिरावट होगी, जिसे RBI कृत्रिम हस्तक्षेप द्वारा नहीं रोकेगा। इससे बाह्य वाणिज्यिक उधारी के प्रति अनावृत कंपनियाँ एक मुश्किल परिस्थिति में पड़ेंगी क्योंकि अब उनकी ऋण लागत बढ़ जाएगी)

**विश्व अर्थव्यवस्था पर युआन के अवमूल्यन का प्रभाव:**

- युआन का अवमूल्यन दुनिया भर में कई प्रमुख देशों के निर्यात को प्रभावित करेगा।
- कमजोर युआन वैश्विक अर्थव्यवस्था को मंदी की ओर उन्मुख कर सकता है क्योंकि जब भी इस मुद्रा का अवमूल्यन हुआ है, चीन की क्रय शक्ति में कमी देखी गयी है।
- अवमूल्यन वस्तुओं और आयातित माल की मांग को भी प्रभावित करता है। इससे तेल और अन्य औद्योगिक वस्तुओं की कीमतें गिरती हैं। यही कारण है कि चिली और ब्राजील जैसी उभरती बाजार (EM) अर्थव्यवस्थाओं को इससे नुकसान पहुंच रहा है, जो अपने तांबा और तेल के निर्यात के लिए चीन द्वारा उन्हें ख़रीदने पर निर्भर हैं।
- यह जर्मनी जैसे विकसित देशों को भी नुकसान पहुंचायेगा, जो चीन को एक प्रमुख विकास बाजार (key growth market) के रूप में देखते हैं।
- यह एक प्रकार के "करेंसी वार" (मुद्रा युद्ध) को शुरू कर सकता है, क्योंकि कई देश अपने निर्यात को बचाने के लिए अपनी मुद्राओं के अवमूल्यन की दौड़ में शामिल हो सकते हैं।
- युआन के मूल्य में इस तीव्र गिरावट के कारण चीनी उत्पाद काफी सस्ते हो गए हैं। ये सस्ते उत्पाद कई देशों में उनके घरेलू विनिर्मित उत्पादों की बिक्री को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेंगे अथवा कर रहे हैं।

**क्या भारत भी अपने रुपये का अवमूल्यन कर सकता है?**

- भारतीय निर्यात को बढ़ाने हेतु रुपए के अवमूल्यन को एक जवाबी उपाय के रूप में नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि भारत कोई आपूर्ति-अधिशेष अर्थव्यवस्था (सप्लाई-सरप्लस इकॉनोमी) नहीं है।
- इसके अलावा, चीन के संदर्भ में हम 60 बिलियन डॉलर का आयात और 12 बिलियन डॉलर का निर्यात करते हैं, जो व्यापार घाटे को और अधिक बढ़ाएगा।

**आगे की राह:**

- **अल्पावधि में,** चीनी उत्पादों पर आयात शुल्क लगाना एक उपयुक्त कदम होगा। इससे कपड़ा, स्टील, रत्न एवं आभूषण आदि जैसे श्रम गहन क्षेत्रकों की रक्षा करने में मदद मिलेगी जो सस्ते आयात की चपेट में हैं।
- **दीर्घावधि में,**

✓ नए व्यापार स्थापित करने को प्रोत्साहित करने के लिए श्रम सुधार।
✓ सरलीकृत कर संरचना - 'वस्तु एवं सेवा कर' का कार्यान्वयन।
✓ सरल अनुपालन प्रक्रिया।
✓ एकल खिड़की मंज़ूरी (सिंगल विंडो क्लियरेंस)।
✓ MSMEs के लिए पूंजी की उपलब्धता।

## 4.2. चीन को बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा

### (Market Economy Status to China)

**बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा**

- विश्व व्यापार संगठन (WTO) के नियमों के तहत चीन को इस साल दिसंबर से "बाजार अर्थव्यवस्था" का दर्जा (MES) मिलने की संभावना है। भारतीय वाणिज्य मंत्रालय इसके निहितार्थ का आकलन कर रहा है।



VISION IAS

- चीन को यह दर्जा मिलने से मुख्य रूप से एंटी-डंपिंग मामलों पर प्रभाव के पड़ने की आशंका है, अतः एंटी-डंपिंग एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय (या DGAD, वाणिज्य मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय) ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विशेषज्ञों और वकीलों समेत अन्य हितधारकों से इस मुद्दे पर विचार-विमर्श शुरू कर दिया है।

**बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा क्या है?**

- यदि एक बार चीन को MES प्रदान किया जाता है, तो यह उपाय के रूप में एंटी डंपिंग का उपयोग करने की भारत की क्षमता को गंभीर रूप से सीमित कर देगा क्योंकि अधिकारियों (DGAD) को चीन में उत्पादन लागत और बिक्री मूल्य को बेंचमार्क के तौर पर स्वीकार करना होगा।
- गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में चीन को परिभाषित करने से, चीन से आयात करने वाले देशों के पास सामान्य मूल्यों के निर्धारण के लिए वैकल्पिक तरीकों के उपयोग करने की अनुमति है, जिसका परिणाम अक्सर उच्च एंटी डंपिंग शुल्क होता है।

**डंपिंग क्या है?**

- डम्पिंग एक अनुचित व्यापार गतिविधि है जिसमें माल को निर्यातक देश में मिलने वाली कीमत या सामान्य उत्पादन लागत से कम कीमत पर दूसरे देश में निर्यात किया जाता है। इस वजह से अंतरराष्ट्रीय व्यापार विकृत होता है और आयातित देश में घरेलू निर्माताओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

**इतिहास:**

- 2001 के समझौते (WTO में चीन के प्रवेश पर प्रोटोकॉल) के अनुसार, WTO के सदस्य देश चीन से निर्यातित माल की 'सामान्य मूल्य' की गणना में, 15 साल तक (दिसंबर 2016 तक) विक्रय मूल्य और उत्पादन मूल्य की अनदेखी कर सकते हैं।
- सदस्य देश इसके बजाय किसी एक उपयुक्त तीसरे देश के तुलनीय निर्यात मूल्य और उचित परिवर्धन के साथ उत्पादन लागत के आधार पर 'डंपिंग मार्जिन' की गणना कर सकते हैं।
- 'सामान्य मूल्य' और 'डंपिंग मार्जिन' की गणना करने के लिए बाहरी बेंचमार्क के साथ कीमतों या लागत की तुलना करने की इस अनुमति के फलस्वरूप कई देशों ने एंटी डंपिंग मार्ग का उपयोग किया है।
- चीन को 15 वर्ष का समय दिया गया था ताकि कुछ आतंरिक सुधारों के माध्यम से वह एक 'बाज़ार अर्थव्यवस्था' में स्वयं को रूपांतरित कर सके।

**भारत पर प्रभाव:**

- इसका अर्थ यह होगा कि चीन से आयातित माल पर एंटी डंपिंग शुल्क लगने की संभावना कम है और अगर शुल्क लगता भी है तो बहुत कम होगा।
- अभी ही, भारत के इस्पात, रसायन, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र चीन के कम मूल्य के निर्यात की वजह से बुरी तरह प्रभावित हैं तथा भारत को एंटी डंपिंग शुल्क का व्यापक उपयोग करना पड़ता है।
- 1994-2014 के मध्य भारत ने 535 मामलों में एंटी डंपिंग शुल्क लगाया था जिनमें से सर्वाधिक 134 मामले चीन से निर्यातित माल पर थे।

**चीन का तर्क:**

- बीजिंग ने 2001 के समझौते को उद्धृत करते हुए कहा कि WTO के सदस्य देशों ने उस समय निर्णय लिया था कि एंटी डंपिंग मामलों में दिसंबर 2016 से चीन को "बाजार अर्थव्यवस्था" माना जायेगा।

**भारत, अमेरिका और यूरोपीय संघ के तर्क:**

- चीन को "बाजार अर्थव्यवस्था" का दर्जा देने के खिलाफ भारत, अमेरिका और यूरोपीय संघ का कहना है कि "बाजार अर्थव्यवस्था" में कीमतें मुख्य रूप से बाजार द्वारा निर्धारित की जाती हैं जबकि इसके विपरीत चीन में अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण सरकारी प्रभाव है जिससे व्यापार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
- इन देशों ने अन्य कारकों का हवाला भी दिया है जैसे चीनी सरकार द्वारा दी जा रही भारी सब्सिडी, सरकार द्वारा कीमतों का निर्धारण, उचित व्यापार लेखा मानकों का अभाव, न केवल ऋण दरों बल्कि न्यूनतम मजदूरी और संपत्ति के अधिकार में भी पारदर्शिता की कमी।

एंटी डंपिंग के मामलों के लिए 'सामान्य मूल्य (Normal value)' गणना:

- 2001 के समझौते के अनुसार, विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देश 15 वर्षों तक (अर्थात दिसम्बर2016 तक) चीन में विक्रय मूल्यों एवं लागत को नज़रंदाज़ कर सकते हैं ।
- एक उपयुक्त तीसरे देश के लिए एक तुलनीय निर्यात मूल्य के आधार पर 'डंपिंग मार्जिन' की गणना